भारतीय मजदूर संघ

महामंत्री प्रतिवेदन

आठवाँ अखिल भारतीय अधिवेशन

२६ - २८ दिसम्बर १९८७

बेंगलूर, कर्नाटक.

रामनरेश भवन

'RAMNARESH BHAVAN'

भा.म. संघ का दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय

Central Head Quarters of B.M.S. at New Delhi

स्व. श्री नरेशचन्द्र गांगूली

Late Shri Naresh Chandra Ganguli

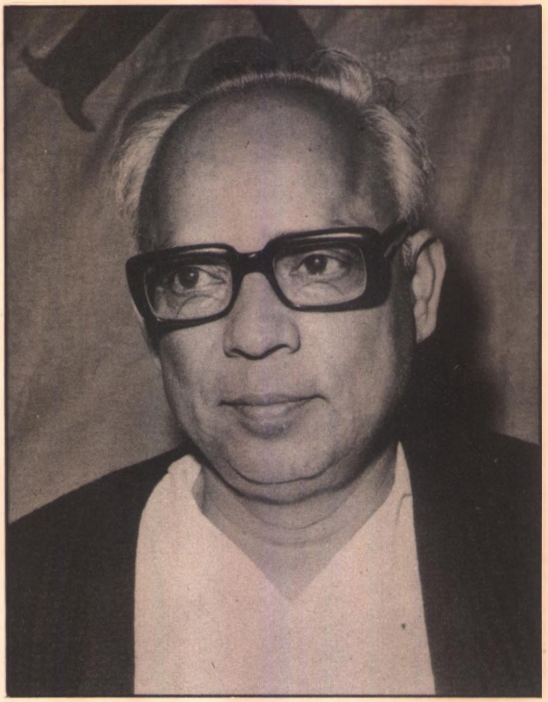

अध्यक्ष, भा.म. संघ (एप्रिल १९७५ से जनवरी १९८४)

President, B.M.S. (April 1975 to January 1984)

स्व. श्री रामनरेश सिंग, " बडेभाई "

Late Shri Ram Naresh Singh

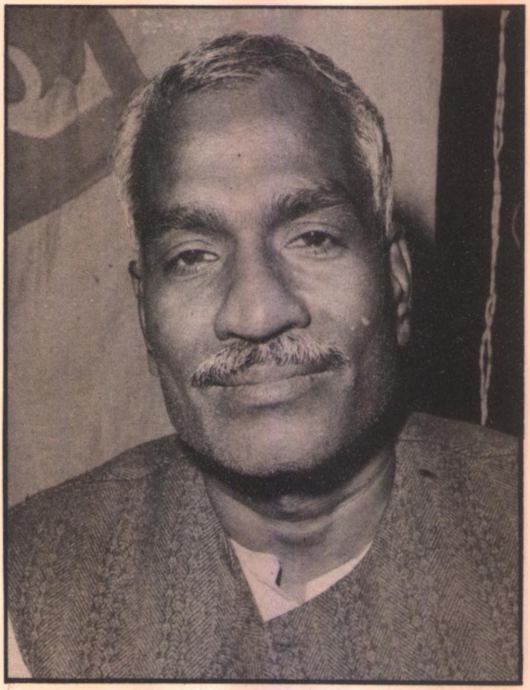

महामंत्री, भा.म. संघ (फरवरी १९७६ से मई १९८५)

General Secretary, B.M.S. (February 1976 to May 1985)

महामंत्रि प्रतिवेदन

प्रतिनिधि बन्धु भागिनियोंः

१९८४ से १९८७ के काल खंड का प्रतिवेदन आपकी स्वीकृति के लिये मैं आप के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ.

१.१ आज हम अपने आठवें अधिवेशन के लिये बेंगलोर में एकत्रित हुये हैं. यहाँ की कार्यवाही में सक्रिय सहभागिता के लिए आप सभी पूरे देश भर से बड़े-छोटे उद्योग, सेवा संस्थायें, सार्वजनिक, निजी, ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं. आप जानते ही हैं कि पूर्व योजना के अनुसार यह सम्मेलन गुजरात के सौराष्ट्र भाग के राजकोट में सम्पन्न करने का हम लोगों ने सोचा था. वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से सभी पूर्व तैयारी कर दी थी, लेकिन प्रकृति ने अपना साथ नहीं दिया. वहाँ एक बार नहीं तो लगातार चार साल से बरसात के मौसम में बारिश बहुत कम हुयी और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा है, पीने के पानी का संकट छा गया है, इस कारण अपने को इस कार्यक्रम का स्थान परिवर्तन करना पड़ा. वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को कितनी निराशा हुयी होगी, इसकी कल्पना तो हम कर ही सकते हैं. मुझे विश्वास है कि जब अगले अधिवेशन के स्थान के चयन का प्रश्न आयेगा, तब आप उनका ख्याल रखेंगे.

१.२ अपने कर्नाटक के बन्धु यह जिम्मेदारी लेने के लिये सहर्ष आगे आये. उनके सामने कई कठिनाइयाँ थीं जैसे कि, अपर्याप्त समय, धन की कमी इत्यादि, मगर इन कमियों को यहाँ के उत्साही कार्यकर्ताओं ने रात-दिन परिश्रम करके दूर कर दिया और परिस्थिति अनुरूप हमें सभी सुविधायें दिलाने का जी तोड़ प्रयास किया है. यदि कोई न्यूनता रही है तो, मुझे विश्वास है कि आप उसकी परवाह न करते हुये उसे भूल जायेंगे क्योंकि यह स्थान, बेंगलोर, उद्यान नगरी, यहाँ के अच्छे लोग, सुखद मौसम सभी त्रुटियों को, कष्टों को भुला देने वाली है.

१.३ हैदराबाद अधिवेशन के बाद काफी लम्बा अर्सा, चार साल बीत चुके हैं. क्या ही बदनसीब रहा है कि हैदराबाद अधिवेशन में जिनको हमने सर्वसम्मति से महामंत्री चुना, वह हमारे बडे भाई श्रद्धेय रामनरेश सिंह, यह प्रतिवेदन देने के लिये अब नहीं रहे और मुझे इसे प्रस्तुत करना पड़ रहा है. यह विधि का क्रूर खेल रहा कि आज से ढ़ाई साल पहले बडे भाई को हमारे बीच से छीन लिया गया. उस रिक्त स्थान को पूरा करने का मैंने प्रयास मात्र किया है.

१.४ हमारे परिवार में से एक और प्रमुख व्यक्ति भी हट गये हैं - नरेशदा - नरेशचन्द्र

गांगूली, अपने पूर्व अध्यक्ष. करीब दस साल तक अध्यक्ष पद से उन्होंने अपने संगठन का नेतृत्व किया और हैदराबाद अधिवेशन में स्वेच्छा से पद छोड़ दिया. इस मौके पर इन दोनों का स्मरण किये बिना कैसे रहें? उनकी स्मृति में मस्तक नत हो जाना स्वाभाविक ही है.

१.५ इस अवधि में एक और भी महत्व की दुर्घटना हुयी जिससे भारत की राजनीति की नाव डावांडोल हुयी - मेरा इशारा है १९८४ के अक्तूबर ३१ को हुयी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या की ओर जो उसी के निजी सुरक्षा दल के सिपाहियों ने की थी. उनकी राजनीति का, कार्यक्रमों का, कार्य पद्धति का ढंग कैसा भी क्यों न हो मगर भारत की राजनीति में उन्होंने अपना ही एक प्रभाव, एक स्थान जमाया है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता. उनकी स्मृति में हमारी श्रद्धांजली समर्पित है.

१.६ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार में भी कई प्रमुखों के निधन से क्षति पहुंची है. पश्चिम क्षेत्रीय प्रचारक श्री लक्ष्मणराव इनामदार, दिल्ली प्रान्त के संघचालक लाला हंसराज गुप्ता, राजस्थान और कर्नाटक के संघचालक क्रमशः श्री राधाकृष्ण रस्तोगी और डॉ०. काका साहेब कुलकर्णि, पूर्व सरकार्यवाह श्री मल्हारराव काले, गुजरात के प्रान्त प्रचारक श्री बाबू भाई ओझा इनको भावपूर्ण श्रद्धांजली समर्पित है.

१.७ अपने ही संगठन के दो व्यक्ति जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं - सर्व श्री वी.पी. जोशी, दिल्ली, और गजाननराव गोखले, बम्बई, हमसे बिदा हुए. संगठन के लिये उनकी सेवा का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना मेरा कर्तव्य है.

१.८ दुनिया की बेदी से जो-जो प्रमुख व्यक्ति स्वदेश और विदेश से चल बसे हैं. उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ.

१.९ मगर, दो गंभीर घटनायें जिन्होंने सारी दुनिया की अन्तरात्मा को हिलाया और जिसके बारे में सुदूर से तीव्र प्रतिक्रियायें व्यक्त हुयीं, उनका उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूँ. पहली घटना है दिसम्बर १९८४ की, भोपाल में विषैली गैस रिसाव की, जिसमें दो हजार से ऊपर मुग्ध व्यक्तियों की मौत हुयी और एक लाख से ऊपर नागरिक प्रभावित हुये - प्रायः जिन्दगी भर के लिये. यह घटना सारे संसार को चिल्लाकर कहती है कि औद्योगिकरण और उसके आधुनिकीकरण के मामले में इन्सान की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के प्रश्नों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. इसी तरह रूस के चेर्नोबिल स्थित अणु ऊर्जा केंद्र में जो दुर्घटना हुयी, और जिसमें ३१ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उसने ऐसे खतरे की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है.

१.१० दूसरी घटना है एअर इण्डिया के जम्बो जेट कनिष्क का विध्वंस जिसमें सभी यात्री और कर्मचारी समेत ३२१ लोगों की आयरलेण्ड के पास समुद्र में जलसमाधी हुयी. यह दुनिया का सबसे बड़ा विध्वंसक कार्य है जिसकी बर्बरता से अखिल विश्व के नागरिक जनमानस को धक्का लगा है. इसके परिणाम स्वरूप यदि दुनिया के लोगों में आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव जागृत हो वह उसका तिरस्कार करें तो शायद इन लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जायेगी.

१.११ इन अभागे, मुग्ध, स्त्री, पुरुष, नन्हे बच्चों के मौत पर हम हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र

२.१ आतंकवाद, अशांति और तनाव से संसार गुजर रहा है. दूसरी ओर जन मत भी शांति और निरस्त्रीकरण के पक्ष में बल पकड़ रहा है. जिसके दबाव ने दोनों महाशक्तियों को, सीमित क्यों न हो, अणु अस्त्रों को कम करने को बाध्य किया. सभी तरह के मारक अणु अस्त्रों को खत्म करने के सर्वंकश समझौते का यह प्रारंभ मात्र है, ऐसी हम आशा करें.

२.२ अमेरिका के अध्यक्ष रेगन और रूस के नेता मिखैल गोर्बाचेव के बीच इस माह के आरंभ में मध्यम दूरी के क्षिपण्यास्त्रों को मिटाने का जो समझौता हुआ है, उसका सहर्ष स्वागत सारी दुनिया भर में हुआ है. इस समय की यह एक महत्व पूर्ण घटना है इसमें कोई संदेह नहीं.

२.३ बिना कोई कठिनाई के रेगन दुबारा अध्यक्ष पद पर चुनके आये. ऐसा लगता है कि उनकी आन्तरिक नीतियों के कारण मुद्रास्फिति पर अंकुश लगा है और अर्थव्यवस्था स्थिर हुयी है. लेकिन विदेश मामले में - पाकिस्तान की सामरिक ताकत को बढ़ाना, लिबिया से संघर्ष, खाडी युद्ध में दखलंदाजी, निकारागुवा में हस्तक्षेप आदि दुनिया भर में टीका के कारण बने हैं. इरान के साथ शस्तास्त्रों को बेचने का गोपनीय समझौते के प्रकाश में आने के कारण प्रशासन को जबरदस्त धक्का बसा है.

२.४ सोवियत संघ में गोर्बाचेव के नेतृत्व में युवा पीढ़ी का अधिकार उभर आया है. सैद्धान्तिक दबाव में अबतक जकडी हुयी भावनायें मुक्त हो रही है, और इस विशाल देश में परिवर्तन की लहर फैल रही है. यह मुक्तता की नीति आज तक के मार्क्सवाद के कई सांप्रदायिक मान बिन्दुओं को खत्म कर रही है. और इस कारण बन्द समाज के दरवाजे खोले जाकर उदार विचारों के प्रवेश के लिये रास्ता खुल गया है. इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा यह भविष्य ही बता सकेगा.

२.५ इन सब के बावजूद रूस की सेना अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं. मगर वहाँ के नेतृत्व में काफी बदल हो चुका है.

२.६ रूस की भांति चीन में नये परिवर्तन की गंध आ रही है. लोग अधिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं. विद्यार्थि छात्र संघों के निर्माण की मांग लेकर सडक पर उतर आये हैं. सरकार एवं पार्टी स्तर पर पुराने लोगों को हटाकर युवकों को लाया जा रहा है. इसके बावजूद भारतीय सीमा पर अरूणाचल क्षेत्र में चीनी घुस पैठ जारी है. अभी भी १९८२ में कब्जाई हुयी जमीन से चीनी सेनायें नहीं हटीं है.

२.७ इसी तरह तिब्बत का स्वतंत्र राज्य चीन के कब्जे में है. अभी हाल में ही ल्हासा में चीनी सेनाओं की वापसी एवम् देश को स्वतंत्र कराने की मांग को लेकर कुछ दंगे भी हुये हैं.

२.८ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रयासों के बाद भी इराक-ईरान युद्ध जारी है.

२.९ कम्यूनिस्ट फौजी शासन के पैरों तले पौलेण्ड का स्वतंत्र श्रम संगठन सोलिडेरिटी कुचला जा रहा है.

२.१० सारी दुनिया की निन्दा के बावजूद दक्षिण आफ्रिका की सरकार काले लोगों के खिलाफ रंग भेद की नीति अभी भी जारी रखी हुयी है. श्रमिक आंदोलन दबाया जा रहा है और श्रमिक नेताओं को बन्दी बनाया जा रहा है.

२.११ तानाशाह मार्कोस के तानाशाही प्रशासन से फिलीपीन्स, प्रबल जनआन्दोलन के कारण ही मुक्त हो सका है. परिणामतः मार्कोस को देश छोड़कर भागना पड़ा. इसके विपरीत फिजी द्वीपों में जनता द्वारा चुनी हुयी भारतीय मूल की सरकार को फौजी शासन ने उखड़ फेंका है तथा संविधान में ऐसे परिवर्तनों की घोषणा की है कि जिससे फिजी मूल के लोगों के अतिरिक्त अन्य मूल की सरकार सत्ता में नहीं आ सकती.

२.१२ हमारे पडोस में पाकिस्तान को अमेरिका सर्वांग रूप से आधुनिक हथियारों से सज्जित कर रहा है. पाक का आणविक कार्यक्रम इस क्षेत्र के शांति के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है. पाकिस्तान कश्मीर में सियाचीन ग्लेशियर क्षेत्र को कब्जा करने के लिये सैनिक कारवाई कर रहा है. प्रत्यक्ष एक्स् परोक्ष रूप में सिख आतंकवादियों की भी मदद कर रहा है.

२.१३ बंगलादेश से होने वाली घुस पैठ आज भी जारी है. वहाँ से चकमा जन जाति को बाहर धकेला जा रहा है.

२.१४ श्रीलंका के साथ नये सम्बन्धों की शुरूआत हो रही है. श्रीलंका सरकार की अनुमति से हमारी सेनायें उस प्रायद्वीप में भारत श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत पहुंच गयी है. दुर्भाग्यवश इस जातीय समस्या के हल के लिये भेजी हुयी सेनाओं को तमिल गुटों में से एक गुट का कडा विरोध सहन करना पड रहा है.

२.१५ इस सबके बावजूद, क्षेत्रीय आर्थिक विकास हेतु दक्षिण एशियाई सात राष्ट्रों की एक समन्वय समिति सार्क का गठन हुआ है.

घरेलू स्थिति

३.१ इस काल खंड में अपने यहाँ काफी उथल पुथल मची. इंदिरा गाँधी की जघन्य हत्या, जो उसी के सुरक्षा बल के सिपाहियों ने अक्तूबर ३१, १९८४ को की. उसके प्रतिरोध में सिख पुरुष, महिला और बच्चों की कतल, लूट पाट आगजनी चन्द दिनों तक बेरोक चलती रही. ये घटनायें जो दर्दनाक हैं, अपने पीछे अमिट दाग छोड गयी. तुरंत बाद जो चुनाव हुये, उसमें कांग्रेस (आय्) को अभूत पूर्व जन समर्थन मिला. इस सिल सिले में श्री राजीव गाँधी नेता बनकर उभर आये और इस तरह अधिकार में वंश पारंपर्य कायम हो गया.

३.२ नौजवान प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गाँधी ने अच्छी शुरूआत की उम्मीद बंधाई.

उनकी छवि साफ थी. उनकी क्रियाविधि अपनी माँ से अलग दृष्टिगोचर हो रही थी. सलाह मशवरा एवं समझौता उनके प्रशासन के अवयव थे. वे अपनी माँ की टकराव की नीति तथा विरोधी दलों की उपेक्षा वाली नीति का अनुसरण नहीं कर रहे थे. नयी संसद के गठन के तुरन्त बाद ही दल-बदल विरोधी कानून संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. पंजाब की स्थिति पर, जो इन्दिराजी के आपरेशन ब्लूस्टार के बाद और भी बिगडी थी, राजीव जी ने संत लौंगोवाल के साथ समझौता किया. उसके बाद पंजाब में जो चुनाव हुये, उसमें अकालिदल लोंगोवाल गुट विजयी हुआ. लेकिन इस बीच अतिरेकियों ने लोंगोवाल को गोली से उडा दिया और पंजाब समस्या और भी जटिल हुयी और फिरसे परिस्थिति सामान्य होना असंभव सा लगने लगा.

३.३ इसी के साथ-साथ विदेशियों के मामले पर आसाम समझौता सम्पन्न हुआ. परिणाम स्वरूप आसाम में जनता द्वारा निर्वाचित असम गण परिषद की सरकार बनी जिस में एक लम्बे समय से आन्दोलन को चलाया था. परन्तु इन समझौतों से बंधी उम्मीदें शीघ्र ही क्षीण होने लगीं. क्योंकि किसी न किसी कारण से समझौता लागू नहीं हो सका.

३.४ तीसरा समझौता विद्रोही नेशनल फ्रन्ट के लालडेंगा से हुआ जिसके फलस्वरूप सशस्त्र विद्रोह तो खत्म हुआ लेकिन कांग्रेस की सरकार के स्थान पर एम.एन.एफ. की सरकार बनी. अलगाव वादी विद्रोही के साथ समझौता करने की बुद्धिमत्ता के बारे में राष्ट्रवादी लोगों ने असम्मति व्यक्त की क्योंकि लालडेंगा के विशाल मिजोराम की माँग, देश के विभिन्न भागों के विघटनकारी शक्तियों को उत्तेजित कर सकती थी.

३.५ लोक सभा चुनाव के बाद जो विधान सभा के लिये मतदान हुआ उसमें कर्नाटक, आन्ध्र और सिक्किम में कांग्रेस का पराभव हुआ और बाद में पंजाब, असाम, मिजोराम में भी मुंह की खानी पडी. इस परिस्थिति में प्रधान मंत्री ने अपना पहला रवैया बदल दिया. पश्चिम बंगाल और केरल में भी कांग्रेस हारी और हरियाना में तो बुरी तरह पिटी गयी. इसके फल स्वरूप नये तरीके से शासन चलाने का अल्प कालीन प्रयोग खत्म हुआ और पुरानी शैली लौट आयी.

३.६ विरोधी दलों के साथ टकराव की कांग्रेस की पुरानी नीति पर राजीव गाँधी लौट आये तथा सुधार एवं परिवर्तन की सभी आशाएँ धूल धूसरित हो गयीं. प्रथम दो वर्षों में राजीव गाँधी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि बनाने में व्यस्त रहे तथा अनेक प्रमुख देशों का दौरा किया परन्तु इनका परिणाम उलटा ही हुआ.

३.७ अमेरिका का पाकिस्तान को संरक्षण तथा उसे सिर से पैर तक आधुनिक तथा घातक हथियारों से सुसज्जित करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप सारे देश में अमेरिका की नीतियों के प्रति रोष प्रकट किया जाना स्वाभाविक था. अमेरिका ने सभी भारतीय विरोधों को अनदेखा किया. समझौते के अन्तर्गत सुपर कम्प्यूटर देने की बात तय होने के बाद भी अमेरिका सरकार द्वारा भारत को सुपर कम्प्यूटर बेचने के बारे में अनिश्चितता की स्थिति ने भी भारतीयों की

भावनाओं को ठेस पहुंचायी. इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि रूस परस्त गुट को प्रोत्साहन मिला और भारत का रूस के साथ संबंध और भी घनिष्ठ हुआ. इस स्थिति में ऐसे गुट के प्रभाव से बचने के लिये काफी साहस और बुद्धिमत्ता की जरूरत लगेगी. अमेरिका की अव्यावहारिक नीतियों से दूर रहने के प्रयास में हम दूसरे गुट के प्रभाव में न फंसे जिसने अपनी ही प्रजा को स्वातंत्रय से वंचित रखा है. मानव अधिकारों को कुचला है, पोलंड में स्वतंत्र मजदूर संगठन सालिडेरिटी का गला घोंटा है, अफगानिस्तान पर कब्जा लिया है और शस्त्र की दौड में सहभागी हैं. ये सब बातें जनतंत्र विरोधी और बिस्तारवादी हैं. गरम तवे से बचने के लिये हम आग में न गिरें.

राष्ट्रीय एकता को खतरा

३.८ इस कालावधि में राष्ट्रीय एकता की भावना को बहुत बड़ा धक्का लगा है क्योंकि प्रतिक्रियावादी ताकतें तथा आतंकवादी शक्तियाँ खास तौर पर पंजाब में सक्रिय रहीं है. कुछ मुट्टी भर सिख नवयुवकों ने जरनैल सिंह भिन्डरांवाले के नेतृत्व में गूरूद्वारों को, अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर को भी, आतंकवादियों का अड्डा बना दिया है तथा यहाँ से इन्होंने निर्दोष व सीधे-सादे लोगों की हत्या कर भय तथा आतंक का वातावरण बना दिया है. सैंकड़ों गैर सिख हिन्दू निर्दयतापूर्वक कत्ल किये गये ताकि उनमें भय व्याप्त हो, जातीय तनाव उत्पन्न हो, और वे राज्य छोडकर भाग जायें. इसके बाद उन्होंनें उन सिक्खों को भी नहीं छोडा जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं रखते थे. ये साफ जाहिर है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान के अन्दर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा हथियार एवं अन्य प्रकार की मदद आतंक फैलाने के लिये दिये जा रहे हैं. इनकी गतिविधियाँ केवल पंजाब की सीमा में ही सीमित नहीं है बल्कि यें पडौसी राज्य दिल्ली एवं दूरस्थ महाराष्ट्र के पुणे तक पहुंच गयी. जो इनके गोलियों से शहीद हो गये उनमें सर्वश्री लोंगोवाल, श्री ज्ञान सिंह, एस.एस. मनचन्दा, ललित माकान, अर्जुनदास, रमेशचन्द्र, हरवंशलाल खन्ना, अर्जुन सिंह मस्ताना, सन्त सिंह गिल, जनरल ए.एस. वैद्य, हंसराज सेठी, सुदर्शनभुंजल, दलबीर सिंह के नाम प्रमुख है. बस यात्रियों की जघन्य हत्या, जो कि तीन विभिन्न घटनाओं में ६ एवं ७ जुलाई १९८७ को हुयी, ने सम्पूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया.

३.९ बैंकों को लूटा गया अन्य कार्यालयों से रुपया आतंकवादियों को अर्थिक मदद देने के लिये लूटा गया. ऐसा केवल पंजाब में ही नहीं हुआ बल्कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कई अन्य प्रान्त भी अछूते न रह सके.

३.१० यद्यपि इन अमानवीय तथा निरन्तर जारी रहने वाली हत्याओं के कारण सैकड़ों लोग पंजाब छोडकर पडौसी राज्यों हरियाणा तथा दिल्ली में चले गये परन्तु लोगों की इस बात के लिये प्रशंसा करनी पडेगी कि लोग सामूहिक रूप से बडे पैमाने पर प्रान्त से बाहर नहीं गये. न कहीं जातीय दंगे हुये, यद्यपि कुछ स्थानों पर लोगों ने बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया.

३.११ खास तौर पर नियुक्त किये गये डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस श्री जे.एफ. रिबैरो के सफल निर्देशन में तथा योजना बद्ध ढंग से पुलिस ने इन आतंकवादियों का सफल सामना किया. परिणामस्वरूप कई अफसरों तथा पुलिस के सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी. यहाँ तक कि रिबैरो भी उनके घातक आक्रमण से बाल-बाल बचे. अनेको. आतंकवादी भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये तथा कई अन्य गिरफ्तार भी किये गये. पंजाब की अकाली सरकार लोगों में साहस संचित करने में काफी कमजोर साबित हुयी क्योंकि इसके विभिन्न घटकों में गहरी दरारें थी यहाँ तक कि कुछ मंत्रियों की आतंकवादियों से सांठ-गांठ भी थी ऐसा लगता था.

३.१२ आखिर में केन्द्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा.

३.१३ विदेशों में रहने वाले सिक्खों का एक समुदाय खास तौर पर ब्रिटेन, कनाडा तथा अमेरिका के सिक्ख इन आतंकवादियों की आर्थिक मदद करते रहे हैं. एवं उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनकी जरूरत भारतीय अपराध कानून के अन्तर्गत भारत सरकार को रही है. इनमें से कुछ लोगों को उन देशों में गिरफ्तार भी किया गया है तथा सजायें भी सुनाई गयीं हैं क्योंकि उनके विरूद्ध भारतीय नेताओं की हत्या का षडयन्त्र रचने का या भारतीय हवाई जहाजों में बम रखने का अपराध सिद्ध हो गया था.

३.१४ अनेकों संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने हिन्दू-सिक्ख भाई-चारे की भावनाओं को बनाये रखने के लिये तथा भय भ्रमित लोगों के साहस को बनाये रखने के लिये अद्वितीय कार्य किया है. इस क्षेत्र में अग्रणी तथा सराहनीय कार्य करनेवाली संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, विश्व हिन्दू परिषद जिन्होंने साधू सन्यासियों का एक जत्था भेजा था, बाबा आम्टे जिन्होंने भारत जोड़ों आन्दोलन को चलाया, सुनील दत्त एम.पी., जैनमुनि आचार्य श्री तुलसी की भूमिकायें प्रमुख रही हैं. सभी केन्द्रीय मजदूर संगठन जिनमें भारतीय मजदूर संघ भी शामिल है, ने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में रैली तथा प्रदर्शन किये जिसमें सिक्खों तथा गैर सिक्खों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता के सन्देश को जन-जन तक पहुंचाया. इसका महत्वपूर्ण असर पंजाब के लोगों पर भी पड़ा जिनमें मजदूर भी शामिल है. अभी भी पंजाब भा.मा. संघ की इकाई शान्ति मार्च तथा एकता सम्मेलनों का आयोजन करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है. इससे लोगों में भाई-चारे की भावना बढ़ रही है.

३.१५ अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है. अलग गोरखालैण्ड की मांग राष्ट्रीय एकता के लिये एक खतरे का निशान है. गोरखानेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट द्वारा चलाया जाने वाला आन्दोलन वास्तव में हिंसा में परिणित हो गया है.

३.१६ पूर्व तथा उत्तर पूर्व में विदेशी मिशनरि भारत के विरूद्ध जन-जातियों में भावनायें भर रहे हैं. उनमें से कुछ को देश से बाहर जाने का आदेश भी देना पडा है. अलग झारखण्ड राज्य की मांग भी इन विदेशी मिशनरियों की कार्यवाही का एक अंग है जो समाज सेवा के छन्दमवेश में भारत में फूट डालने का कार्य कर रही है.

सरकारी छवि में गिरावट

३.१७ सत्ता में आने पर राजीव सरकार की शुरूआत अच्छी रही, परन्तु शीघ्र ही वह अनेक एक के बाद उठे विवादों तथा सौदों में तथाकथित हुए भृष्टाचार के आरोपों में फंस गयी. राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने महसूस किया कि प्रधानमंत्री जानबूझकर उनकी अवमानना करते हैं. कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर न तो उनकी राय जानी जाती है ना ही उन्हें उनके बारे में सूचित किया जाता है. इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों का राष्ट्रपति से छुपाना संविधान की अवमानना है. अभी राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुख के बीच उठा संवैधानिक विवाद, शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नये विवाद जिसमें एक निजी अमेरिकी जासूसी संस्था की सेवायें देशी आर्थिक अपराधी जो देश का धन बाहर जमा करा रहे हैं, की खोज हेतु ली गयी थी - उठ खडा हुआ. विवाद में इस तरह की संस्था की सेवायें प्राप्त करने की अनुकूलिता पर प्रश्न चिन्ह था. निवर्तमान वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने - जिनके समय काल में इस प्रकार की संस्था की सेवायें अर्जित की गयी थी - इसका स्पष्ट समर्थन किया और कहा कि यह सरकार की बडे आर्थिक अपराधियों को, जो अनिर्बाध गैर कानूनी आर्थिक अपराधों में संलिप्त हैं, पकडने एवं दण्डित करने वाली नीति के अनुकूल है.

३.१८ इस समय तक बड़े व्यापारिक घराने कांग्रेस दल पर अपना पूरा प्रभाव जमा चुके थे. उन्होंने श्री वी.पी. सिंह के विरूद्ध सुनियोजित अभियान चलाकर उन्हें वित्त मंत्रालय से हटवाकर रक्षा मंत्रालय में भिजवाने में सफलता प्राप्त कर ली. आखिर में उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा परन्तु इससे पूर्व वे जर्मन पनडुब्बी सौदे में हुयी तथाकथित घौटाले के विरूद्ध जांच बैठा गये. इससे सरकार एकदम शिकस्त में आ गयी. दूसरा विवाद उस समय उठ खड़ा हुआ जब स्वीडिश रेडियो ने अपने एक प्रसारण में अपने ही देश की निजी कम्पनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया कि उसने हाविटजर तोपों की दलाली में भारतीय राजनीतिज्ञों एवं ऐजेन्टों को करोडों डालर की रिश्वत दी है. हालांकि सरकार ने इस प्रकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया, परन्तु सरकारी छवि को बहुत बड़ा धक्का लग चुका था तथा सरकार की विश्वासनीयता काफी गिर चुकी थी. इसके जबाब में क्रांग्रेस दल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह विदेशी सरकारों की अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का अंग है जिसके अन्तर्गत उनकी सरकार को गिराने का प्रयत्न किया जा रहा है. परन्तु इससे वस्तु स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

३.१९ बोफोर्स कम्पनी का यह विवाद दिन-प्रतिदिन दिलचस्प मोड़ ले रहा है. बोफोर्स कम्पनी के दो उच्च पदाधिकारियों ने भारत का दौरा किया है तथा उनके द्वारा पेश की गयी सफाई ने विवाद को शान्त करने के स्थान पर और अधिक समस्यात्मक कर दिया है. संसद समिति जो इस घौटाले की जांच करने के लिये बिठायी गयी थी उसका विरोधी पार्टियों ने बाइकाट किया. इसलिये सरकार द्वारा गठित संसदीय दल एक पक्षीय बनकर रह गया, इसलिये वह लोगों का अविश्वास दूर करने में प्रभावकारी भूमिका अदा नहीं कर सका.

साम्प्रदायिकता का जहर

३.२० देश विभाजन, साम्प्रदायिक घृणा का परिणाम था, उसी समय में साम्प्रदायिकता अपने विष चारों तरफ फैलाकर देश को फिर से विभाजन की ओर ले जा रही है. साम्प्रदायिक दंगे छुट-पुट रूप में इधर-उधर होते रहे हैं तथा अपना विस्तार करते रहे हैं. इस समयावधि में साम्प्रदायिकता का प्रभाव एवं गंभीरता जो मुस्लिम कट्टरता के आन्तरिक एवं बाह्य प्रभावों के कारण बढ़ी, खतरनाक स्थिति तक पहुंच गयी. जब उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में मुस्लिम विच्छेदित महिला को अपने पूर्व पति से निर्वाह भत्ता का हकदार ठहराया तब मुल्ला एवं मौलवियों ने चारों तरफ से शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि यह कुरान के नियमों के खिलाफ है और मुस्लिम निजी अधिकारों का हनन है.

३.२१ सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय के विरूद्ध भावनायें उभारी गयी तथा देश भर में इसके विरूद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया एवं कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. परिणामतः आसाम विधानसभाई क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी हार गयें. यह सरकार को चिंतित करने के लिये पर्याप्त था. सरकार ने अपने तरीके से मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने के लिये भारतीय अपराध दण्ड संहिता के सेक्शन १२५ में संशोधन कर मुस्लिम महिला कानून-तलाक अधिकारसंरक्षण-अधिनियम पास कराया जिससे कट्टरवादी मुस्लिम तुष्ट हो सकें. इससे राष्ट्रीय विचार धारा के मुसलमानों की भावनाओं एवं मौलिक मान्यताओं को गहरी ठेस लगी. विशेषतः उन गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो उच्चतम न्यायालय के फैसले की पक्षधर थीं. सरकार का उक्त फैसला कट्टरवादियों के लिये प्रेरक सिद्ध हुयी. कांग्रेस सरकार का कट्टरवादियों के सम्मुख आत्म समर्पण ने कट्टरवादियों के दमखम और बढ़ा दिये तथा उनकी रक्त पिपासा और बढ़ा दी.

३.२२ जब उ.प्र. जिला अदालत ने प्राचीन राम जन्म भूमि मन्दिर, जो अनेकों वर्ष से बन्द रहा, के बारे में घोषणा की कि कोई भी अदालतीय निर्णय मौजूद नहीं है जिसके अन्तर्गत तालाबन्दी का आदेश दिया गया हो. अतः मन्दिर का ताला खोला जाय और हिन्दुओं को पूजा करने के लिये मुहैय्या कराया जाये. इस निर्णय के विरूद्ध कट्टरपन्थी मुसलमान फिर से उठ खड़े हुये, दंगे भडके तथा अनेक निर्दोषों का रक्त बहा. कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा व अपवित्र किया गया. सरकार की भ्रमित एवं कमजोर नीति न सिर्फ साम्प्रदायिकता को रोकने में असफल रही अपितु परोक्ष रूप में कट्टरवादियों को बढ़ावा देने वाली सिद्ध हुयी.

३.२३ हिन्दु जाति को पिछड़ी जातियों तथा सवर्ण जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है. जब कभी भी मौका पड़ता है आगजनी, लूटमार एवं हत्यायें की घटनायें अस्तित्व में आती रहती हैं. इससे साम्प्रदायिकता की आग भडकती ही रहती है. यहाँ तक कि बेंगलोर से प्रकाशित एक दैनिक की कहानी जैसी घटनाओं से भी साम्प्रदायिकता की घृणा की ज्वाला भडक उठती है. यह कट्टरवादी राष्ट्रीय शक्ति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास करते रहते हैं जिससे कि

देश के भाग्य पर अपना अधिकार जमा सकें. एक सिद्धांतहीन एवं कमजोर सरकार को ऐसी घटनायें रोकना असंभव है, समूल नष्ट करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. इस दिशा में सार्थक प्रयत्न सिर्फ सही दिशा में सोचने वाले सभी जाती के राष्ट्रवादी लोग ही कर सकते हैं.

लोकतंत्र को खतरा

३.२४ यह दुःख की बात है कि एक लम्बे समय से चले आ रहे प्रतिष्टित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना की जा रही है. अभी कुछ समय पूर्व जब ८५-८६ का बजट पास होना था पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में अचानक वृद्धि कर दी गयी. इसीतरह दिसम्बर १९८६, जनवरी १९८७ में रेल भाडे एवं डाकदारों में वृद्धि की गयी. चुने हुये प्रतिनिधियों की अवहेलना करके ऐसा किया गया. कई राज्यों में विधान सभाओं का अधिवेशन मात्र औपचारिकता बन कर रह गया है. इनका अधिवेशनकाल अल्प होता है. केवल कानूनी औपचारिकतायें पूरी की जाती है. कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं होता. बिहार सरकार के अध्यादेशों के द्वारा सरकार चलाने के प्रयासों की निंदा उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में की है. प्रेस की स्वतंत्र विचार धारा को कुचलने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं. अखबारों के दफ्तरों, पत्रकारों के घरों पर छापे डाल कर उन्हें डराया, धमकाया जा रहा है. श्री एस. बालसुब्रह्मण्यन को तमिलनाडु विधान सभा ने जब जेल में बन्द कर दिया तो उसके खिलाफ देश भर में आवाज उठी, और उनको रिहा करना पड़ा. वे प्रतिष्ठित तमिल साप्ताहिक पत्रिका आनंद विकटन के संपादक हैं.

प्रकृति की रूष्टता

३.२५ मानसून कई वर्षों से धोखा दे रहा है. इससे परेशानियाँ और बढ़ रही है. देश का एक बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में है. पीने का पानी कई शहरों और ग्रामीण आंचलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. केरल जैसा प्रान्त पहली बार सूखा ग्रस्त घोषित हुआ है. इस कारण बिजली सप्लाई उत्पादन में बाधा आ रही है. दूसरी तरफ देश के कुछ भागों में जैसे आसाम, बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से भयंकर बाढ़ के चपेट में आ गये हैं.

आर्थिक दशा

३.२६ हमारी आर्थिक स्थिति भी शोचनीय बनी हुयी है. तीन लगातार बजट अधिक से अधिक घाटे में परणित हुये हैं. वर्तमान बजट का घाटा ५,६०० करोड़ संभवतः इस वर्ष के अन्त तक १० हजार करोड रु. से भी ऊपर पहुंचने की संभावना है. यद्यपि सरकार देश को इसके न होने के बारे में आश्वास्त कर रही है. आयकर की सीमा को बढ़ाने से मध्यम वर्गीय परिवार जो वेतन भोगी है, उन्हें कुछ राहत मिली थी. कर वसूली अभियान से भी कुछ अच्छे परिणाम निकले थे. इससे ४० प्र. से अधिक कर वसूली हो सकी. मोडवाट पद्धति से कर लगाने से उत्पादन कीमत में कमी आयेगी, ऐसी आशा की गयी परन्तु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं . सरकार ने स्वयं पेट्रोलियम उत्पादनों की कीमत में वृद्धि की जबकि अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में कच्चे तेलों की कीमत में काफी गिरावट आयी थी. ऐसा रेल भाडे, डाक दरों, दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, मूल्यों को नियंत्रित करने की व्यवस्था न होना, इन कारणों से कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी १९८४ में ५६३ के अंकों से बढ़कर जनवरी १९८७ में ६८८ तक पहुंच गया और सितंबर १९८७ में ७४५ अंक पर है.

३.२७ सातवीं पंचवर्षीय योजना जिससे आशा की जाती थी कि वह रोजगार ढूंडनेवालों से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कराने में सफल होगी, अभी तक लुका-छिपी का खेल ही खेल रही है. औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बन्द होना, तालाबन्दी, ले-ऑफ तथा कर्मचारियों की छंटनी में वृद्धि हुयी है. कपड़ा जूट तथा इन्जीनियरिंग संस्थायें, यहाँ तक कि लघु उद्योग भी डगमगा रहे हैं. विवेकहीन कम्प्यूटरीकरण ने बैंक तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नये रोजगार के अवसर घटाये हैं. सार्वजनिक क्षेत्रों में नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है.

३.२८ सार्वजनिक क्षेत्र की दशा चिन्ताजनक है. सरकार की नीतियाँ इस क्षेत्र के प्रति पूर्णतया भ्रामक सिद्ध हुयीं हैं जबकि इस क्षेत्र से आशा की जाती है कि यह भारतीय आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करेगा. सरकारी घोषणाओं में विरोधाभास है. केन्द्र साफ तौर पर एक तरफ यह घोषणा करता है कि अब किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अधिग्रहण नहीं करेगी एवं वर्तमान सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पूंजीपतियों के हवाले कर निजी करण किया जायेगा. दूसरी तरफ मौखिक तौर पर सरकार इस बात की कसम खाती है कि वह सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बनाये रखेगी. इन प्रतिष्ठानों के संचालन में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है. निर्णय लेने में देरी, व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रबंध, ठेकेदारी तथा नीजीकरण का प्रयास इन सबने मिलकर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिये एक अस्वस्थ वातावरण का निर्माण किया है. इन सब के होते हुये यह सहज है कि कई प्रतिष्ठाने घाटे में चल रहे हैं.

३.२९ कर्मचारियों की प्रबंध में भागीदारी अनेक अर्थों में औपचारिकता मात्र बन कर रह गयी है. इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

श्रमिक क्षेत्र

३.३० केन्द्रीय मंत्रालयों में श्रम मंत्रालय एक ऐसा है जिसको बहुत कम महत्व दिया जा रहा है. कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री इस विभाग की देखरेख के लिये नहीं है.

३.३१ राज्य श्रम मंत्री के पद पर बार बार अल्पकाल में मंत्रियों के बदला जाना इतना अधिक हो गया है कि इसका हिसाब रखना मुश्किल है.

३.३२ श्री अंजैया के समय में जो मुख्य बात घटी वह है, १४ वर्षों बाद फिर से भारतीय श्रम सम्मेलन को संयोजित किया जाना, तथा स्टैण्डिंग लेवर कमेटी को पुनर्जीवित करना है. यद्यपि यह आश्वासन दिया गया था कि हर साल श्रम सम्मेलन होगा पर नवम्बर १९८५ के बाद फिर कभी इसका कोई अधिवेशन सत्र नहीं बुलाया गया. सितम्बर १९८६ में स्टेण्डिंग

लेबर कमेटी की बैठक भी सिर्फ एक बार बुलायी गयी. कन्वेन्शन कमेटी की वर्ष में दो बार बुलाये जाने की जो परम्परा थी वह पिछले चार वर्षों में समाप्त हो गयी है.

३.३३ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) जारी ही है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार बनाम तुलसी राम पटेल प्रकरण में निर्णय दिया कि भारत सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना जांच किए कुछ परिस्थितियों में सेवामुक्त कर सकती है या उसकी पदावनति कर सकती है. इससे कर्मचारियों के अर्जित अधिकारों को खतरा पहुंचा है.

३.३४ वर्तमान श्रम मंत्री श्री. पी.ए. संगमा के प्रारंभ में कुछ तुरन्त निर्णय लेने के कारण एक नई आशा बंधी परन्तु दुर्भाग्य यह कि ज्यादा समय नहीं रही. वह श्रम कानून में बदल लाने का सोच रहे हैं. जिससे मजदूरों को अपने पंसदगी का श्रमसंघ गठित करने में और हड़ताल के अधिकार को चलाने में कठिनाई आने वाली है. इसके कारण मजदूर परेशान है. १९६० के आधार वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूच्यकांक की जगह १९८२ के आधार वर्ष पर तय किये गये नये सूच्यकांक लाने का प्रयास किया जा रहा है. सुच्यकांक के बारे में रथ कमिटि ने जो सर्वसम्मत शिफारिसें की थी उन को स्वीकार करके सुचकांक बनाने की पद्धति में सुधार लाये बिना ही यह सब हो रहा है. मजदूरों की दृष्टि से यह उनकी कमाई को घटाने का प्रयास है और वे इस बारे में अस्वस्थ हैं.

३.३५ श्रम मंत्रालय मजदूरों की किसी भी समस्या को सुलझाने से अपने पैर पीछे हटा रहा है और जब कभी भी निर्णय लिये जाते हैं वह मजदूरों का विश्वास अर्जित करने में असफल रहते हैं. चीनी मिल मजदूरों से वादा किया था कि उनके महंगाई भत्ते की दर औद्योगिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर के बराबर रु. १.६५ की जायेगी. तब से एक वर्ष बीत गया है और मजदूर अभी तक अपने कथित फायदे का इन्तजार कर रहे हैं.

३.३६ सीमेन्ट मजदूरों की मांग के समबन्ध में सरकार ने सीमेन्ट उत्पादकों के संघ और एक मजदूर संघ के साथ हुये समझौता स्वीकार कर मजदूरों की मांगों को पंचायत मंडल को सौंपा है. इससे अन्य महा संघों की ओर दुर्लक्ष्य किया गया और सरकार का पक्षपाती धोरण स्पष्ट हुआ है.

३.३७ ब्यूरों ऑफ पब्लिक इन्टर प्राइजेज के समय-समय पर दिये गये निर्देशों के बारे में, जिनको मजदूर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, श्रम मंत्रालय असहाय सा प्रतीत होता है. बी.पी.ई. के निर्णयों के अन्तर्गत जब पब्लिक सेक्टर यूनिट के अफसरों एवं सूपरवाइजर्स केवेतनमानों में १-१-८६ से वृद्धि की गयी तो मजदूरों में तीव्र प्रतिक्रिया हुयी और सरकार को बाध्य होकर मजदूरों को भी उसी दर पर अन्तरिम राहत देने पर मजबूर होना पड़ा. इसके बावजूद भी वी.पी.ई. ने केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के मध्य सम्पन्न समझौते का शरारत पूर्ण अनर्गल अर्थ निकाल कर मामले को लटकाये रखा. पिछले समझौतों का काल समाप्त हो के

कई महीने बीतने पर भी कई प्रतिष्ठानों के वेतन समझौते के लिये अभी बात चीत शुरू नहीं हुयी है.

३.३८ केन्द्रीय श्रम विभाग इस बात पर राजी हो गया था कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सदस्यता १९८६ के दावे के आधार पर सत्यापित की जायेगी परन्तु समझौते के एक वर्ष के पश्चात भी श्रम मंत्रालय ने कोई भी प्रयास सदस्यता सत्यापन की प्रक्रिया में नहीं किया है.

३.३९ १८ महीने की समयावधि के पश्चात भी चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के कारण उत्पन्न हुयी केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवाशर्तों में आयी अनेक विसंगतियों का कोई भी हल नहीं हुआ है.

३.४० बैंकिंग व्यावसाय में भारतीय बैंक एसोसियेशन ने एन.ओ.बी.डब्ल्यू. (जो भामस से संबद्ध है) के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया है. क्योंकि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. संगणकीकारण समझौते पर हस्ताक्षर करने को राजी नहीं हुआ था. श्रम मंत्रालय एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के द्वारा उसके पक्ष में दिये गये अनेकों तर्कों के बावजूद आई.बी.ए. को समझाने में विफल रहा है.

३.४१ सदस्यता के प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर भा.म.स. - रेल्वे, इस्पात, प्रतिरक्षा एवं अन्य उद्योगों में सबसे बड़ा संगठन है परन्तु इस सत्य को संबंधित मंत्री स्वीकार नहीं कर रहे और भामस को सामूहिक सौदेबाजी से अलग रखते हैं. वास्तव में श्रम मंत्रालय अपने ही सत्यापित सदस्यता को अन्य मंत्रियों से मनवाने या लागू करवाने में असफल रहा है.

३.४२ राज्यों की भी स्थिति भिन्न नहीं है. श्रमिक समस्याओं को सुलझाने की कानूनी प्रक्रिया धीमी होने के कारण श्रमिकों को मात्र ढकोसला लगती है. इसकी उपयुक्तता से श्रमिकों का विश्वास उठ गया है. कही पर भी उचित संख्या में श्रमिक न्यायालय नहीं है सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर गंभीर नहीं है. जहां पर न्यायाधीश है भी वहाँ पर न्याय प्रक्रिया चींटी की चाल से चलती है.

३.४३ इन परिस्थितियों में श्रम मंत्रालय श्रमिकों का विश्वास खो चुका है. वह दिन स्वप्न मात्र लगते हैं जब सर्व श्री अम्बेडकर, गुलजारीलाल नन्दा, वी.वी. गिरी या बाबू जगजीवन राम जैसे श्रेष्ट लोग मंत्रालय को सुशोभित करते थे.

३.४४ मैं सरकार के कुछ कार्यों की सराहना भी करता हूँ. भोपाल गैस त्रासदी के तुरन्त बाद वर्तमान श्रमिक सुरक्षा कानूनों का पुनरावलोकन शुरू हो गया. अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संस्था की मदद से सर्वकश सुरक्षा कानून बनाये जा रहे हैं. मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही पारित हो जायेंगे तथा गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से इन्हें लागू भी कराया जायेगा.

३.४५ श्री संगमा जी ने बाल श्रमिकों की दयनीय स्थिति के सुधार के प्रति अपनी गहरी

चिंता दिखायी और असहाय बाल श्रमिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिये संसद में एक कानून लाया.

३.४६ सरकार ने दो राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन किया है. एक ग्रामीण रोजगार से संबंधित है तथा दूसरा स्वोद्योगी महिलाओं जिसमें असंगठित क्षेत्र की महिलायें भी आती है, के बारे में है.

३.४७ इन आयोगों के अध्यक्ष पद पर योग्य व समक्ष व्यक्ति है. और हम इन आयोगों के फलश्रुति की उत्सुकता से देख रहे हैं.

३.४८ बहुत से औद्योगिक क्षेत्र जैसे सूतीकपड़ा, जूट, इन्जीनियरिंग, इत्यादि कठिन दौर से गुजर रहे हैं. इन औद्योगिक इकाइयों की बीमारी की हालत के लिये इनका प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है. रिजर्व बैंक के एक अध्ययन से इनके कारणों को स्पष्ट किया है. अभी अभी सरकार ने बीमार मिलों को श्रमिक कापरेटिव सोसाइटियों को सुपुर्द करने का अपना इरादा व्यक्त किया है. इस बात की मांग भामस हमेशा करता रहा है. बम्बई की बन्द श्रीनिवास सूती मिल के मजदूरों ने भामस के नेतृत्व में अपने भविष्य निधि से कुछ राशी को मिल में लगाने के लिये सिद्धता दिखाई जिससे कि बन्द मिल दुबारा शुरू हो सके. सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के सभी प्रयास लाल फीताशाही तथा सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण असफल हो गये हैं. अब जबकि सरकार एन.टी.सी. मिल चलाने के लिये श्रमिक कोआपरेटिव स्कीम को लागू करने पर विचार कर रही है हम आशा करते हैं कि वह श्रीनिवास मिल के मजदूरों की प्रार्थना पर पुनर्विचार करेगी.

राष्ट्रीय गर्व की उपलब्धियाँ

३.४९ कुछ व्यक्तियों और समूहों के द्वारा सफलतायें राष्ट्रीय गर्व का विषय है.

३.५० स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री होना, केप्टेन हर्षजीत सिंह की कश्मीर से कन्याकुमारी तक अत्यन्त हल्के हस्तग्लाईडर की मदद से यात्रा, तृष्णा नामक नाव द्वारा सम्पूर्ण विश्व की यात्रा जिसका नेतृत्व लैफ्ट. कर्नल के.एस. राव ने किया.

३.५१ खेल के क्षेत्र में सुनील गवस्कर द्वारा पुराने रिकार्डस को तोडना, चेतन शर्मा व अजुरूद्दीन की हैट ट्रीक्स, बेन्सन एण्ड हैजस चैम्पियनशिप को भारतीय टीमने जीतना, पी.टी. उषा, वलसम्मा, शाइनीअब्रहम और वन्दनाराव इत्यादि स्त्री खिलाडियों द्वारा स्वर्णपदक प्राप्त करना.

३.५२ पर्वतारोहण में फू दोर्जी तथा कुमारी बचेन्दी पाल ने रिकार्ड स्थापित करना, दो युवतियों, अनिता सूद एवं आरती प्रधान ने इंग्लिस चैनल तैर कर पार करना और कप्तान दुर्बा बेनर्जी का प्रथम महिला पायलट बनना, जिसने १८,००० घण्टे उडान का रिकार्ड स्थापित किया.

३.५३ बाबा आमटे को मेगसाय साय पुरस्कार मिलना यह कुछ ऐसे उत्तम बातें हैं जो माँ भारती को कीर्ति प्राय हैं.

भामस परिवार का विस्तार

४.१ अपने पूर्व महामंत्री श्री बडे भाई का भारत भर में सतत प्रवास, उसके कारण संगठन में नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ आया हुआ संपर्क और अथक परिश्रम के कारण इस अवधि में भामस की द्रुत गति से प्रगति हो गयी है. आज वह यदि होते तो इसे देख कर खुश और संतृप्त होते. मगर विधि का विधान और ही कुछ था, और उनका स्मृतिग्रंथ हमें प्रकाशित करना पड़ा है. इस ग्रंथ से उनके बहुरंगी व्यक्तित्व और गुणों के ऊपर काफी प्रकाश पड़ा है और यह प्रयास सफल रहा है ऐसा मैं मानता हूँ. यदि कोई त्रुटियाँ रह गयी है तो उसके लिये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और प्रकाशन में जो विलंब हुआ उसके लिये भी क्षमाप्रार्थि हूँ.

४.२ १९८० के दावों के आधार पर श्रम संगठनों की सदस्यता का जो सत्यापन हुआ उसमें हम १२ लाख से अधिक सदस्यता के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं. (इस सदस्य संख्या में डाकतार विभाग की करीब १.५ लाख सत्यापित सदस्य संख्या मिलाई नहीं गयी) १९८६ के दावों के आधार पर जो अब जाँच होगी इसमें हम पिछली सत्यापित सदस्य संख्या से काफी आगे बढ़ेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं १९८० के सत्यापन का सभी संगठनों का तुलनात्मक परिणाम परिशिष्ट १ में आप पायेंगे.

४.३ १९८६ की अपनी सदस्य संख्या ३० लाख को पार कर गयी है (देखिये परिशिष्ट २).

४.४ भामस का कार्य सभी प्रदेशों में और सभी उद्योगों में साधारण तया एक जैसा फैला है. यह उसकी एक विशेषता कही जा सकती है. कार्यरत औद्योगिक महासंघों का विस्तार तो हुआ ही है मगर दो चार नये महा संघ भी बने हैं जैसे कि कागज और कागज बोर्ड मजदूर संघ, राष्ट्रीय जल विद्युत मजदूर संघ, राष्ट्रीय ताप विद्युत मजदूर संघ. खाद्य निगम में भी एक महा संघ बनाने के प्रयास चालू है.

४.५ जिला समितियों की संख्या बढ़ी है जिससे की संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ है.

४.६ अखिल भारतीय स्तर पर निम्न आन्दोलन, शैक्षणिक कार्यक्रम लिये गये.

१. भोपाल का पुनरावर्तन न हो दि. ३-१२.८५ को
२. राष्ट्रीय एकता दिन ११-५-८६
३. मूल्यों को घटाओ दिन अक्टोबर १९८१
४. उपभोक्ता सूचकांक की नई मालिका क्यों नहीं जुलै-अगस्त १९८७ में
५. १९८४ को संगणकीकरण विरोधी वर्ष माना गया और १ मार्च को मजदूर रैलियाँ ओयोजित की गयी.

४.७ भामस के इशारे पर जो कार्यक्रम हुये, उन के अलावा संबद्ध महासंघों ने भी अकेले में या दूसरे संगठनों के साथ मिलकर आन्दोलनात्मक कार्यक्रम संपन्न किये, इनमें - डाकतार, रेल, प्रतिरक्षा और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर १९८४ की सितम्बर २६ को एक दिन के सांकेतिक हड़ताल को पुकारा. इसे आखरी क्षण में वापसलेना पड़ा क्योंकि सरकार ने कई मांगे मान ली और उसके श्रमविभागने मध्य प्रवेश किया. अगस्त १३ के एक दिन के बैंक अफसरों की हड़ताल में नोबो ने भाग लिया. १९८६ के फरवरी ११ को दिल्ली में परिवहन की दरों को इकाएक बढ़ाने के खिलाफ मजदूर संगठनों ने और राजनैतिक दलों ने दिल्ली बन्द आन्दोलन किया. इसी तरह फरवरी के आखिर में तैलजन्य वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी औद्योगिक भारत बन्द में भाग लिया. सरकारी कर्मचारियों के चतुर्थ वेतन आयोग के रिपोर्ट पेश करने में जो विलंब हो रहा था उसके खिलाफ, बाद में जब रिपोर्ट आया तो उसकी कर्मचारी विरोधी सिफारिशों के खिलाफ आन्दोलन हमारे महासंघों ने चलाये. इसी तरह दूरसंचार विभाग के टेक्निशयनों ने अपने वेतन परिष्करण और विभागीय स्थान मान के ढाँचे को सुधारने के लिये १९८६ के उत्तरार्ध में १९८७ के आरंभ में आन्दोलन किया. अक्तूबर १९८६ में १५ दिन के वेतन का तदर्थ बोनस घोषित किये जाने के खिलाफ प्रतिरक्षा, डाक, तार के कर्मियों ने एक दिन का हड़ताल किया. सिमेन्ट चीनी उद्योगों में कार्यरत महासंघों ने भी हड़ताल किये - ये उल्लेखनीय है.

४.८ बिहार के राष्ट्रीयकृत परिवहन के निजीकरण के सरकार के इरादे के खिलाफ अपने परिवहन महा संघ ने देश भर में राज्य परिवहन निगम के कार्यालयों के सामने नवेम्बर १९८६ में धरना लगाया और दिल्ली में संसद के सम्मुख २३ नवम्बर १९८७ को जबर्दस्त मतप्रदर्शन किया. बैंक कर्मचारियों का महासंघ एन.ओ.बी.डब्ल्यू. ने अन्दा धुन्ध संगणकीकरण के खिलाफ दिल्ली में संसद के सामने प्रचंड प्रदर्शन आयोजित किया और ५०० से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियाँ दी.

४.९ जिले के अन्तर्गत कार्यरत यूनियनों के और महासंघ की इकाइयों में समन्वय करने के लिये अधिक जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित किये गये. सभी जिले इस योजना में जब तक नहीं आते तब तक यह ज्यारी रहेगा.

४.१० इस तरह सभी पहलुओं से भामस की गति विधियाँ बढ़ती गयी है और संगठन मजबूत बन रहा है.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और भा.म. संघ

५.१ सदस्यता सत्यापन में भारतीय मजदूर संघ द्वितीय सर्वाधिक संगठन बनने के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल में मजदूरों के नुमाइंदो को चुनने की पद्धति में भारत सरकार को बदल करना पड़ा. १९८४ के बाद हर साल भामस को प्रतिनिधि

मंडल में शामिल किया जा रहा है. इसके अलावा निम्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भामस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

१. एशियायी क्षेत्रीय सम्मेलन, जकर्ता दिसम्बर, १९८६
२. वेतन भोगी कर्मचारियों की समिति, मई १९८४
३. आंतरिक परिवहन समिति - जनवरी १९८५
४. लकड़ी और जंगलीय उद्योग, सितम्बर १९८५
५. इस्पात समिति - दिसम्बर १९८६
६. निर्माण कार्य और सिविल इंजिनियरिंग समिति मार्च - एप्रिल १९८७

परिशिष्ट ३ में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के नाम दिये गये हैं.

आय.एल.ओ. की मदद से

५.२ आय.एल.ओ. की मदद से हमने चार गोष्ठियाँ आयोजित की. इन में एक दिल्ली में मई १९८६ में और दूसरी १९८७ के एप्रिल अंत में बम्बई में आयोजित हुई. ये दोनों अंतरराष्ट्रीय श्रम मानदंड के विषय पर थे. दिल्ली के कार्यक्रमों में ३४ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बम्बई के कार्यक्रमों में जो केवल महिलाओं के लिये था ३० शिक्षार्थिनि और दो निरीक्षकों ने भाग लिया. आय.एल.ओ. की विविध गतिविधियाँ और उसके मान दंड निर्माण कार्य की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को देने के उद्देश्य से शैक्षणिक वर्ग की भाँती इन्हें आयोजित किया गया था.

५.३ १९८७ के जुलै - अगस्त में बुलढ़ाणा में एक विचार गोष्ठी ग्रामीण श्रमिकों के लिये आयोजित थी जिसमें ४५ ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया. दूसरा राजस्थान के बुन्दी में इस महीने के आरंभ में संपन्न हुआ.

५.४ चारों कार्यक्रम अच्छे सफल रहे. बेंगकोक स्थित आय्.एल.ओ. कार्यालय के श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, दिल्ली कार्यालय के श्री विकास मुजुमदार और एस. सेल्लय्या, क्रमशः दिल्ली, बम्बई और बुलढ़ाणा के कार्यक्रमों में उपस्थित थे. उन के और आय्.एल.ओ. के दिल्ली कार्यालय के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं.

बढ़ते हुये अंतरराष्ट्रीय संपर्क

५.५ भामस किसी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक महासंघ से सम्बद्ध नहीं है. फिर भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ते जा रहे हैं.

५.६ अखिल चीनी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के निमंत्रण पर भामस के एक पाँच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चीन की सौहार्द यात्रा अप्रैल, १९८५ में की. इस में सर्व श्री दत्तोपंत ठेंगडी, मनहर भाई मेहता, ओम प्रकाश अधि, आर. वेणुगोपाल, और रास बिहारी मैत्र सम्मिलित थे. चीन की राजधानी बीजिंग के अलावा उन्होंने कई उद्योगों का संदर्शन किया, सामान्य चर्चा और श्रम संघ संबंधी विचार विनिमय किया. भामस के आर्थिक और श्रमिकों से

संबंधित विचारों से चीनी ट्रेडयूनियन प्रतिनिधि काफी प्रभावित हुये ऐसा लगता है. चीन से वापसी के पहले श्री दत्तोपंतजी ने चीनी राष्ट्र को और मजदूरों को एक सन्देश दिया जो बीजिंग रेडियो ने प्रसारित किया.

५.७ अमरीकी सरकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत सर्वश्री रामप्रकाश मिश्र, शरद देवधर, मदनलाल सैनि और राम भाऊ जोशी ने अलग अलग समय पर अमेरिका यात्रा की और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लिया.

५.८ एशियायी उत्पादकता मंडल ने मलेशिया के कौला लुम्पुर में एकसंगोष्टी नवम्बर १९८६ में आयोजित की थी जिसमें श्री केशुभाई ठक्कर जो राष्ट्रीय उत्पादकता मंडल के सदस्य हैं सम्मिलित थे.

५.९ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बोर्ड सदस्य के नाते श्री ओमप्रकाश अधि, स्वीडन के स्टोकहोम में मई १९८७ में संपन्न सुरक्षा और स्वास्थ्य विषयक अंतरराष्ट्रीय परिषद में भागी हुये.

५.१० केनडा के मोंट्रीयल में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल विषयक एक अंतरराष्ट्रीय परिषद नवम्बर १९८७ में केनडा का श्रमिक संगठन सी.एस्.एन. द्वारा आयोजित थी. उसमें अपने डॉ० हर्षवर्धन गौतम ने भाग लिया.

मजदूर संगठनों की संयुक्त वेदि

६.१ मजदूरों के हित में दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ हाथ मिलाना भामस की पहले से नीति रही है. इंटक ने राष्ट्रीय एकता, विश्वशांति और निश्शस्त्रीकरण और रंगभेद विरोध जैसे मामलों पर श्रम संगठनों की मिली जुली कारवाई के लिये, एक संयुक्त वेदी बनाने के लिये अन्य श्रम संगठनों को नियंत्रण दिया. भामस ने इस दस श्रम संगठनों के संयुक्त मंच को सहर्ष स्वीकार कर लिया. इन विषयों पर भामस का यह प्रयास रहा है कि मजदूरों को सही सकारात्मक जानकारी देना, न कि विरोध या नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना.

६.२ भामस ने राष्ट्रवाद को अपना मूल सिद्धांत शुरू से माना है. राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकात्मता जैसा कार्यक्रम इस कारण हमें अत्यंत प्रिय कार्य बनता है. और १९८६ की ११ मई को जो राष्ट्रीय स्तर का एकात्मता सम्मेलन हुआ उसको सफल बनाने में हमारा योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा. पंजाब में सिख और सिखेतर जनों में स्नेह, सौहार्दता का भाव पैदा करने के कार्य में भी बड़े पैमाने में हमने भाग लिया. मजदूर संगठन प्रायः आर्थिक और सांपत्तिक लाभ जैसे विषयों में ही मग्न रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता का संदेश चारों ओर वितरित करने के कार्य में सक्रिय लग जाना उनके लिये शुद्ध हवा में साँस लेने जैसे स्वास्थ्य और अच्छा परिवर्तन था.

६.३ दक्षिण आफ्रिका के मामले पर एक सम्मेलन संपन्न किया गया, जिसमें वहाँ के काले लोगों को अपने ही देश में स्वायत्त अधिकार पाने के लिये जो आन्दोलन चल रहा है, उसको पूरा समर्थन दिया गया. इस से संतुष्ट न होकर जब उस संयुक्त वेदी ने दक्षिण आफ्रिकाई श्रम संगठनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का सोचा, तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों से सहायता संग्रह करने के कार्य में हमने पूरा सहयोग दिया. जब दक्षिण आफ्रिका से श्रमिक नेताओं का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया तो दिल्ली स्थित अपने केन्द्र कार्यालय में उन को सहर्ष स्वागत दिया गया और बाद में उनको पूरा समर्थन प्रदर्शित करने हेतु एक संयुक्त सभा हुयी, उसमें हमने पूरे जोर से उनके आन्दोलन को नैतिक समर्थन दिया.

६.४ जागतिक शांति के विषय में भी एक संयुक्त सम्मेलन हुआ और एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

६.५ इस तरह केवल भारत के ही नहीं अपितु दुनिया भर के मजदूरों के मन को चिंतित करने वाले मामलों पर भामस ने सक्रिय सहयोग दिया.

६.६ ऐसे संयुक्त कार्यक्रमों में, विषयों को सही ढंग से रखने की आवश्यकता बहुत हैं क्योंकि प्रचारात्मक, पक्षपात पूर्ण और राजनैतिक दृष्टि से वे कलुषित न हो जाय. भामस ने अपने ही ढंग से इसे किया है.

राष्ट्रीय अभियान समिति

६.७ इस कार्यकाल में आठ श्रम संगठनों की संयुक्त राष्ट्रीय अभियान समिति काफी क्रियाशील रही. महंगाई भत्ते के दर को बढ़ाने बाबत माँग को उजागर करने १९८४ के अप्रैल १८ को संसद के सामने दूसरा विशाल जन मोर्चा का आयोजन किया गया. इसमें भामस का पात्र बहुत बढ़िया रहा यह विनम्रता से हम कहना चाहते हैं.

६.८ महंगाई भत्ते के दर को बढ़ाने के लिये जो त्रिपक्षीय समिति बनी थी. उसमें मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के लगातार प्रयास के कारण सरकार को अपना कठिन रूख नरम करना पड़ा और उसने उस समय के दर रु० १.३० को बढ़ाकर रु० १.६५ घोषित किया.

६.९ १९८६ की फरवरी १ को, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत जब काफी गिरी थी, सरकार ने तेलजन्य पदार्थों की कीमत एकदम बढ़ाई. आमजनता ने रोष में आकर इसका कडा विरोध किया. रा.अ. समिति ने इस अवसर को हाथ से जाने न दिया और २६ फरवरी को सारा औद्योगिक भारत बन्द करवाया जो बहुत सफल रहा.

६.१० १९८६ के अक्तूबर में रा.अ. समिति ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के यूनियनों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जिसमें एक लंबा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. इस प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की उदासीनता, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण का प्रयास, बडी मात्रा में मजदूरों को अतिरिक्त घोषित करके उनके छटनी की धमकी इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया था. प्रस्ताव में मजदूरों को ऐलान दिया था कि नवंबर २१ को,

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करो दिन मनाया जाय, स्मरण पत्र पर मजदूरों के हस्ताक्षर लेकर मजदूरों की मांगों को सरकार के हाथ सौंपा जाय और १९८७ के २१ जनवरी को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में एक दिन की हड़ताल की जाय.

६.११ इसको बहुत बढ़िया प्रतिसाद मिला. प्रमुख अखबारों ने सम्मेलन की मांगों को काफी प्रकाशित किया. सारे देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करो दिन मनाया गया, लाखों हस्ताक्षरों के साथ स्मृतिपत्र प्रधान मंत्री को भेंट किया गया. इन सब का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि मंत्रियों को संसद में और बाहर घोषणा करनी पड़ी कि सार्वजनिक क्षेत्र को और भी मजबूत किया जायेगा, उसे दुर्बल बनाने की कोई योजना सरकार की नहीं है. सांकेतिक हड़ताल को जबर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ जिसे सरकार को गौर करना पड़ा.

६.१२ श्रमकानूनों में संशोधन लाकर मजदूरों के अधिकारों को छाँटने के सरकार के इरादे के खिलाफ प्रदेश राजधानियों और औद्योगिक केन्द्रों में अप्रैल १६ को मत प्रदर्शन आयोजित किये गये. दिल्ली में पटेल चौक में प्रचुंड प्रदर्शन हुआ.

६.१३ प्रचलित १९६० आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को १९८२ आधारित बनाके परिवर्तन करने के सरकार के पहल के खिलाफ मजदूरों का विरोध दर्ज करने को रा.अ. समिति ने सोचा. क्योंकि रथ कमिटि की सर्वसम्मत सिफारिशों को सरकार ने दुर्लक्षित किया था. १६ अप्रैल के मत प्रदर्शन में यह भी एक विषय था.

६.१४ इन्हीं मुद्दों पर और गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम वेतन का निर्धारण न हो और इन वेतनों को उपभोक्ता सूचकांक से जोडा जाय इन माँगों को बुलंद करने अगस्त ३ को सभी प्रदेश केन्द्रों पर मत प्रदर्शन आयोजित हुये और गिरफ़्तारियाँ भी दी गयीं. समिति के अन्य घटकों की अपेक्षा हमारा इस कार्यक्रम में सहभाग बेहतरीन रहा यह हमें गर्व की बात है.

६.१५ योजना आयोग के अनुसार जो आय गरीबी रेखा की सीमा मानी जाती है, केन्द्र और राज्य सरकारों से निर्धारित होने वाले न्यूनतम वेतन उस से कम न हो यह माँग समिति ने रखी है. इसके अलावा न्यूनतम वेतन के साथ अलग सा महंगाई भत्ता का दर भी घोषित किया जाय ताकि न्यूनतम वेतन का असली मूल्य सुरक्षित हो. इस तरह समिति ने न्यूनतम वेतन के दायरे में आने वाले असंगठित मजदूरों की प्राथमिक माँगों पर भी अपना लक्ष्य अब केन्द्रित किया है.

६.१६ श्रम कानून में संशोधन लाने के सरकार के इरादे के बारे में मजदूर संघ का यह मत रहा है कि सरकार को स्पष्ट पर्याय सुझाव दिये जाय. इस विचार को समिति ने भी अब स्वीकार किया है और सरकार क्या क्या संशोधन लाना चाहती है इस की जानकारी श्रम मंत्री से माँगी है. इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हमने उसके स्वस्थ प्रगति पर जोर दिया है.

राष्ट्रीय अभियान समिति में भामस का पात्र

६.१७ मजदूरों के सामने जो समान मुद्दे हैं उनके बारे में श्रम संगठनों में पूर्ण एकता होनी चाहिए. यह पहले से ही भामस का विचार रहा है. इसी कारण से समिति के कार्यक्रमों में हमने पूरे दिल से सहयोग दिया है. लेकिन उसी समय हमने सतर्कता भी बरती है कि

१. मजदूरों के मुद्दे राजनैतिकता के कारण धुमिल न हों. २. कोई भी एक संगठन दुर्लाभ न उठाये, सभी संगठन, बड़े हो या छोटे, एक जैसा स्तर और महत्व पाये. ३. सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया जाय और ४. नीचे के स्तर पर भी मजदूर एकता कायम रखें. यह आसान काम नहीं है.

६.१८ समिति ने आयोजित किये सभी कार्यक्रमों में सभी संगठनों ने मोटे तौर पर ठीक सहयोग दिया है. फिर भी कई अवसरों पर पश्चिम बंगाल में वहाँ के घटकों की असहकारिता के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाये.

६.१९ इसी तरह सिमेंट उद्योग में पंचायत मंडल के गठन के खिलाफ जो एक दिन का सांकेतिक हड़ताल का निर्णय इस उद्योग में कार्यरत समिति के घटकों ने लिया था उसे केवल भामस यूनियनों ने ही लागू किया.

६.२० भामस ने इस तरह ईमानदारी से अपना पात्र निभाया.

६.२१ समिति के प्रमुख कार्यक्रमों को परिशिष्ट ४ में दिया है.

महिला विभाग

७.१ भामस की महिला विभाग इकाई जिसकी स्थापना १९८१ में कलकत्ता में सम्पन्न छटे अधिवेशन के समय हुयी थी, इस समयावधि में कुछ और सक्रिय हुयी है परन्तु फिर भी इसकी प्रगति अधिक नहीं है. १९८७ अप्रैल के अन्त में त्रिदिवसीय गोष्ठी का आई.एल.ओ. के सहयोग से बम्बई में सम्पन्न होना एक महत्वपूर्ण गति विधी है. उसके परिणाम स्वरूप उसमें भाग लेने वाले सदस्यों ने महिला विभाग की नयी शाखा खोलने की जिम्मेदारी वहन करने में दिलचस्पी दिखायी. सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग कुछ केन्द्रों पर हुयी है.

७.२ राज्य स्तर का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग नासिक में केवल महाराष्ट्र विजली बोर्ड की महिला कर्मचारीयों के लिये लगाया गया. यह बडा सफल रहा तथा इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य स्थानों पर भी करने की मांग आ रही है.

७.३ महिला विभाग के कुछ प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्वोद्योगी महिलाओं के बावत गठित आयोग से मिली तथा कर्मचारी महिलाओं की परेशानियाँ व विसंगतियों के बारे में कमीशन से चर्चा की. यह बम्बई तथा दिल्ली में हुआ.

७.४ महाराष्ट्र प्रदेश इकाई ने महिला सदस्यों में यूनियन के कार्य में दिलचस्पी पैदा करने के लिये कुछ अच्छे कदम उठाये हैं. उसने ८ मार्च १९८७ को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मजदूरों के सम्मेलनों का आयोजन नासिक, थाणे तथा बम्बई में सफलता पूर्वक किया.

७.५ उड़ीसा में आँगनवाडी की महिला कर्मचारीयों ने महिला विभाग की शाखा चालू करने का काम उत्साह से लिया है.

७.६ सभी प्रदेश व महासंघों को महिला विभाग को बढ़ावा देने अपने इकाईयों में सक्रिय बनने को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए.

ग्रामीण मजदूर

७.७ ग्रामीण एवं कृषि मजदूर यूनियनें कई प्रदेशों में बनी हैं परन्तु उनकी अब तक की उपलब्धियाँ पर्याप्त नहीं है. कुछ राज्यों में संगठित कृषि फार्मस या कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों को इस दायरे में लिया है. शुरूआत के लिये यह अच्छा है. परन्तु सही चीज यह नही है. भूमिहीन मजदूर तथा गरीब छोटे किसानों को इस परिधि में लेना चाहिए. इसके लिये हमें बहुआयामी कल्याणकारी कार्य तथा सामाजिक - आर्थिक कार्य सम्पन्न करने पडेंगे जिसके लिये हम पूरी तरह साधन सम्पन्न नहीं है. हमारी क्षमता को काफी बढ़ाना पडेगा.

७.८ इस मामले में विदर्भ क्षेत्र के बुलढ़ाणा जिले के हमारे कार्यकर्ताओं ने सर्वोत्तम कार्य दिखाया है. उन्होंने दूर आंचल के ग्रामीण मजदूर, दरूह पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जन जाती मजदूरों को संगठित करने में सफलता प्राप्त कर ली है.

७.९ एक तीन दिवसीय गोष्ठी इन मजदूरों के लिये जुलाई के अन्त और अगस्त १९८७ के शुरू में आई.एल.ओ. की मदद से लगायी गयी और काफी सफल रही. अन्य कार्यकर्ताओं ने हमारे बुलढ़ाणा के कार्यकर्ताओं का अनुसरण करना चाहिए तथा उनके कठिन एवं उपयोगी कार्य से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए तथा ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने का सही कार्य करना चाहिए.

७.१० जब हम अगली बार मिलेंगे तो हर एक प्रमुख राज्य में कम से कम एक जिले में इस प्रकार के संगठन हो जाने चाहिए.

७.११ इस क्षेत्र में एक और तरीका अपनाया जा सकता है. संगठित क्षेत्र के कर्मचारी असंगठित ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने का प्रयास करें. उदाहरण के लिये महाराष्ट्र के बीज कामगार महासंघ और आरोग्य कामगर संघ ने इस तरह का सफल एवं अनुकरणीय कार्य किया है. इनके कर्मचारियों ने ग्रामीण आंचल के भूमिहीन किसानों को संगठित किया है.

७.१२ बैंक अफसरों के राष्ट्रीय संगठन तथा बिजली कामगर महासंघ कृषि मजदूर संघ को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं.

७.१३ हमें कृषि मजदूरों को बृहत् पैमाने पर संगठित करना पड़ेगा. हमें यह भी ध्यान देना होगा कि संगठित मजदूर भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करें. हमें अपना पूर्ण ध्यान इस तरफ देना होगा.

असंगठित शहरी मजदूर

७.१४ ग्रामीण किसानों के अलावा शहरी मजदूरों का एक बड़ा भाग असंगठित है. अभी किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि बम्बई के कुल मजदूरों में ४० प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा वे सभी काफी दयनीय दशा में हैं. इन मजदूरों का जीवन यापन एवं कार्य करने की स्थिति में सुधार लाने की तरफ ध्यान देना पडेगा. और यह तेजी से करना पडेगा.

७.१५ बम्बई में हमारे कार्यकर्ताओं ने घरेलू कामगारों को संगठित किया है. हमारे प्रयासों से इन कामगारों को जिन्हें कोई नियम लागू नहीं है, बोनस एवं ग्रेज्युटी दिलवायी है. यह हर्ष की बात है कि राज्य के श्रम मंत्री इन मजदूरों के लिये नियम बनाने का सोच रहे हैं.

७.१६. इन मजदूरों के बारे में हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना होगा. वह है इनका न्यूनतम वेतन का पुनरीकरण और उपभोक्ता सूचकांक से जुडा हुआ भत्ता सरकार से दिलवाना और यह देखना कि इसका सही अमल हो. इसे गंभीरता से करना होगा.

अनौपचारिक कार्य

७.१७ हमारी यूनियन समय - समय पर अनौपचारिक कार्य जैसे - समाज सेवा, कल्याणकारी कार्यों को भी करती रही है. यह कार्य अधिक प्रचलित नहीं है. यह काफी नहीं है. हमें ध्यान देना होगा कि इन्हें बढ़ाया जाये ताकि कर्मचारियों के विकास में एक सन्तुलन स्थापित किया जा सके. परन्तु इसके लिये अलग दृष्टी, खास रूचि व कार्यकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत है. भारतीय कोयला मजदूर संघ ने कोयला खदान क्षेत्र में कुछ प्राथमिक स्कूलें शुरू की हैं. इसी तरह खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में भी हमारी यूनियन प्रइमरी स्कूल चला रही है. बिजली कर्मचारी यूनियन ने महाराष्ट्र में कल्याणकारी योजना, एक कल्याणकारी कोष, आकस्मिक मृत्यु एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के हेतु स्थापित किया है. कर्नाटक में हरिहर में किर्लोस्कर मजदूर संघ ने एक, क्षेमनिध, कल्याणकारी कोष की स्थापना की है. पुणे तथा अन्य स्थानों पर भामस ने सामाजिक कल्याण के कार्य किये हैं. यहाँ एक नेत्र शिबिर का आयोजन किया तथा आंखों के चश्मे बहुत कम कीमत पर दिये. इसी तरह कर्नाटक के हंगार कट्टा में भी अंखों के परीक्षण हेतु एक शिबिर का आयोजन प्लाइउड मिल मजदूरों ने किया. हैदराबाद में हमारी आन्ध्र बैंक की यूनियन ने नेत्र दान शिबिर का आयोजन किया था. कई स्थानों पर रक्त दान शिबिर लगाये गये. झांसी में मध्य रेल्वे कर्मचारी संघ ने आवास सेवा कार्यक्रम की शुरूआत की है. कई स्थानों पर हमारी यूनियन गृह निर्माण कार्य चला रही है.

बम्बई के नजदीक मुलुण्ड में हमारी यूनियन ने एक आवासीय कम्पलेक्स, जिसका नाम दीनदयाल नगर रखा है, स्थापित किया है. इसी तरह हैदराबाद में रामनरेश सिंह आवासीय कालोनी बनकर तैयार हो गयी है. कई यूनियन उपभोक्ता सोसाइटीयाँ चला रही है. ऋण बैंक सोसाइटी चला रही है. जिला सम्मेलन के समय बम्बई की शाखा ने अपने कर्मचारियों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया. यह कुछ उदाहरण मात्र है, पूरा ब्योरा नहीं.

७.१८ बुलढ़ाणा जिले में खेतिहर मजदूर संघ ने पीने के पानी की व्यवस्था, दवाइयों की सुविधा की कमी, स्कूल इमारत जैसी समस्यायें सुलझाने का कार्य लिया है और सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है.

७.१९ आवास एक बुनियादी जरूरत है. पर हमारे देश में गरीब और मध्यम वर्गीय जनता इस की अतः हमारी यूनियनों को देश में आवासीयत सुविधा की सुदूर स्थिति को नजर में रखकर इस प्रकार के आवासीय सुविधा के कार्यक्रमों को चलाने में कोशिश करनी चाहिए. यह समस्या हल करने के लिए बड़े पैमाने पर रचनात्मक अभियान की जरूरत है. क्या इस दिशा में हम कुछ थोड़ा भी न करें?

सदस्यों की शैक्षणिक गतिविधियाँ

७.२० हमने अपने सदस्यों के शैक्षणिक गतिविधी हेतु नागपुर में कुछ वर्ष पूर्व एक विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था की स्थापना की. अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिये कई अभ्यास वर्ग एवं प्रशिक्षण वर्ग चलाये. कुछ इस संस्था के माध्यम से तथा कुछ भामस इकाई द्वारा चलाये गये. फिर भी इस संस्था की उपयोगिता बढ़ाने की काफी बड़ी गुंजाईश है.

७.२१ राष्ट्रीय स्तर का एक अध्ययन वर्ग इन्दौर में अक्तूबर - नवम्बर १९८४ में चलाया था. यह ५ दिन का वर्ग था जिसमें ३३३ सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था. प्रदेश एवं महा संघ स्तर पर भी इस तरह के वर्ग चलाये जाते हैं. इनकी विस्तृत व्याख्या संलग्न परिशिष्ट ५ में दी हुयी है. इनके अलावा छोटे स्तर पर भी विभिन्न समयावधियों के लिये विभिन्न विषयों के लिये वर्ग चलाये जाते हैं.

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने जब कभी मांग की तब अनुदान दिया है. परन्तु हमने अपने ही बल पर काफी वर्ग चलाये हैं. संक्षेप में, इस समयावधि में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वर्ग लगाये गये हैं.

कर्मचारी राज्य बीमा कोष

७.२२ कर्मचारी राज्य बीमा का हमारा कोष बम्बई में कार्यरत है. इसके प्रयास के फलस्वरूप कई स्थानीय समितियों में भामस को प्रतिनिधित्व मिला. कर्मचारी राज्य बिमा योजना में विमाकृत मजदूरों के हित के विरोध में जो बीमा योजना के नियमों में संशोधन किया गया तब इस कोष ने इस प्रश्न को उठाया. इस बीमा योजना के विभिन्न स्थानीय समितियों में

प्रतिनिधित्व कर रहे भामस के प्रतिनिधियों के कामों में एक सूत्रता लाने हेतु एक दोबार उनको एकत्रित भी किया गया. कोष की गतिविधि को और भी सक्रिय बनाने की आवश्यकता है.

राष्ट्रीय श्रम दिवस

७.२३ आप जानते ही हैं कि विश्व कर्मा जयन्ती को हम राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाते मना रहे हैं. यह हमारी वैशिष्टय पूर्ण देन हैं. इन दिनों यह विचार औरों को भी जंचा है ऐसा लग रहा है. केन्द्र सरकार अच्छे श्रमिकों को श्रम वीर पुरस्कार देते आयी है. अब इसे विश्व कर्मा श्रम वीर पुरस्कार नाम से दिया जा रहा है. मजदूरों के लिये विश्वकर्मा जयन्ती का महत्व ध्यान में रखते हुये असम सरकार ने इस साल विश्व कर्मा जयंति के दिन छुट्टी घोषित की हैं.

आगे का कार्य

८.१ भामस का संगठन सारे देश भर में, फैला हुआ है. हर एक बड़े राज्य में इकाई बनी है. कई छोटे राज्यों में और केन्द्र शासित प्रदेशों में सक्रिय यूनियननें कार्यरत हैं. कुल ४०० जिलों में से दो तिहाई से अधिकों में कार्य है. कई जिलों में काफी प्रभावी यूनियनें हैं. तो कुछ में केवल एक ही यूनियन है. हमारी कई यूनियनें जैसे रेल्वे, डाक और दूरसंचार, बिजली, बैंक के महासंघों की शाखायें छोटे छोटे गँवों में भी होने के कारण, जिन जिलों में भामस का एक भी पंजीकृत यूनियन नहीं है. वहाँ भी इन यूनियनों के जरिए हमें सदस्यता तो है. फिर भी हर जिले में कम से कम एक यूनियन यह मंजिल तो प्राप्त करनी है.

८.२ जिन जिलों में एक से अधिक यूनियनें भामस से संबद्ध हैं, वहाँ कार्य में सहयोग और नजदीकी लाने के लिये सक्रिय जिला समिति का या औद्योगिक समिति का व्यवस्थित गठन करना संगठन की दृष्टी से अत्यावश्यक है. इससे संगठन सुदृढ़ बनेगा. इससे जब सैद्धांतिकता का जोड होगा तब संगठन स्वस्थ बनेगा. यह बात औद्योगिक केन्द्रों को भी लागू होती है.

८.३ इसी तरह जिन उद्योगों में काम अभी नहीं है वहाँ शुरू करना चाहिए.

८.४ संगठनात्मक पहलुओं के इन उद्देश्यों को क्रमशः दो भागों में प्राप्त किया जा सकता है.

८.५ अगले १९९० के अधिवेशन तक प्राप्त करने का लक्ष्य.

अ. जिन राज्यों में अभी एक भी पंजीकृत संबद्ध यूनियन नहीं है वहाँ कम से कम एक यूनियन बनाना.

आ. जहाँ आज अपना यूनियन नहीं है ऐसे बडे उद्योगों में यूनियनों का आरंभ करना.

इ. जिन उद्योगों में यूनियनें हैं पर अभी महासंघ नहीं बना है वहाँ महासंघ बनाना.

ई. जिन जिलों में कार्यरत यूनियनों की गतिविधियों को एक सूत्रित करने जिला समितियाँ या औद्योगिक महा समितियाँ अभी गठित नहीं हुयी है वहाँ उनका गठन करना.

उ. जिन जिलों में काफी उद्योग है मगर भामस का यूनियन नहीं वहाँ कम से कम एक यूनियन चालू करना.

८.६ इस शताब्दी के अन्त तक इस लक्ष्य प्राप्ती के लिये सुदृढ़ प्रयास करना चाहिए.

अ. कोई भी जिला अथवा उद्योग ऐसा न बचे जिसमें भामस का यूनियन न हो.
आ. सभी जिलाओं में जिला समितियाँ बने.

८.७ ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की तरफ हमने बहुत बडे पैमाने पर ध्यान देना चाहिए.

८.८. इस शताब्दि के अन्त तकः

अ. कृषि मजदूर संघ की शाखायें हर एक बडे राज्य में हो.
आ. अ.भा. बीडी मजदूर संघ का काम सभी उन राज्यों में हो जहाँ बीडी उद्योग हैं.
इ. बुनकरों का महासंघ बने.
ई. दूकान कर्मचारी, निर्माण मजदूर, ईंट - भट्टी मजदूरों की यूनियने बने.
उ. घरेलू कामगारों के यूनियन बने.
ऊ. गरीब, ग्रामीण, स्वोद्योगि जैसे कि चमार, कुम्हार, इत्यादियों की स्थानीय भामस इकाई से निकट संपर्क और सहयोग प्राप्त संस्थायें बने.
ए. भामस परिवार के अंग के नाते जनजाति के लोगों की संस्थायें बने.

८.९ इन सब के लिए अपने सक्रिय कार्य कर्ताओं की पूर्णकालिक समर्पित व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए. उनकी व्यपकता को बढ़ाना और सुदृढ़ बनाना चाहिए. यह निरंतर प्रक्रिया है. उत्साही सक्षम मजदूर जो अपने निकट संपर्क में, विचार संस्करण में और सैद्धांतिक ढाँचे में आते हैं उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और संस्कारित करने का काम तेजी से करना चाहिए. यह कठिन और जटिल प्रक्रिया है जिसके लिये प्रदीर्घ व्यक्तिगत संपर्क और खुद के आदर्श जीवन को दूसरों के सामने रखने की आवश्यकता है.

८.१० शिक्षण, प्रशिक्षण और अभ्यास वर्गों को हर स्तर पर आयोजित करना चाहिए. वह अधिकृत हो या अनौपचारिक सुविधानुकूल अलग अलग समय तक भी हो सकते हैं. नये नये तरीकों को भी ढूँढना पडेगा.

८.११ महिला मजदूरों की तरफ भी ध्यान देना होगा. कलकत्ता अधिवेशन के समय १९८१ में हमने महिला विभाग शुरू किया. इन छः सालों में उसकी कुछ प्रगति हुयी है अगली कालावधि में काफी आगे बढ़ना होगा. १९९० में जब हम फिर मिलेंगे हर बड़े प्रदेश में महिला विभाग की इकाई होनी चाहिए.

कार्य समिति बैठकें

९.१ इस अवधि में अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की १० बैठकें हुयीं. (विवरण परिशिष्ट ६ पर) कुछ प्रदेश इकाई और औद्योगिक महासंघों के महामंत्रियों में इस बीच बदल होने

के कारण कार्य समिति के सदस्यों में कई नये व्यक्ति आ गये. इन के अलावा विशेष आमंत्रितों में भी थोडा सा बदल किया गया.

प्रदेश इकाइयाँ

९.२ प्रदेश और महासंघों के संगठनात्मक व्यवस्था में कुछ बदल हुआ है.

९.३ हैदराबाद अधिवेशन के बाद तमिलनाडु प्रादेशिक समिति का गठन हुआ. श्री के. महालिंगम अध्यक्ष और श्री आर. वी. रामाचारी महामंत्री बने. बाद में १९ जनवरी १९८६ को जब प्रदेश सम्मेलन कोयमुत्तूर में संपन्न हुआ, श्री रामाचारी अध्यक्ष बने और श्री सुकुमारन महामंत्री, प्रदेश में भामस के काम को स्थाई बनाने में श्री महालिंगम का योगदान काफी महत्व का रहा.

९.४ केरल प्रदेश के अध्यक्ष श्री के. रामकुमार जिन्होंने कई सालों तक प्रदेश के कार्य का संचालन किया, की जगह फरवरी १९८७ में पत्तनम तिट्टा में संपन्न प्रदेश महा समिति की बैठक में पेरूम्बावूर के अधिवक्ता श्री बी. हरिहरन पिल्ले अध्यक्ष बने. श्री रामकुमार ने संगठन के लिये उत्तम सेवा प्रदान की.

९.५ कर्नाटक में श्री एस.बी. स्वेताद्रि के स्थान पर चीनी मिल के एक कर्मचारी श्री आर. शेषाद्रि अध्यक्ष बने. यह बदल १९८५ की अप्रैल में बेंगलोर में हुये प्रदेश सम्मेलन में हुआ. श्री स्वेताद्रि ने कर्नाटक भामस के लिये प्रशंसनीय काम किया है.

९.६ आन्ध्र प्रदेश में एक रेल्वे कर्मचारी श्री आर.वी. सुब्बाराव, श्री भावनारायण के स्थान पर, महामंत्री बने.

९.७ ओरिस्सा में श्री सरोज कुमार मित्र जो महामंत्रि थे अब अध्यक्ष बने और उनके स्थान में श्री रंगनाथ महापात्र महामंत्रि बने हैं.

९.८ महाराष्ट्र में श्री मुकुन्दराव गोंरे महामंत्री बने और श्री रमण शाह जो महामंत्री थे अब अध्यक्ष बने हैं. शोलापुर के प्रदेश अधिवेशन में अध्यक्ष श्री मोहनराव गवंडी से उन्होंने यह पद प्राप्त किया. श्री गवंडी की सेवा भामस के लिए अमूल्य रही है.

९.९ मध्य प्रदेश का सम्मेलन कोरबा में हुआ जहाँ तब तक के महामंत्री श्री सुरेश शर्मा अध्यक्ष बने और श्री अरविंद मोघे, महामंत्री.

९.१० श्री मदनलाल सैनी की जगह, जो अब कृषि मजदूर संघ के संगठन मंत्री बने हैं, श्री ऋषभ चन्द जैन राजस्थान के महामंत्री बने हैं.

९.११ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री श्री प्यारालाल बेरी अब संगठन मंत्री हो गये और श्री कुंवर विजय सिंह महामंत्री बने.

९.१२ बिहार के अध्यक्ष स्थान पर पहले के महामंत्री श्री रामदेव प्रसाद आ गये और उनके स्थान पर श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा महामंत्री हो गये.

९.१३ इन तबदीलों के कारण प्रायः सभी राज्यों में युवा नेतृत्व उभर आया है.

९.१४ परिशिष्ट ७, प्रदेश सम्मेलनों का विवरण है.

अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघ

९.१५ सरकार ने अपने डाक - तार विभाग को डाक विभाग और दूर संचार विभागों में विभाजित करने के कारण भारतीय डाक-तार कर्मचारी संघ के भी दो हिस्से हुये हैं - भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ और भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ.सरकार ने दिल्ली और बम्बई के दूरध्वनी के प्रबंध के लिये महा नगर टेलिफ़ोन निगम बनाया और अब उसके कर्मचारियों के लिये भारतीय महानगर निगम कर्मचारी संघ नामक यूनियन बनी हैं. मूल के भारतीय डाक-तार कर्मचारी महा संघ के अध्यक्ष अब श्री मोहनराव हैं और श्री एम्.आर. बोरकर उसके महामंत्री. भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, श्री डी.जी. अंबटकर और श्री आर.बी. सुर्वे महामंत्री और भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है श्री के.एस. वेणुगोपाल और महामंत्री श्री जगमोहन लाल शर्मा.

९.१६ नेशनल आर्गेनाईजेशन ऑफ इन्सूरेन्स वर्कर्स के पुणे अधिवेशन में, जो ८६ नवंबर में संपन्न हुआ, श्री भावनारायण के स्थान पर श्री एस.डी. कुलकर्णि अध्यक्ष बने और श्री भावनारायण जी बने संगठन मंत्री.

९.१७ भारतीय स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के नये अध्यक्ष हैं श्री देवनाथ और नये महामंत्री श्री जीतसिंह खुराना.

९.१८ भारतीय पोर्ट डॉक महासंघ के नये महामंत्री है श्री सुरेश विठ्ठल लेले.

९.१९ श्री बालासाहेब साठये जो अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री थे अब अध्यक्ष बने हैं और उनके स्थान पर श्री एस.एन. देशपांडे अब महामंत्री हैं.

९.२० अब भारतीय परिवहन महासंघ के नये पदाधिकारी हैं सर्व श्री रमणशाह, अध्यक्ष, एस.एस. चान्द्रायण कार्याध्यक्ष और ऋषिराज शर्मा, महामंत्री.

९.२१ भारतीय इस्पात मजदूर संघ के नये अध्यक्ष हैं श्री रामप्रकाश मिश्र. श्री ओमप्रकाश गौतम बने हैं अ.भा. शुगर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष.

९.२२ अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ के अध्यक्ष अब हैं श्री महीनारायण झा और महामंत्री श्री बी.एल. नरसिंहम्.

९.२३ अ.भा. बीडी मजदूर संघ के पूर्वी महामंत्री श्री रामप्रसाद पारीख के स्थान पर अब है श्री अच्युतराव देशपांडे.

९.२४ परिशिष्ठ ८ में महासंघों के सम्मेलनों का विवरण मिलेगा.

भा.म. संघ के प्रकाशन

९.२५ दो पत्रिकायें - एक हिन्दी में पाक्षिक भारतीय मजदूर संघ समाचार जो कानपुर से निकलता है और दूसरा अंग्रेजी मासिक भारतीय मजदूर जो बम्बई से प्रकाशित होता है, नियमित प्रकाशित होते आये हैं. कई प्रदेश और महासंघ भी पत्रिकायें प्रकाशित कर रहे हैं - देखिये परिशिष्ट ९.

९.२६ कई छोटी मोटी किताबें इस अवधी में छपी हैं. यह बडी प्रसन्नता की बात है कि स्थानीय सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कई भारतीय भाषाओं में भी किताबें निकली हैं. परिशिष्ट १० में तालिका देखे.

संगोष्ठी, चर्चा, शिक्षा वर्गों में भामसंघ का भाग लेना

९.२७ संगोष्ठी, चर्चा, शिक्षा वर्गों में भामस प्रतिनिधियों का भाग लेना काफी बढ़ गया है जैसे कि परिशिष्ट ११ और १२ से प्रतीत होगा.

९.२८ इसी भाँती अपने नुमाईंदे कई बोर्डों समितियों और कौन्सिलों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इसका विवरण परिशिष्ट १३ में हैं.

केन्द्र कार्यालय

१०.१ नई दिल्ली के पहाड गंज क्षेत्र में भामसंघ के निजी भवन में ही केन्द्र कार्यालय स्थित है. हमारे पूर्व महामंत्री श्री बडे भाई ने केन्द्र कार्यालय को इस भवन में लाने में काफी उत्सुकता दिखाई थी. मगर दुर्भाग्य है कि वे उसके बाद ज्यादा समय न रहे. उनके शरीर त्याग के पश्चात कार्य समिति की जो पहली बैठक कोटा में हुयी, उसमें यह तय हुआ कि उनकी स्मृति को कायम रखने की दृष्टि से उस भवन को रामनरेश भवन नाम रखा जाय. पिछले अधिवेशन के समय इस वास्तु के केवल आठ कमरे अपने पास थे. आज १३ कमरे हैं. नेशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और भारतीय रेल मजदूर संघ के दिल्ली कार्यालय इसी भवन से कार्य कर रहे हैं.

स्मारक ट्रस्ट

१०.२ ग्रामीण मजदूरों की तरक्की कराने की दृष्टि से राम नरेश स्मारक न्यास का गठन हुआ है.

विदेशी सज्जनों का आगमन

१०.३ कई विदेशी सज्जनों और प्रतिनिधि मंडलों ने हमारे केन्द्रीय कार्यालय को भेंट दी. उनकी यादि परिशिष्ट १४ में दी गई है. दक्षिण आफ्रिका के ट्रेड यूनियन कांग्रेस कोसाटु के त्रि सदस्य प्रतिनिधिमंडल का विशेष उल्लेख करना ठीक होगा. उन्होंने भामस और उसकी

शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के अतिरिक्त अपने देश में काले लोगों के श्रम संगठनों पर और मजदूरों पर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में हमें सूचित किया.

१०.४ चीनी ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था.

१०.५ जिन व्यक्तियों ने अपने केंद्र कार्यालय को भेंट दी उन में जिनिवा के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रमिक शिक्षा के प्रमुख श्री सिझारे पोलोनी उल्लेखनीय है. इसी तरह कामनवेल्थ ट्रेड यूनियन कौन्सिल के श्री कार्ल राईट और स्टार्लिंग स्मित की भेंट भी महत्वपूर्ण रही.

वित्तीय स्थिति

१०.६ संगठन की शक्ति बढ़ाने की व्याख्या में उसके वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता भी शमिल है. इस दिशा में यद्यपि हमने काफी प्रगति की है, तो भी सुधार के लिये पर्याप्त गुंजाइश है.

१. पैसा मजदूरों से ही आना चाहिए.

२. भामसंघ की संपत्ति यूनियनों के पैसे के बंटवारे पर निर्भर होने के कारण, इस विषय पर यूनियनों ने गंभीरता से सोचना चाहिए.

१०.७ यूनियन स्तर पर निम्न मुद्दों पर विचार होना चाहिए.

अ. यूनियन का सदस्य शुल्क आज की परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित हो. या सदस्यों के वेतन का कुछ प्रतिशत दर निश्चित हो.

आ. सदस्य शुल्क के भुगतान के अलावा सदस्यों से यूनियन को सहायता भी समय समय पर ली जाय.

इ. इन के संग्रह के लिये ठीक व्यवस्था हो.

ई. शत प्रतिशत संग्रह का लक्ष्य हो.

१०.८ यूनियनों ने अपने पैसे को अपने महासंघों और संबंधित भामस इकाइयों में बांट लेना चाहिए.

१०.९ अपने सदस्य शुल्क संग्रह में से ५ प्रतिशत भाग को, लेकिन यह रु० ५० से कम न हो, भामस के केन्द्र कार्यालय को संबद्धता शुल्क के नाते हर यूनियन ने अवश्य भेजना चाहिए. अन्य सामयिक देय अंश को भी केन्द्र कार्यालय को पहुंचाना चाहिए. इसी तरह प्रदेश, जिला या नगर भामस कार्यालय को भी निश्चित अंश देना चाहिए.

अथक रहे अवकाश प्राप्त कर

१०.१० अपने कई सदस्यों ने नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद, संगठन के काम की जिम्मेदारी ली है. उनका जीवन दूसरों के लिये प्रेरणादायक होगा इसमें सन्देह नहीं. एक घटना का यहाँ जिक्र करना ठीक होगा. पुणे के श्री अच्युत राव देशपांडे पिछले साल टेलिफोन

विभाग से निवृत्त हुये. असाम में भामस का संगठन चलाने के लिये खुशी से आगे आये और पिछले छः माह से वे वहाँ काम कर रहे हैं.

श्रमिक आन्दोलन को नई दिशा

११.१ इस क्षेत्र में भा.म. संघ ने एक निश्चित उद्देश्य से पदार्पण किया है. चारों तरफ गुणों और जीवन मौल्यों की गिरावट हो रही है. ऐसी परिस्थिति में मजदूर क्षेत्र उससे प्रभावित हुये बिना रह नहीं सकता. राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सही साधन और उच्च विचारों का पुनर्स्थापन हमारा उद्देश्य है. सही नेतृत्व से हम यह प्राप्त कर सकते हैं. यह हमारा विश्वास है.

११.२ राजनीति के अत्यधिक प्रभाव के कारण आज मजदूरों की एकता भंग हुयी है. आम जनता में राजनैतिक जागृति तो अपेक्षणीय है मगर समूह संगठन पक्षधर नहीं होने चाहिए. एक विशाल राष्ट्रीय दृष्टिकोन से उन्हें कार्य चलाना होगा. इससे एकदम व्यतिरिक्त दूसरा झुकाव जो दिखाई दे रहा है वह है ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर अर्थवाद का पूरा प्रभाव. वह एक खतरनाक गति है जो देश के कई भागों में अपना सिर उठा रही है.

११.३ यह दोनों प्रक्रियायें अच्छी नहीं है और उन्हें बदलना चाहिए. भारतीय मजदूर संघ का महत्व पूर्ण कार्य ही इन प्रवाहों को मोडकर ट्रेड यूनियन आन्दोलन को नई दिशा देना और राष्ट्रवादि असली ट्रेडयूनियन को प्रस्थापित करना. भामस को कठिनाईयों के खिलाफ लडना होगा, प्रवाह के विरूद्ध तैरना होगा. मगर पर्याप्त परिश्रम से श्रमिक आन्दोलन को नई दिशा प्रदान करना निश्चित ही संभाव्य है. ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि योग्य नेतृत्व से मजदूरों ने एक नयी कार्य संस्कृति विकसित की जिसने मालिकं और प्रबंधकों को इतना प्रभावित किया कि उस औद्योगिक इकाई की असफलता की कहानी सफलता में बदल गई. घाटे का उद्योग लाभप्रद हुआ.

११.४ और एक बात केन्द्रीय श्रम संगठनों के बीच स्वयं स्वीकृत व्यवहार संहिता का विकास कर एक नयी ट्रेड यूनियन संस्कृति लाने का हमें प्रयास करना चाहिए. आगे चलकर अन्य संगठनों को भी उस में क्रमशः लाने का काम करना होगा. इससे यूनियनों के बीच अहितकारी होड पर नियंत्रण लाने और स्वस्थ और हितकारी संबंध पुनर्स्थापित करने में सहायता मिलेगी.

११.५ हम उत्साह और आसक्ति से यह अपेक्षित बदल लाने के लिये जुट जाय.

११.६ इस काल खंड का यह छोटा सा प्रतिवेदन है. मुझे लगता है कि पूरे पहलुओं की पूरी जानकारी इसमें समाई नहीं गयीं. इस सन्मान्य सभा के सामने इसे स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ.

११.७ हमारे वित्त मंत्री श्री बाला साहेब साठये १९८३ से १९८६ तक के चार साल के हिसाब आपके स्वीकृति के लिये सम्मुख रखेंगे.

११.८ आप प्रतिवेदन और लेखा दोनों पुरस्कृत करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ.

११.९ अंत में मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति में आज हम गुजर रहे हैं उसका थोडा सा उल्लेख करूँ. यह कोई समाधान कारक स्थिति नहीं है. सचमुच ही गम्भीर है जो हमें रूक कर सोचने को बाध्य कर रही है. हमारा देश बाह्य और आंतरिक खतरों का सामना कर रहा है. सीमा पार के बाहरी हमलों के अलावा, तकनिकी आक्रमण, जिसे, दुर्भाग्यवश, अपनी ही सरकार नियंत्रण दे रही है, और आर्थिक प्रभुत्व का खतरा भी है. सुरक्षा, संरक्षा, मानव अधिकार और गरीबों का, मजदूरों का हित लगातार खतरे में है. फिर भी परिस्थिति भयावह नहीं है, नियंत्रण के बाहर नहीं है. देश भक्त और राष्ट्रवादि शक्तियों को आगे बढ़ने के लिये वातावरण काफी अनुकूल है. भामस के विचार और सिद्धांतों को दूर तक अपनाया गया है. आवश्यकता है अपने प्रयास को बढ़ाने की.

११.१० समर्पित लगन के भाव से अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने को युवा युवतियाँ आगे बढ़ें. अपनी कार्यक्षमता और योग्यता को वे ज्ञान, प्रशिक्षण,निष्ठा और त्याग से विकसित करे.

११.११ आज की चुनौति एक अवसर भी है. इस सवाल को हम स्वीकारें, और दृढ़ता से अवसर को यश में परिवर्तित करें.

११.१२ दृढ़ निश्चल व्यक्तियों का साथ देता है यश.

११.१३ तो भाईयों, बहनों, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा श्रृद्धा और दृढ़ता के साथ बढ़े हम आगे.

भारत माता की जय

बेंगलोर
२६ - १२ - ८७

जी. प्रभाकर

भारतीय मजदूर संघ

की

प्रगति का सिंहावलोकन

भारतीय मजदूर संघ की प्रगति का सिंहावलोकन

प्रतिवेदन की कालावधी में सभी प्रदेशों एवं औद्योगिक महा संघों में भारतीय मजदूर संघ के कार्य की बहुमुख प्रगति हुई है. महत्वपूर्ण घटनाओं का ही इस सिंहावलोकन में उल्लेख किया गया है.

प्रादेशिक इकाइयाँ

तमिलनाडु

१९८४ में तमिलनाडु प्रदेश समिति गठित हुयी. इस अवधि में कोयमुत्तूर, नीलगिरी, सेलम, उत्तर आर्काट और कन्या कुमारी, इन पाँच जिलों में कार्य का आरंभ हुआ. इस तरह आज कुछ आठ जिलों में कार्य है. कपडा, परिवहन, बगान जैसे उद्योगों में भी अपना नया कार्य शुरू हुआ है. पाँच जिलों में समितियाँ गठित हैं.

तिरूचिरपल्ली के भेल कारखाने के मजदूरों की समस्याओं को उठाकर अपने यूनियन ने कई आन्दोलन किये. इसी तरह आवडी के अपने यूनियन ने भी आंदोलनों में अगुआपन किया.

दक्षिण रेल्वे और रेलडिब्बा कारखाने के अपने यूनियनों ने रेल कार्यागार के पास अयनाबरम् में, डॉ. अम्बेडकर का पुतला स्थापित कर, रेल कर्मचारियों की दीर्घ कालीन इच्छा को पूर्ण किया.

कई केन्द्रों में समय समय पर अभ्यास वर्ग लियें गये.

केरल

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस छोटे राज्य में २५ से २७ जनवरी १९८६ को कालीकट में संपन्न आठवें प्रादेशिक अधिवेशन को राज्य में मजदूर संघ के कार्य को द्रुतगति देने वाला माना जा सकता है. पूरे राज्य को ही अधिवेशन के कार्य में जुटाया गया था. राज्य के छोटे बडे आंतरिक स्थानों में इस अवसर पर फहराये गये केशरी झण्डे पताकाओं ने मजदूरों को एक नया संदेश दिया. राज्य के कोने कोने से आये हुए दस हजार से भी अधिक

मजदूरों का प्रभावी जुलुस अंततः एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गया. इस जनसभा से यह साबित हो गया कि भारतीय मजदूर संघ अब राज्य में ठोस नींव पर स्थायी रूप से खड़ा हो गया है.

संवन्धित अवधि में भारतीय मजदूर संघ का, राज्य परिवहन, कोचिन शिपयार्ड, गृहनिमार्ण एवं मच्छी पालन जैसे नये उद्योगों में प्रवेश हुआ है. कोटेयम जिले में जहां एक भी यूनियन नहीं थी, अब चार यूनियनें हैं. अब राज्य के सभी १४ जिलों में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें हैं. आठ जिलों में विधिवत जिला समितियां तथा ६ जिलों में तदर्थ समितियां हैं. प्रतिवर्ष राज्य महा समिति का अधिवेशन होता है. राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग भी आयोजित किये गये हैं. ११ जिलों में राष्ट्रीय एकात्मता दिवस सभी श्रम संगठनों ने सम्मिलित रूप से मनाया. इसमें सम्मिलित हुए कुल २०,००० मजदूरों में से ५,५०० भारतीय मजदूर संघ के थे. आज १२३ यूनियनों में ३०,००० सदस्य हैं.

मलयालम् में सात पुस्तिकायें प्रकाशित की गई है. मलयालम मासिक पत्रिका मजदूर भारती का प्रकाशन भी फिर कालिकत से शुरू हो गया है.

कर्नाटक

सीनेमा उद्योग में मिली उपलब्धियाँ भारतीय मजदूर संघ की यशस्विता की एक अनोखी कहानी है. राज्य में पहले बार इस उद्योग के कर्मचारियों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के साथ साथ न्यूनतम वेतन प्राप्त हुआ है. नौ दिन की सिनेमा हड़ताल, सिनेमा बंद, राज्य महामंत्री द्वारा भूखहड़ताल, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति स्तर तक निरंतर कडे प्रयास तथा प्रदीर्घ आन्दोलन के बाद ही यह सफलता मिल सकी. शिमोगा के भारत फाउन्डरी तथा सुपारी मंडियों के कर्मचारियों तथा धारवाड के भोरूका मिल के श्रमिकों ने भी उल्लेखनीय आन्दोलन किये. भोरूका के कर्मचारियों को तो अपनी प्राथमिक मांगों के लिये सुरक्षा गार्ड की लाठी-गोली भी सहनी पड़ी. कुछ उल्लेखनीय समझौते भी किये गये इसके द्वारा निष्कासित कर्मचारियों की बहाली, एस.के.एफ. बेंगलौर के कर्मचारियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति, तुंगभद्रा सुगर वर्क्स शिमोगा के कर्मचारियों की पिछले वेतन के साथ बहाली, मंगलौर जिले के कर्नाटक एक्स्प्लोसिवस् तथा केनरा स्टील्स में पर्याप्त वेतन वृद्धि आदि उपलब्धियाँ हुई.

राज्य भारतीय मजदूर संघ ने बेलगांव, रायपुर, विजापुर, बेल्लारी, चिकमगलूर में नये क्षेत्रों में प्रगति की है, तथा मंगलौर, मैसूर, शिमोगा एवं धारवाड में अपनी स्थिति सुदृढ़ की है. भारतीय मजदूर संघ की बिजली निर्माण, अल्यूमिनियम, सीमेन्ट डाकतार तथा बगान उद्योगों में प्रवेश हुआ है तथा इंजीनियरिंग एवं कपड़ा उद्योग में प्रसार हुआ है. बैंक, होटल, इंजीनियरिंग, सिनेमा और कपड़ा उद्योगों में राज्य स्तरीय महासंघों का गठन हुआ है. जिलास्तर के शिमोगा के और कार्कल के तहसिल अधिवेशनों में उपस्थित महिला कामगारों की संख्या विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है. प्रदेश स्तर पर आयोजित युवा कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग में २५-३५ आयुमान के १३७ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

आन्ध्र प्रदेश

१९८४ के पिछले हैदराबाद अधिवेशन के बाद आन्ध्र प्रदेश में मजदूर संघ की गतिविधियों को चालना मिली. सभी २३ जिलों में कार्य फैला है और २२ जिलों में समितियाँ गठित है. सरकार के श्रम विभाग के विभागीय रचना के आधार पर प्रदेश को क्षेत्रों में बँटा गया है. जिला और क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन और शिक्षा वर्ग समय समय पर आयोजित किये गये हैं.

सार्वजनिक प्रतिष्ठान और बड़े औद्योगिक कारखानों के अलावा असंगठित मजदूरों को संगठित करने में प्रदेश भारतीय मजदूर संघ ने ध्यान दिया है. दूकान कर्मचारियों का प्रदेश स्तर का महासंघ सक्रिय रूप से कार्यरत है. होटल मजदूर, बुनकर, रिक्षा चालकों की यूनियने बनी है. न्यूनतम वेतन के पुनरीकरण और अन्य सुविधाओं को लिये दूकान कर्मचारियों ने राज्य व्यापि आन्दोलन किया. बुनकरों ने हैदराबाद में एक भारी मतप्रदर्शन किया. मिधानी नामक सार्वजनिक प्रतिष्ठान में अपना यूनियन मान्यता प्राप्त है. रामचन्द्रपुरम् के भेल कारखाने में अपना यूनियन प्रभावी है. इस कारखाने में हाल में हुये एक दुर्भाग्य पूर्ण गोली कांड में अपना एक यूनियन पदाधिकारी मारा गया. बन्द सर सिल्क मिल को फिर से चालू करने की माँग को लेकर, अदिलाबाद में जिला बन्द आन्दोलन लिया गया और कार्यकर्ताओं ने गिरफतारी दी.

डाक और दूरसंचार विभाग में सक्रिय यूनियने हैं. बैंकों और आयुर्विया निगम में भी. राज्य परिवहन निगम में अच्छा यूनियन कार्यरत है. भारतीय मजदूर संघ के झंडेतले कृषि विश्वविद्यालयों के खेतिहर मजदूर संगठित हैं.

प्रदेश इकाई ने कई तेलुगु साहित्य का प्रकाशन किया है.

महाराष्ट्र

नवेंबर १९८४ में संपन्न प्रदेश सम्मेलन में एक हजार से ऊपर प्रतिनिधी उपस्थित थे. बम्बई जिला का प्रथम अधिवेशन १९८७ अप्रैल में हुआ. इसके पूर्व सदस्यों के लिये खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी और यशस्वी सदस्यों को पुरस्कार बांटे गये.

पुणे एक बडा औद्योगिक केन्द्र बनने जा रहा है और इसे दृष्टी में रखकर भासंघ की इकाई को सक्षम बनाया गया है. बैंक, जीवन बीमा निगम, रेल्वे में अपनी सशक्त यूनियनें हैं. वैसे ही बिजली बोर्ड और परिवहन में भी. कई औद्योगिक विकास केन्द्रों में छोटे उद्योगों में सक्रिय काम है. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में भी यूनियन बना है.

घरेलू कामगारों की संगठना महाराष्ट्र की एक विशेषता है. किसी भी कानून के सहारा न होते हुए भी इस यूनियन ने घरेलू कामगारों को छुट्टी, बोनस, ग्रेच्यूटी जैसी बुनियादि सुविधायें प्राप्त केरा दी. पंढरपुर के मंदिर के कर्मचारियों ने तीन दिन हडताल कर अपना वेतन बढ़ा लिया.

इस प्रदेश में महिला विभाग के कार्य की ओर ध्यान दिया गया है. महिला कर्मचारियों के सम्मेलन और उनके लिये वर्ग भी आयोजित किये गये.

वस्त्रोद्योग में भाम संघ ने एक नया विचार दिया जब बन्द श्रीनिवास मिल के मजदूरों को सहकारिता के आधार पर मिल चलाने को राजी किया गया.

विदर्भ

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र को भारतीय मजदूर संघ द्वारा अलग इकाई का दर्जा दिया गया है. इस क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ निरन्तर प्रगति पर है. यूनियनों की संख्या ३० से ८६ हुई है. तथा सदस्य संख्या २०,००० से १,१२,९२९ हुई है.

ग्रामीण खेतीहर मजदूर तथा सातपुड़ा पहाड़ियों के वनवासी मजदूरों को संगठित करने में बुलढ़ाणा जिले में अच्छी सफलता मिली है. खेती की सरकारी जमीन पर वनवासी लोगों को मालिकाना हक दिलवाने में भारतीय मजदूर संघ को सफलता मिली है.

वरोरा एवं चन्द्रपुर में एम.आई.डी.सी. क्षेत्रों के लघु उद्योगों के मजदूरों को संगठित करने का प्रयास निरन्तर चल रहा है. नागपूर क्षेत्र के हिंगणा, कल्मेश्वर, भण्डारा जिले में गोन्डिया तथा बुलढ़ाणा जिले में खामगांव में भी प्रयास हो रहे हैं. इन यूनियनों के कारण भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता में ५,००० की वृद्धि हुई है. नागपूर के बुनकरों को भी संगठित करने का प्रयास हो रहा है. कपड़ा उद्योग में पुलगांव, अकोला, खामगांव तथा नागपूर की दो सहकारी मिलों में भी भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें अच्छा कार्य कर रही हैं.

बुलढ़ाणा, यवतमाल एवं पुलगांव के जिन मजदूरों में भी यूनियन गतिविधि बढ़ी है. पूजा स्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, भार वाहक तथा रैलगाड़ी मजदूरों में और जो एम्प्लाईमेन्ट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत आते हैं ऐसे असंगठित क्षेत्रों में भी संगठन कार्य हो रहा है.

विभिन्न स्थानों पर कागज, धातुकर्म, रसायन उद्योग, एसबेस्टास तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में यूनियनें कार्यरत हैं.

सरकारी उद्योगों के संगठित क्षेत्र में भी जैसे कोयला खदानें, प्रतिरक्षा उत्पादन, बैंक, बीमा, डाक-तार, रेल्वे, स्थानीय प्रशासन, केन्द्रीय प्रशासन के कर्मचारियों में भी यूनियनें मजबूती से कार्य कर रही हैं. भारतीय मजदूर संघ से संबन्धित कई यूनियनें कर्मचारी सहकारी समितियां, अम्बाझरी एवं जवाहर नगर की प्रतिरक्षा कर्मचारियों की समिति तथा रिजर्व बैंक की गृह निर्माण समिति उल्लेखनीय है.

अन्धाधुन्ध कम्पयूटरीकरण के विरोध में १९८४ में वर्धा, अमरावती, चन्द्रपुर, बुलढ़ाणा, नागपूर, आदि कई स्थानों पर आन्दोलन किये गये. विद्युत मंडल में कर्मचारियों की सात दिन की हड़ताल, तथा अस्पताल कर्मचारियों का आन्दोलन, सहकारी स्पिनिंग मिल के मजदूरों द्वारा १७ दिन की हड़ताल, फैब्रीप्रोज गैस सिलिन्डर कर्मचारियों द्वारा १२० दिन तक चलाई गई क्रमिक भूख हड़ताल तथा मैगनीज एवं लोहा खान मजदूरों के आन्दोलन भी उल्लेखनीय हैं. १० वर्ष के कानूनी लड़ाई के बाद अमरावती के म्यूनिसिपल कर्मचारियों को पक्की नौकरी तथा वेतनमान पूर्व तिथि से प्राप्त हुए हैं. युवा कार्यकर्ताओं के लिए नागपूर में आयोजित अभ्यास वर्ग में १८० युवाओं ने भाग लिया.

गुजरात

गत अखिल भारतीय अधिवेशन के समय केवल १० जिलों में काम था, अब कुल १९ जिलों में से १५ में विस्तार हो गया है. ये नये जिले कच्छ, जामनगर, भावनगर, अमरेली तथा मेहसाणा हैं. गुजरात रिफायनरी, सुरक्षा प्रतिष्ठान, तथा गुजरात विद्युत मंडल धरंगध्रा मिठापुर में रसायन उद्योग, बड़ोदरा में जीवन बीमा एवं कांडला पोर्ट में नई यूनियनें बनी है. संगठनिक दृष्टि से भी प्रगति हुई है. अब पूर्व की तीन की जगह आठ जिलों में जिला समितियां कार्यरत हैं.

ए.सी.सी. अपना पोरबंदर का सिमेंट कारखाना बंद करना चाहती थी. ४५० मजदूर बेकार हो जाते. भारतीय मजदूर संघ ने कारखाना बंद करने का विरोध किया और कानूनी लड़ाई में विजय हासिल कर इन मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा की है. अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि साराभाई केमिकल्स के १९७३ के बोनस का मामला सर्वोच्च न्यायालय से जीत जाने से हुई.

राजकोट जिले के गोंडल नगर की उद्योग भारती के कर्मचारियों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए आन्दोलन करना पड़ा. प्रबंधकों के अडियलपन के विरोध में नगर की पूरी जनता ने एक दिन की हड़ताल कर मजदूरों को समर्थन दिया

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ इस बात पर गर्व कर सकता है कि प्रशासनिक तौर पर १२ जनपदों (डिविजन) में विभाजित राज्य के सभी ४५ जिलों में से ३२ जिलों में काम है. प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन कार्यरत हैं. असंगठित क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ का कार्य प्रथम स्थान पर है. भारतीय मजदूर संघ के कार्य को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के लगभग सभी समितियों में भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला है.

भारतीय मजदूर संघ के निरन्तर प्रयास के कारण श्रम आदालतों की संख्या में वृद्धि एवंअदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान भरने हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में कई कदम उठाये हैं.

भोपाल गैस रिसाव की दुर्घटना के पश्चात तुरन्त ही भारतीय मजदूर संघ ने सहायता कार्य शुरू किया. तीन सदस्यों कि एक समिति दुर्घटना के विविध पहलुओं कि जांच के लिए नियुक्त की गई. इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है.

मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ ने अक्तूबर नवम्बर १९८४ में इन्दौर में संम्पन्न अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का भी आतिथ्य किया. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उत्पन्न परिस्थिति में भी बड़ी मेहनत कर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अभ्यास वर्ग को सफल किया तथा वर्ग में आये लोगों को कोई असुविधा नहीं होने दी.

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सिंघानिया स्ट्राबोर्ड प्रोडेक्ट लि० भोपाल की यूनियन के कड़े परिश्रम के कारण ही प्रबंधकों ने मिल के एक भाग को बन्द करने का प्रयास छोड़ दिया.

पाथाखेड़ा खण्ड में हुई दुर्घटना के दुष्परिणामों को भारतीय मजदूर संघ संबद्ध यूनियन ने ही प्रचारित किया. परिणामतः दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा मिल पाया.

ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की नीति मजदूर हित में नहीं है, अपने न्यायपूर्ण मांगों के लिए किए गये मजदूरों के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप दिन ब दिन बढ़ रहा है. व्यावरा तथा कोरबा में गिरफ़्तार मजदूरों को हथकड़ियां लगाई गई तथा उन्हें डकैतों के साथ रखा गया. झूठे अपराधिक प्रकरण बनाना तो आजकल रोजमर्रा की बात हो गई है.

प्रतिवेदन की अवधि में रायसैन तथा शाजापुर जिलों में काम शुरू किया गया. पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की संख्या ७ से बढ़कर १० हुई.

राजस्थान

राजस्थान प्रदेश की गतिविधियां, आन्दोलन, संघर्ष और पुलिस के दमन से भरी हुई हैं.

मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाने के खिलाफ कपड़ा मिलों में मजदूरों ने लंबे आन्दोलन किये. कई स्थानों पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर लाठीचार्ज किया और मजदूरों को गिरफ्तार किया. राज्य कर्मचारियों की तीन सप्ताहों की लम्बी हड़ताल का भारतीय मजदूर संघ द्वारा समर्थन किये जाने पर प्रदेश महामंत्री को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. अजमेर के २००० छापाखाना कर्मचारियों ने भी आन्दोलन किया. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भी छटनी की धमकी के खिलाफ आन्दोलन पर उतरना पड़ा. कोटा तापीय बिजली घर के मजदूरों को ९५ दिन के क्रमिक भूख हड़ताल के पश्चात थर्मल एलाउन्स लाभ मिला.

वन विभाग के मजदूरों को संगठित किया जा रहा है. उदयपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले इन मजदूरों के सम्मेलन में हजारों मजदूर भाग लेते हैं. गत वर्ष के सम्मेलन में ६,००० मजदूर आये थे.

बैंक उद्योग में अपने कार्य की उल्लेखनीय प्रगति हुई है. ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी पूरी तरह संगठित हैं.

राज्य में अभी १५५ यूनियनें हैं, उनकी सदस्य संख्या २,३०,००० है.

हरियाणा

अंबाला जिले में भारतीय मजदूर संघ के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है. यह नगर शल्य चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के कारण विख्यात है. इन उपकरणों के उत्पादन में यहां सैंकड़ों छोटी मोटी इकाइयां चल उठी है. भारतीय मजदूर संघ ने इनके मजदूरों को संगठित किया है और न्यूनतम वेतन जैसी प्राथमिक सुविधायें दिलवाने में सफलता पाई हैं. सीमेन्ट उद्योग में लंबे संघर्ष के बाद प्रबंध ठेका प्रथा समाप्त करने के लिये राजी हुई है. अब दिहाड़ी मजदूरों

को नियमित नौकरियाँ दी जा रही हैं. मिनी बैंकों के कर्मचारियों की भी यूनियन बनाई गई हैं. इन बैंकों में कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था. इनका वेतन बढ़वाने में यूनियन सक्रिय है. एशिया में सबसे बड़ा कृषि उपकरणों के उत्पादन का उद्योग करनाल में है. यहां केवल भारतीय मजदूर संघ की ही यूनियन है. सोनीपत की एटलस साईकल फैक्ट्री की यूनियन ने पर्याप्त प्रगति की है. अन्य यूनियनों के असहकार तथा प्रबंधकों के दमन के बावजूद २०-८-८६ की हड़ताल पूर्ण तथा सफल रही. फरीदाबाद में कार्य को सुसंगठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

दिल्ली प्रदेश

दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण प्रदेश इकाई सदैव सक्रिय रहती है. एन.सी.सी. कार्यक्रम अन्यान्य उद्योगों के धरने प्रदर्शन आदि दिल्ली में ही संसद के सामने किये जाते हैं.

संगठित क्षेत्र में कपड़ा मिल तथा दिल्ली परिवहन में वेतन वृद्धि अन्तरिम राहत है लिये आन्दोलन हुये हैं. स्वतंत्र भारत मिल में ३१ घंटे का घेराव, ११-४-८६ की सभी कपड़ा मिलों की लाक्षणिक हड़ताल, २०,००० कपड़ा मिल मजदूरों की १०४ दिन की सभी यूनियनों द्वारा की गयी हड़ताल उल्लेखनीय है. दिनांक १८ जुलाई ८६ को कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा बोट क्लब पर किये गये धरने में भाग लेने वाले कुल ४,००० मजदूरों में से १,५०० भारतीय मजदूर संघ के थे. दिल्ली परिवहन कर्मचारियों ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ प्राप्त करने के लिये कई आन्दोलन किये.

असंगठित क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ न्यूनतम वेतन में वृद्धि कराने के लिये आन्दोलन में सबसे आगे है. भारतीय मजदूर संघ का यह प्रयास है कि न्यूनतम वेतन को महंगाई अंक के साथ जोड़ दिया जावे. इस कालावधि में नये क्षेत्रों में प्रवेश हुवा है. टैक्सला टी.वी. के करीब दो हजार कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ में आये हैं.

हिमांचल प्रदेश

औद्योगिक मजदूरों की सबसे अधिक सत्यापित सदस्यता के बावजूद राज्य सरकार भारतीय मजदूर संघ को विभिन्न कमेटियों में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती थी. इस कारण पूरे राज्य में दि० १८-३-८६ को प्रदर्शन आयोजित किये गये. फलतः सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा. राज्य स्तरीय एच.पी.एम.सी. वर्कर्स यूनियन तथा राज्य परिवहन निगम मजदूर संघ ने इस अवधि में अच्छी प्रगति की है. परिवहन कर्मचारियों द्वारा सरकार की निजीकरण की नीति के विरूद्ध की गई एक दिन की लाक्षणिक हड़ताल को उल्लेखनीय सफलता मिली. वनोटिवाला की हिमांचल प्लाय वरकुस एम्पलाईज यूनियन बहुत सक्रिय है और उसने कई मांगें हासिल की हैं.

१९८६ में आयोजित तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग में चालीस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

पंजाब

१८४ यूनियनें और करीब १,३०,००० की सदस्यता के आधार पर श्रमिक संघों की बिरादरी में पंजाब भारतीय मजदूर संघ ने अपना प्रथम स्थान कायम रखा है. गत पांच वर्षों से पंजाब में चल रही असाधारण स्थिति के बावजूद पंजाब भारतीय मजदूर संघ ने न केवल अपना संगठन का ढ़ाचा मजबूत रखा है, अपितु उसे सुधारा संवारा भी है. उग्रवादियों द्वारा मारकाट और गरीब मजदूरों की हत्याओं के पागलपन के चलते हुये, मजदूरों का मनोबल बनाये रखने, एकता कायम रखने, तथा सांप्रदायिक सद्भाव और निश्चय स्थिर रखने उनमें धैर्य जगाने हेतु प्रदेश मजदूर संघ को कई कदम उठाने पड़े. शांति यात्रा मजदूरों के सम्मेलन, जिसमें सिख और सिखेतर मजदूर एकत्रित हों - रामायण, गुरूग्रंथ साहिब के पाठ, उग्रवादियों की हरकतों के विरूद्ध प्रदर्शन, शोकग्रस्त असहाय परिवारों को सहायता आदि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से ही यह संभव हुआ. अमृतसर. जालंधर, लुधियाना में एकता सम्मेलन भी आयोजित किये गये. भारतीय मजदूर संघ द्वारा अकेले अथवा अन्य श्रम संगठनों के साथ किये गये ऐसे कार्यक्रमों से सांप्रदायिक शांति सद्भाव कायम रखने तथा राष्ट्रीय एकात्मता दृढ़ करने में सफलता मिली.

वर्धमान मिल लुधियाना के ५६ कर्मचारियों को अप्रैल १९८२ में एक दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटना एवं गोलीबारी कांड के पश्चात धारा ३०२ सहित अपराधी प्रकरण में जेल में ठूस दिया गया था. सितंबर १९८४ में इन सभी को न्यायालय ने भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के निरंतर प्रयास के फलस्वरूप निर्दोष पाकर मुक्त कर दिया. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद उक्त मिल में आज केवल भारतीय मजदूर संघ की ही यूनियन है और औद्योगिक संबंध सामंजस्य पूर्ण हैं.

इसी प्रकार धारीवाल वूलन मिल के हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक आन्दोलन में पुलिस की गोली से एक की मृत्यु के बाद, अपराधिक प्रकरणों में फांसा गया था. न्यायालय द्वारा उन्हें भी निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया है.

पंजाब भारतीय मजदूर संघ स्थानिय/नागरिक प्रशासन मंडलों के कर्मचारियों में भी कार्यरत है. भारतीय मजदूर संघ सम्बद्ध महासंघ इन बोर्डो में एक मात्र मान्यता प्राप्त संगठन है. अमृतसर नगर निगम के कर्मचारियों को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय से भारतीय मजदूर संघ द्वारा ही बोनस दिलवाया गया था. सुरक्षा प्रतिष्ठान, राज्य सरकार, कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग, डाक-तार, रेल्वे, बैंक, बिजली, सार्वजनिक निमार्ण, म्यूनिसिपलटीयों इन सभी उद्योगों में कर्मचारियों, मजदूरों की सशक्त यूनियनें कार्यरत हैं.

जम्मू कशमीर

इस उत्तरी राज्य में संगठनात्मक कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. सदस्यता दुगुनी से अधिक बढ़कर अब १५,००० हो गई है, यूनियनों की संख्या भी १८ से बढ़कर २३ हुई है. चार जिला समितियों तथा एक नगर समिति गठित की गई है. कई स्थानों पर विविध प्रसंगों

पर अन्यान्य यूनियनों द्वारा धरने, प्रदर्शन एवं सम्मेलन आयोजित किये गये. जम्मू कश्मीर पी.डब्ल्यू.डी. लेबर यूनियन का दिहाड़ी मजदूरों की नौकरी पक्की करने की मांग पर आयोजित विशाल सम्मेलन उल्लेखनीय था. सलाल प्रोजैक्ट मजदूरों द्वारा छटनी के खिलाफ सफल आन्दोलन किया गया तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरों के विरूद्ध आन्दोलन किया. जम्मू फ्लोर मिल तथा नगरपालिका कर्मचारियों ने कायम नौकरी तथा वेतनवृद्धि के लाभ हासिल किये.

भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों के फलस्वरूप श्रम सलाहकार मंडल, लेबर एडवाइजरी बोर्ड, गठित किया गया है. राज्य सरकार ने कर्मचारी बीमा योजना (ई.एस.आई) के लागू करने का अनुमोदन कर दिया है.

उत्तर प्रदेश

भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की इकाइयों में अपना शीर्षस्थ स्थान सुरक्षित रखे हुये है. प्रतिवेदन की अवधि में यूनियनों की संख्या में ५० की वृद्धि हुई है. अब कुल यूनियनें ४२२ हैं. कुछ औद्योगिक महासंघों जैसे सूगर मिल मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के मुख्यालय इसी राज्य में हैं. कपड़ा उद्योग, चीनी, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्थानिक प्रशासन, राज्य परिवहन, रेल्वे, डाकतार, विद्युत मंडल, तापीय बिजली घर, राज्य प्रशासन आदि संगठित क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ की सशक्त यूनियनें हैं. असंगठित क्षेत्र के वनवासी, खेतीहर मजदूर कालीन बुनकरों में भी भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें कार्यरत हैं. इस अवधि में हरिद्वार भेल, मथुरा तेल शोध संयत्र, होटल क्लार्क, वाराणसी, तापीय प्रकल्प वाराणसी, एल्जिन मिल कानपुर तथा विभिन्न चीनी मिलों में भी आन्दोलन किये गये. देवरिया चीनी मिल पर मिल मजदूरों ने मुख्य मंत्री के सामने उनके चीनी मिलों को बन्द करने के संबंध में दिये गये वक्तव्य के खिलाफ प्रदर्शन किया. फैजाबाद में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने आन्दोलन किया फलस्वरूप भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें तीव्र असंतोष के डर के कारण रिहा करना पड़ा. रायबरेली स्पिनिंग मिल में सुरक्षा कर्मचारियों की गोलीबारी से एक मजदूर की मृत्यु हो गई.

कई स्थानों पर कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त किये गये. एल्जिन मिल के कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ को एक स्कूटर भेंट किया. वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में अन्धाधुन्ध कम्प्यूटरीकरण के विरोध में प्रदर्शन किये गये. अप्रैल १९८६ में लखनऊ में आयोजित एक जोरदार प्रदर्शन में करीब ४ हजार मजदूरों ने भाग लिया. प्रदेश में अभ्यास वर्ग भी आयोजित किये गये. राज्य मजदूर संघ द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए रू० ३,०००/- का दान दिया गया. विजनौर जिला चीनी मिल मजदूर यूनियन ने मजदूरों की विधवाओं को रु० ५००/- तथा एक-२ सिलाई मशीन दी.

बिहार

संबन्धित कार्यावधि में - राज्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान, हायटेन्शन इन्सुलेशन फैक्ट्री स्वर्णरेखा वाच फैक्ट्री - रांची, लोहारडगा बाक्साइट खान, गिरिडीह में माईका माईन्स, एक बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा गोमिया में संचालित - इंडियन एक्स्प्लोसिव्हस, हजारी बाग जिले में असाही ग्लास कंपनी, सिंहभूम जिले में लोहे की खानों में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें गठित की गई. किरीबुरू, छिड़िया. मेघहातुबुरू गुआ खानों में भी नई यूनियनें शुरू की गई हैं. राजमहल क्षेत्र की पत्थर की खानों, लालमोतियाँ एवं चित्रा की कोयला खानों, संथाल परगना में भी नई यूनियनें बनाई गई हैं. जपला सीमेन्ट, अशोक पेपर मिल समस्तिपुर, एवं डालामियाँ नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के बंद होने से बेरोजगार हुये २५ हजार श्रमिकों के दुख दर्दो को केवल भारतीय मजदूर संघ ने ही उठाया है.

श्रम संगठनों की सदस्यता की १९८० की जांच में बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ नम्बर एक पर आया था और निरन्तर गतिमानता से उसने अपना प्रथम स्थान कायम रखा. एच.ई.सी. रांची में हुये उल्लेखनीय आन्दोलन के कारण मजदूरों को रु० ८० लाख का बकाया तथा सम्बद्ध पदोन्नति का लाभ मिला. टाटानगर में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने कई आन्दोलन किये जिनसे यह साबित हुआ कि मान्यता न होने के बावजूद बहुसंख्य मजदूरों का समर्थन भारतीय मजदूर संघ की यूनियन को ही है. जमशेदपुर की केबल कंपनी की हमारी यूनियन को मान्यताप्राप्त यूनियन के मुकाबले में बहुमत प्राप्त हुआ. बोकारो में हुई ३९ दिन की हड़ताल अपने आप में अनोखी थी. इसके फलस्वरूप, प्रोत्साहन भत्ता में सुधार आदि मांगें निर्णय के लिये सौंपी गई और मजदूरों के हित में निर्णय मिला. राज्य के सभी उल्लेखनीय उद्योगों जैसे - बिजली, कोयला माईका, रेल्वे, इंजीनियरिंग, सीमेन्ट, सड़क परिवहन में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें हैं.

पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की संख्या ७ से १२ हुई है. संबन्धित अवधि में, साहिबगंज, गोंडा, लोहारडगा, पश्चिम चंपारण तथा देवघर जिलों में काम शुरू हुआ है. कुल चालीस जिलों में से २४ में अपना कार्य है.

उड़ीसा

उड़ीसा में ११ और यूनियनें गठित की जा रही है. इससे कुल यूनियनों की संख्या २६ हो जायेगी. कुल तेरह जिलों में पांच जिलों में हमारा काम चल रहा है. कोयला खदान क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ का प्रवेश हो गया है. कटक जिले के आंगनवाडी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की यूनियन की एक अलग ही विशिष्टता है. अपनी यूनियनों के माध्यम से इन्होंने नौकरी की सुरक्षा और अच्छी सेवा शर्तों की सुविधा प्राप्त की है. नवम्बर १९८६ में महिला मजदूरों के लिये बालीकुंडा में एक विशेष वर्ग लिया गया.

डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों में भी संगठन कार्य चल रहा है.

पश्चिम बंगाल

अन्य कारणों के साथ ही वाममोर्चा सरकार की प्रभावहीन नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल का औद्योगिक वातावरण द्रुतगति से बिगड़ता जा रहा है. लंबी तालाबंदियों के कारण, कपडा, जूट तथा इस्पात कारखानों के बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हुये हैं. राज्य में सीटू राज्य सरकार के पुलिस की सहायता से अन्य श्रमिक संगठनों को दबाने के कार्य में साथ दे रहा है. नवीनतम उदाहरण समनुगर, उत्तर जूट मिल श्रमिक संघ का है जहां पुलिस से रातपाली के श्रमिकों को जबरन फैक्ट्री के बाहर खदेडकर प्रबंधकों की तालाबंदी घोषित करवाने में मदद की. सीटू संचालित बैंक एम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया राजनैतिक प्रभाव के कारण क्लीयरिंग हाऊस में कंप्यूटर लगाने के खिलाफ चल रहे आन्दोलन से एकदम पीछे हट गया. इस कारण एन.ओ.बी.डब्ल्यू. को अकेले ही आन्दोलन चलाकर पुलिस जुर्म सहना पड़ा. किन्तु इससे यह उजागर हो गया कि सीटू बंगाल में सरकार समर्थक मजदूर विरोधी संगठन है. सामान्य मजदूर का, बड़ी आशायें जगाने वाली मार्क्सवादी तथा अन्य वाम मोर्चा पार्टियों के बारे में भ्रम निवारण हो गया है.

भारतीय मजदूर संघ का कार्य, जूट, इंजीनियरिंग, इस्पात, सूती कपड़ा, बीड़ी, चाय, कागज, बिजली, परिवहन, रब्बर, डाक-तार, बैंक, बीमा, गोदी कामगारों में तेजी से बढ़ा है. शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकेतर कर्मचारियों, दुकानों एवं अन्य व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों को भी संगठित किया गया है. जूट मिलों की बीमारी की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ द्वारा कपड़ा मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा एवं श्रम मंत्री श्री पी.ए. संगमा के बंगाल आगमन पर एक श्रमिकीकरण योजना प्रस्तुत की गई है.

रावल रबर वर्क्स के प्रबंधकों द्वारा भागीदारों से मतभेद के कारण प्रबंधन असमर्थता प्रकट करने पर भारतीय मजदूर संघ की यूनियन द्वारा प्रबंध अपने हाथ में लेकर फैक्ट्री चलाई जा रही है. खेतीहर मजदूरों को संगठित करने की दृष्टि से नदिया में एक जिला संगठन बनाया गया है. अन्य यूनियनों की गुंडागर्दी के विरोध में कोयला खान मोरिया तथा अन्य खानों के श्रमिक भारतीय मजदूर संघ संबद्ध खान श्रमिक संघ में आ गये हैं. इस कारण खान श्रमिक संघ को अच्छा प्रोत्साहन मिला है. भारतीय मजदूर संघ द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण अलीपुर डिपो का बंद होना स्थगित हो गया है. फलस्वरूप ६०० मजदूरों का रोजगार सुरक्षित रहा है.

प्रतिवेदन की कालावधि में भारतीय मजदूर संघ की सभी यूनियनें मजदूर हित के लिये आन्दोलनों धरनों आदि कार्य कर रही हैं.

पश्चिम बंगाल में भारतीय मजदूर संघ की प्रगति उत्साहवर्धक है. १९८६ के अंत में १४८ यूनियनें तथा १,५८,७५१ सदस्यता रही. तीन जिलों में नया काम शुरू हुआ है.

असम

तिनसुखिया और सिलचर, दोनों विभागों के चाय बगान मजदूरों की अच्छी यूनियन कार्यरत है. हाल ही में सिलचर जिला समिति गठित हुयी है. यहाँ के जीवन बीमा इकाई के

सक्रिय यूनियन को उत्साही तरुण समर्पित कर्मचारी चला रहे हैं. १७ यूनियनों में एक लाख से अधिक सदस्य संख्या है.

अपना कार्य सूती मिल, बैंक, गैर शिक्षक कर्मचारी और अभी अभी रिफयनरी में भी चालू है.

इतर राज्य

इन राज्यों के अलावा, भामसंघ ने नागालैंड (परिवहन) त्रिपुरा (चायबगान) पांडिचेरी (सूतिमिल) गोवा (केमिकल्स) और चंडीगढ़ (छोटे उद्योग) में भी कार्य चलाया है.

औद्योगिक महासंघ

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

सी.ओ.एफ.एम.ओ.डब्ल्यू. मजदूर संघ, दिल्ली, के गठन से और हाल ही में बी.सी.डब्ल्यू. पटियाला में डी.सी.डब्ल्यू. कर्मचारी संघ का पंजीकरण हो जाने से इस महासंघ में दो यूनियनें बढ़ी हैं. कपूरथला के नये कारखाने में भी यूनियन बनाई जा रही है. इस अवधि में खडकपुर वर्कशाप और महालक्ष्मी शेड में नई इकाईयां बनी.

भारतीय रेलों पर चल रहे सभी महासंघ में भारतीय रेलवे मजदूर संघ सर्वाधिक सदस्य संख्या से प्रथम स्थान पर उभरकर आया है. किन्तु रेलवे प्रशासन उसे मान्यता न देने पर अडा हुआ है. सभी तर्कों और अनुरोधों के विफल होने से भारतीय रेलवे मजदूर संघ सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने के लिये मजबूर हुआ. न्यायालय ने अब सरकार को नोटिस दिया है कि वह महासंघ को मान्यता देने का निर्देश क्यों न दे. अब न्यायालय के निर्णय की उत्सुकता से प्रतिक्षा है.

प्रतिवेदन की कालावधि में भारतीय रेलवे मजदूर संघ पूर्णतः सक्रिय रहा है. देश भर में सभायें प्रदर्शन आदि करके इसने ८ मई १९८४ को १९७४ के हड़ताल की १०वीं वर्ष गांठ मनाई. चतुर्थ वेतन आयोग को इसने मजदूरों के मांगों पर एक विस्तृत विवरण देकर उनका औचित्य सिद्ध किया. तद्उपरान्त आयोग के सामने मौखिक निवेदन भी किया. वेतन आयोग की सिफारिश आने पर उनके मजदूरों के हित में न होने के कारण इसने ११ से १६ अगस्त १९८६ को देश भर में विरोध सप्ताह मनाया.

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध केन्द्रीय कर्मचारियों के अन्य महासंघों के साथ इसने २६ सितम्बर १९८४ को अन्तरिम राहत बोनस आदि मांगों के लिए एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया. चारों ओर प्रचार और हड़ताल की हलचल में इसे काफी सफलता मिली. समझौता वार्ता अधिकारियों के हस्तक्षेप से अन्तिम समय में हड़ताल वापस ले ली गई क्यों की बोनस जैसी कुछ मांगों पर सरकार ने स्वीकृति दे दी थी.

कम्प्यूटरीकरण करने हेतु सरकार मजदूरों की संख्या ५ प्रतिशत कम करना चाहती थी, कर्मचारियों को अनिवार्य निवृत्ति देना चाहती थी तथा भर्ती पर रोक लगाये हुई थी. भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने ७ से १४ अप्रैल १९८६ एन्टी एनहिलेशन वीक (बर्बादी विरोधी सप्ताह) मना कर इसका विरोध किया. अगस्त १९८७ में इसने धोखाधड़ी सप्ताह मना कर अन्य फैडरेशनों और सरकार के बोनस विषय में भ्रमिक प्रचार का विरोध किया.

२६ फरवरी १९८६ के महंगाईविरोधी एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने के कारण सरकार ने कुछ कार्यकर्ताओं को बदले की भावना से प्रताड़ित किया. इनके प्रकरण हाथ में लेकर हमारी यूनियन, महासंघ ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त कराया.

भारतीय रेलवे मजदूर संघ कुछ रचनात्मक कार्यों में भी रूचि लेता है. बम्बई वीटी, वाडीबन्दर, करजत, अकोला, बड़ोदा हाऊस आदि कई जगह वह सहकारी समितियां, कैन्टीन आदि भी चला रहा है.

डी.एल.डब्ल्यू. की इसकी इकाई मजदूरों को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय श्रम दिवस पर पुरस्कार भी देती है.

फरवरी १९८६ में इसने रेलवे पर कम्प्यूटरीकरण के दुष्परिणामों के विषय में भुसावल में एक सेमिनार भी आयोजित किया. रेलों पर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी इसे रुचि है. सुरक्षा कमिशनर के साथ इसका विस्तृत विचार विनिमय हुआ कुछ सुझाव भी दिये गये. वर्तमान में भारतीय रेलवे संघ की १४ यूनियनें और ६,३५,३३० सदस्यता है.

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की अब ८७ यूनियनें और १,२५,८५० सदस्य संख्या है. इससे २० प्रतिशत की वृद्धि हुयी है. सुरक्षा सेनाओं के नागरिक कर्मचारियों के सभी फैडरेशनों में १९८० की जांच में यह प्रथम स्थान पर आया था. प्रतिवेदन की कालावधि में १० नई यूनियनें बनी.

कई स्थानों पर यह कर्मचारियों के आन्दोलन में अगुआ रहा है और मजदूरों की समस्या सुलझाने में इसे सफलता मिली है. अप्रैल १९८४ में विशाखापट्नम की नौसेना गोदी के ६५० मजदूरों को हमारी यूनियन द्वारा तीन दिन की सफल हड़ताल कर छटनी से बचाया और नियमित कराया. अलीपुर के आर्डनेन्स डिपो को बंद होना महासंघ के हस्तक्षेप के फलस्वरूप ही रूका. संघ ने अनेक प्रसंगों पर कई जगह लंच बायकाट, प्रदर्शन तथा सभायें की हैं. बोनस बढ़ाने के लिये १९८६ में एक दिन की कानपुर में सम्पूर्ण हड़ताल हुई.

चतुर्थ वेतन आयोग के संबंध में विरोध के लिये १९८४ में बोट क्लब दिल्ली में प्रदर्शन किया गया. वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण के लिये कानूनी कारवाई भी की गई है. कई स्थानों पर संबद्ध यूनियनों को वर्क्स कमेटियों, केन्टीन कमेटियों और सहकारी समितियों के चुनावों में उल्लेखनीय सफलतायें मिली हैं.

संगठन की मजबूती के लिये जोनल बैठकें ली गई. कानपुर फील्डगन फैक्ट्री में एक दुर्घटना से १२ मजदूरों की मृत्यु हुई एवं अन्य २५ घायल हो गये. मजदूरों पर शेष छा गया, संघ के प्रभाव से ही मजदूरों को शांत किया जा सका और प्रत्येक मृतक के परिवार को रुपये ५०,०००/- का मुआवजा तथा घायलों के लिये रुपये १५,०००/- का लाभ प्राप्त किया गया. मजदूरों ने जरूरतमंद घायलों को खून भी दिया. मजदूरों में विस्तृत प्रभाव के कारण संघ मान्यता का न्यायोचित हकदार है किन्तु सरकार हिचक रही है.

बराकपुर बंगाल में ३०-३१ दिसम्बर १९८६ को हुए अधिवेशन में १,१०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

नैशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स

इस अवधि की बैंकिंग क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बिना कोई वार्ता किये, बैंकों में संगणक (कम्प्यूटर) लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग का एन.ओ.बी.डब्ल्यू. द्वारा ठुकराया जाना. ए.आई.बी.ई.ए. तथा एन.सी.बी.ई. ने संगणक लगाये जाने के समझौते पर १९८३ में ही हस्ताक्षर कर दिये थे और उसे अब और तीन साल, १९८९ तक, बढ़ा दिया गया है. एन.ओ.बी.डब्ल्यू. द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण आई.बी.ए. ने दमन और विध्वेश की भावना से उसे वेतन वार्ता में भाग लेने से वंचित कर दिया है किन्तु अपने स्वाभीमान को कायम रखकर एन.ओ.बी.डब्ल्यू. कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. बम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ के सामने इस मामले में लगाई गई रिट याचिका न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकृत कर ली है. एन.ओ.बी.डब्ल्यू. ने त्रिपक्षीय वार्ता में सहभाग, तथा अंधाधुन्ध कम्प्यूटरीकरण के विरोध में २० अगस्त ८७ को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारियाँ भी दी.

बैंक कर्मचारियों को अब महसूस हो रहा है कि कम्प्यूटर समझौते के कारण बैंकों में नये कर्मचारियों की भर्ती में बड़ी कमी हुई है. सोच समझ के बिना किये जा रहे अंधाधुन्ध कम्प्यूटरीकरण के खिलाफ एन.ओ.बी.डब्ल्यू. द्वारा किये गये बुद्धिमत्तापूर्ण तर्कों की गूँज सभी ओर से सुनाई दे रही है और सरकार अब बचाव की भूमिका ले रही है.

यह उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र की यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक में हमारी यूनियन ने भारी कठिनाईयों के और दबावों के बावजूद कम्प्यूटरीकरण को हटाकर ही वेतन समझौता किया. कलकत्ता में रिजर्व बैंक द्वारा क्लीयरिंग हाउस में कम्प्यूटर लगाने का प्रयास करने पर एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के कर्मचारियों ने विरोध किया और गिरफ्तारियाँ दी. इससे सीटू से संलग्न बी.ई.एफ.आई. का, जो पहले तो आन्दोलन में थी और जोर से आवाज उठा रही थी, किन्तु बाद में मैदान छोड़कर भाग गई, भंडाफोड हो गया.

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के प्रवक्ता के रूप में ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गनाईजेशन की प्रगति एक उल्लेखनीय घटना है. राष्ट्रीकृत बैंकों के समान वेतन की मांग पर उसने जोरदार प्रदर्शन/आन्दोलन किये हैं. इस मांग को वह सर्वोच्च न्यायालय में ले गयी है और न्यायालय ने सरकार को इस मुद्दे पर जांच करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया है.

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. की कुछ यूनियनों ने चेक ऑफ, वेतन से ही यूनियन का चंदा कटवाने की सुविधा, प्राप्त कर ली है. कुछ अन्य बैंकों में प्रबंधक इसे हमारी यूनियनों तक पहुंचने पर अन्यायपूर्ण रोक लगाये हुये हैं.

राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण बैंकों में सब स्तरों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डकैतों के कारण असुरक्षा पैदा हुई है, बैंक के सामने नई समस्याएँ और आह्वान खड़े हुये हैं. एन.ओ.बी.डब्ल्यू. इनका डटकर मुकाबला कर रहा है.

नैशनल आर्गनाईजेशन ऑफ इन्शोरेन्स वर्कर्स

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का बीमा निगम को विभाजित करने का प्यारा सपना कर्मचारियों के कड़े विरोध के कारण टूट जाने के बावजूद निगम में संचालन के विकेन्द्रीकरण, नये डिविजनों का निर्माण जैसे संगठनात्मक परिवर्तन हुये हैं. परिणामतः कर्मचारियों के सामने नई समस्यायें और समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न हुई है. एन.ओ.बी.डब्ल्यू. ने सावधान होकर अपने संगठन को नई स्थितियों के मुकाबले के लिये सिद्ध किया है. श्रीनगर, औरंगाबाद, वारंगल, रायपुर, कर्नाल, थाने, बडोदरा, एवं सिलचर में जहां नये डिविजन खुले, नई यूनियनें पंजीकृत की गई है. इनमें से कुछ डिविजनों में एन.ओ.आई.डब्ल्यू.. सीधे ही बहुमत में आ गया.

इन पुनर्गठनों से उत्पन्न समस्याओं को एन.ओ.आई.डब्ल्यू. और संबद्ध यूनियनों ने प्रबंधकों के सामने रखा है. आज की प्रमुख समस्या पुराने वेतन समझौते का पुनरीक्षण और सुधार. संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत सरकार जीवन बीमा निगम कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्णय करने के अधिकार पा गई है. किन्तु कर्मचारी सामूहिक समझौते के अधिकार पर जोर दे रहे हैं. एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने अपना मांग पत्र तैयार कर प्रबंधकों को प्रस्तुत करने के पहले उसे कोई किसी भी यूनियन का हो, सभी कर्मचारियों में वितरित किया है. इससे कर्मचारियों में नई जागृति पैदा करने में मदद मिली है.

इसके छटे अधिवेशन में ५०० से अधिक प्रतिनिधि आये थे, महिलायें भी पर्याप्त संख्या में थी. महिला प्रतिनिधियों का एक लघु अधिवेशन उनकी विशेष समस्याओं जैसे विवाह के बाद स्थानांतरण, कामनरूम, मातृत्व तथा शिशु पालन आदि पर विचार करने हेतु संपन्न हुआ.

संयुक्त संघर्ष चालु रखने की दृष्टि से एन.ओ.आई.डब्ल्यू. ने अन्य संगठनों के साथ एकता भी पक्की रखी है.

जनेवा में हुई सेलरीड एम्पलाईज एण्ड प्रोफेशनल वर्कर्स की त्रिपक्षीय कमेटी में एन.ओ.आई.डब्ल्यू. के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस. भावनारायणजी ने अप्रैल ८५ में भाग लिया.

युवा कार्यकर्ताओं के यूनियन कार्य प्रशिक्षण के लिये विविध स्तरों के वर्ग भी लिये गये हैं.

भारतीय डाक तार कर्मचारी महासंघ

सरकार द्वारा डाक तार विभाग के पुनर्गठन के बाद इस महासंघ में भी परिवर्तन हुआ है. संबंद्ध १४ यूनियनों के अब भारतीय टेलीकाम एम्पलाईज फैडरेशन, भारतीय पोस्टल एम्पलाईज फेडरेशन नाम से दो महासंघ बनाये गये है. भारतीय डाकतार कर्मचारी महासंघ (बी.पी.टी.ई.एफ) पूर्ववत् इनके गतिविधियों से समन्वय रखने का कार्य करता रहेगा.

इन महासंघों को सरकार ने मान्यता दे दी है. अन्य महासंघों के साथ संयुक्त आन्दोलन भी हुये हैं. अन्य महासंघें के साथ मिलकर बी.पी.ई.एफ. ने भी १४ जुलाई ८७ से एक सप्ताह की हड़ताल की घोषणा की थी. सभी महासंघों ने मिलकर हड़ताल की तैयारी की. वातावरण की उग्रता को देखकर सरकार प्रमुख मांगों पर समझौते के लिये आगे आई और दि० ११-७-८७ को सभी महासंघों के साथ समझौता हुआ और हड़ताल टल गई.

बी.पी.टी.ई.एफ. द्वारा अभ्यास वर्ग भी किये गये. नागपूर में हुये वर्ग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस का भी भाषण हुआ. दूरसंचार पर हुये राष्ट्रीय सम्मेलन में बी.टी.ई.एफ. प्रस्तुत पत्र की काफी सराहना हुई.

सरकारी कर्मचारी महासंघ - नैशनल कान्फैडरेशन ऑफ गवर्नमैन्ट एम्पलाईज के आह्वान के अनुसार बी.पी.टी.ई.एफ. ने संबंद्ध इकाइयों को २६ सितंबर १९८४ को हड़ताल पर जाने का निर्देश दिया. इसका इतना प्रभाव हुआ कि अन्य महासंघ भी साथ देने को बाध्य हुये. ऐसी स्थिति पैदा हुई की सरकार ने रोकी हुई महंगाई भत्ते की किश्तें बकाया राशि मुक्त कर दी. तथा बोनस देना भी माना, और विभागेतर (ई.डी.) कर्मचारियों की सेवास्थिति के पुनरीक्षण के लिये एक सदस्यीय आयोग नियुक्त कर दिया.

६ जून ८५ की हड़ताल में एन.एफ.पी.टी.ई. के साथ भारतीय आर.एम.एस. यूनियन ने भी, विभाग के पुनर्गठन की सरकार की कार्यवाही के विरोध में भाग लिया.

भारतीय डाक ताार मजदूर मंच ने दिहाड़ी मजदूरों (केजुअल लेबर) को नियमित करने की मांग पर संचार मंत्रालय के मुख्यालय पर एक विशाल धरना दिया, तथा बोट क्लब पर १०,००० मजदूरों का प्रदर्शन किया.

विभागेतर (ई.डी.) कर्मचारियों ने लगातार ७४ दिन २४-२-८७ से ८-५-८७ दिल्ली में धरना दिया. पूरे देश से आये कार्यकर्ताओं ने इसमें पारी पारी से भाग लेकर कार्यस्थितियों में सुधार की मांग की. अन्ततः सरकार ने मांगें अंशतः मान ली. यह कार्यक्रम भारतीय ई.डी. एम्पलाईज यूयिन द्वारा किया गया.

भारतीय टेलीकाम टैक्नीशियन्स यूनियन ने भी वेतन आयोग द्वारा उनके साथ किये गये अन्याय के खिलाफ आन्दोलन किया. परिणाम स्वरूप सरकार ने मांगों पर विचार करने के लिये कमेटी नियुक्त की. आन्दोलन और नियम अनुसार काम के कारण ही सरकार - मांगों के बारे में बातचीत करने को बाध्य हुई. बी.टी.ई.एफ. ने भी आन्दोलन किया और जे.सी.एम. में स्थान न होते हुये भी सरकार को बात-चीत करने के लिये बाध्य किया.

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ

कोयला खदान मजदूरों की यूनियनों के इस महासंघ का कार्य कोयला उत्पादक सात राज्यों में फैला हुआ है. १६ यूनियनों द्वारा कोयला खदान कंपनियों के १,५०,००० मजदूरों को संगठित किया गया है. सभी यूनियनों के अधिवेशनों में कुल ४,५०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया, महासंघ के अधिवेशन में १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित थे.

सदस्यता के आधार पर अधिक प्रतिनिधित्व की पात्रता होने के बावजूद, कोयला खानों के वेतन समझौता समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ को अभी एक ही प्रतिनिधि दिया गया है. पात्राता के अनुसार अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार से वार्ता चल रही है. अन्य कमिटियों में भी खदान मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है.

मजदूरों की मांगों और दुखदर्दों की आवाज उठाने में संघ पूर्णतया सक्रिय है. मजदूरों की

मांगों के प्रचार के लिये संघ ने धनबाद में प्रदर्शन, शहडोल में धरना, तथा धनपुरी में भूख हड़ताल द्वारा आन्दोलन किये हैं.

पाथाखेड़ा खान में बी.पी.ई. के निर्देशों के विरोध करने प्रदर्शन कर बी.पी.ई. का पुतला जलाया गया.

हाल ही में संथाल परगना क्षेत्र में भी काम का प्रसार हुआ है.

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ द्वारा दूरदराज के खानों में स्कूल खोलने जैसे कुछ रचनात्मक कार्य भी हाथ में लिये गये हैं.

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ

राज्य विद्युत मंडलों एवं विद्युत उत्पादक निगमों के कर्मचारियों के यूनियनों के इस महासंघ का गत अधिवेशन उज्जैन मध्य प्रदेश में अक्तूबर १९८६ में संपन्न हुआ. देश भर से २,००० प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. वर्तमान में इससे ७२ यूनियनें सम्बद्ध हैं और उनकी सदस्यता २.२५ लाख से अधिक है. भारतीय मजदूर संघ के गत अधिवेशन के समय के ६४ यूनियन और १.४२ लाख सदस्य संख्या के मुकाबले पर्याप्त प्रगति है.

महाराष्ट्र में इसे एक असाधारण उपलब्धि हुई. एक लंबे समय आन्दोलन के बाद महंगाई का नया सूत्र लागू किये जाने के कारण कर्मचारियों को रुपये २०० से ८०० प्रतिमास अधिक महंगाई भत्ता मिलने लगा है. राजस्थान की यूनियन को विध्वेशपूर्ण कारवाई तथा स्थानांतरण के आदेशों के वापस लिवाने में सफलता मिली. इसी यूनियन ने कोटा संयंत्र के कर्मचारियों को तापीय प्रकल्प भत्ता भी दिलवाया. पंजाब की इकाई ने अशान्त और प्रक्षोभक वातावरण में भी धैर्य से विरोध प्रदर्शन और शांतियात्रा आदि द्वारा मजदूरों में सांप्रदायिक सामंजस्य कायम रखने में सफलता पाई. उसे संयुक्त कौन्सिल प्रतिनिधित्व भी मिला. गुजरात, हिमांचल प्रदेश, जम्मू-कशमीर और उड़ीसा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है. मध्य प्रदेश में हमारी यूनियन द्वारा जबलपुर में किये गये ५,००० कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण ही मजबूर होकर विद्युत मंडल को वेतन श्रेणियों में सुधार करना पड़ा. बिहार की यूनियन ने भी औद्योगिक न्यायालय के फैसले को लागू कराने के लिये हड़ताल और आन्दोलन किये. कर्नाटक विद्युत निगम की यूनियन का नये क्षेत्रों में काम हुआ है और यूनियन द्रुत गति से बढ़ रही है.

कुछ अन्य गतिविधियों का उल्लेख भी आवश्यक है. महाराष्ट्र इकाई ने महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि की राशि से मजदूरों से अनुदान के रूप में १०.७५ लाख रुपयों की राशि इकट्ठी की. इस राशि में शाखा से महासंघ स्तर तक सभी को हिस्सा दिया गया. भारतीय मजदूर संघ को भी पर्याप्त अनुदान मिला.

इसी यूनियन ने एक अन्य प्रशंसनीय कार्य यह किया की अपने कोष से असंगठित उपेक्षित भूमिहीनों के लिये ४५ हजार रुपये अलग रखे. इससे संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के उपेक्षित बंधुओं को रचनात्मक सहायता करने की प्रेरणा मिलती है. इसके कारण यूनियन के ग्रामीण सदस्यों को भी कृषि मजदूरों को संगठित करने की प्रेरणा मिली है.

महाराष्ट्र की इकाई ने कुछ अन्य प्रशंसनीय कार्य भी हाथ में लिये हैं. मृत सदस्यों के परिवारों की सहायता के लिये उसने एक न्यास स्थापित किया है. यह इकाई अच्छे ढंग से सहकारी साख सोसायटी चला रही है. इसके अलावा रक्तदान, आंख के इलाज के शिविर, - जरूरतमंदों को सस्ते दामों में ऐनकें देने जैसे काम भी हाथ में लिये गये हैं.

एक और भूषणावह बात यह है कि अपने यूवा सदस्यों की योग्यता और संगठन क्षमता बढ़ाने के लिये उनके प्रशिक्षण के लिये भी कदम उठाये गये हैं. इस हेतु २५ से ४० आयु के कार्यकर्ताओं के विभाग स्तर के वर्गों में ७५० प्रशिक्षुओं ने भाग लिया. इस प्रकार विविध मोर्चों पर सक्रिय रहकर इस महासंघ ने यह बताया है कि यूनियन क्या क्या कर सकती है.

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ

महासंघ द्वारा किया गया सबसे प्रभावी कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों के परिवहन निगमों के कार्यालयों के सामने १० नवम्बर १९८६ का धरना है. बिहार सरकार को सड़क परिवहन के निजीकरण से परावृत्त करने के लिये यह कार्यकम किया गया. ९ राज्यों में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम इतना प्रभावी हुआ कि बिहार सरकार पुर्नविचार के लिये मजबूर हो गई. जयपुर का धरना सबसे बड़ा था. इसमें ५,००० कर्मचारियों ने भाग लिया.

महासंघ ने तमिलनाडू में कदम बढ़ाये हैं तथा महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र, हिमांचल और दिल्ली में अपनी स्थिति और मजबूत की है. फरवरी १९८६ में औरंगाबाद में हुये अधिवेशन में १,८०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया. अखिल भारतीय तथा निम्न स्तर पर भी अभ्यास वर्ग किये गये. निजी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों को महासंघ में समाहित करने के भी प्रयास हो रहे हैं. नागपूर और यवतमाल में सहकारी समितियों के चुनाव में हमारी पेनल को भारी बहुमत मिला है.

लंदन की इन्टरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन ने दि० २५-२६ अप्रैल १९८५ को दिल्ली में राष्ट्रीय परिवहन नीति पर एक सेमिनार आयोजित किया था, इसमें परिवहन कर्मचारियों का एक मात्र प्रतिनिधि हमारे महासंघ का ही था. इनलैण्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी की जिनेवा में हुई बैठक में महासंघ के तत्कालीन महामंत्री श्री एस.एस. चांन्द्रायण की भूमिका प्रभावी रही थी.

महासंघ से संबद्ध यूनियनों ने कुछ कानूनी लड़ाईयां भी जीती है. राजस्थान निगम का बिना जांच के कर्मचारी को निकाल दिये जाने के नियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जाना तथा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय का महासंघ की यूनियन को सभी सुविधायें देने निर्णय को बहाल रखा जाना ये दो प्रकरण उल्लेखनीय हैं.

महासंघ के एवं कुछ अन्य यूनियनों के जिन्होंने सहयोग किया, प्रयासों से महाराष्ट्र के कामगारों की औसतन रु० २५० प्रतिमास की वृद्धि प्राप्त हुई. दिल्ली की यूनियन ने मजदूरों की मांगों के लिये प्रदीर्घ आन्दोलन किया.

कामगारों को अधिक अच्छी सेवा देने की प्रेरणा देकर तथा निगमों को कामकाज के सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव देकर महासंघ निगमों की सेवा में सुधार के लिये हर कोशिष कर

रहा है. और धीरे धीरे इसका प्रभाव भी हो रहा है. राजस्थान में पहली बार मजदूरों को कानूनी न्यूनतम से अधिक, १० प्रतिशत बोनस मिला है.

सुयोग्य व्यक्तियों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देकर निगम बोर्ड का पुनर्गठन करने तथा समान सेवा नियमों तथा परिवहन सेवा केडर के निर्माण की मांगों पर जोर देने हेतु महासंघ ने दिल्ली में संसद पर एक भारी विशाल प्रदर्शन किया. जिसमें पूरे देश से आये ३,००० मजदूरों ने भाग लिया और गिरफ्तारियां दी.

महासंघ ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि उसके सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सेवा में भी सुधार आना चाहिए. इस हेतु कर्मचारियों के उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग शिक्षावर्ग भी लिये गये हैं. सड़क दुर्घटनाओं के कारण, और उन्हें रोकने के उपायों पर शोध के लिये महासंघ ने अपनी कमेटियां बनाई हैं.

वर्तमान में महासंघ की ११ राज्य यूनियनें और उनके ८५,००० सदस्य हैं.

भारतीय इंजिनियरिंग मजदूर संघ

२३० यूनियनों के इस महासंघ की सदस्यता १,६०,००० है. सरकार द्वारा गठित इंडस्ट्रीयल कमेटी ऑन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, नैशनल इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट तथा कंनफैडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीयल रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी में इसे प्रतिनिधित्व मिला हुआ है.

कई राज्यों में यह त्रिपक्षीय वेतन वार्ताओं में भाग लेता है. हाल ही में ५० औद्योगिक अधिकरणों में इसका प्रसार हुआ है.

इसी वर्ष संपन्न हुये दूसरे अधिवेशन में ११ राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

भारतीय इस्पात मजदूर संघ

भारतीय इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री को दिसम्बर १९८६ में जनेवा में हुये अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के इस्पात और लोहा कमेटी के ११वें सत्र के लिये चुना गया था. उन्होंने सत्र में भाग भी लिया किन्तु फिर भी सरकार नैशनल ज्वाईन्ट कन्सलटेटिव कमेटी में इसे प्रतिनिधित्व देने से अभी भी इन्कार कर रही है.

बोकारो में हमारी यूनियन द्वारा किये गये ३८ दिन के प्रदीर्घ आन्दोलन के फलस्वरूप प्रबंधकों ने पदोन्नति नीति और प्रोत्साहनों का एक समझौता स्वीकार लिया.

बर्नपुर में ठेका मजदूरों की समस्याओं के लिये ७ दिन की भूख हड़ताल की गई. किरूबुरू और मेघातुबुरू में मजदूरों की मांगों के लिये तीन दिन हड़ताल की गई.

टिसको जमशेदपुर में हमारे प्रयास के कारण इंसेटिव्ह कमेटी पर आय.एन.टी.यू.सी. द्वारा मनोनयन किये जाने की परंपरा बन्द कर पहली बार गुप्त मतदान हुआ. कामगारों के विश्राम के दिन को उनकी छुट्टियों में न जोड़े जाने में भी हमारी यूनियन को सफलता मिली.

संबंधित समय में चार नई यूनियनें सिंहभूम के गुआ-चिरीया खान में मेघातुबुरू एच.एस.सी.एल. बोकारो (सभी बिहार में) तथा एच.एस.सी.एल. दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बनी.

भारतीय जूट मजदूर संघ

कई मिलों के बंद होने, लम्बी तालाबन्दीयों, मजदूरों की छटनी एवं काम के बोझ में बढ़ोत्री तथा तदुद्भूत संघर्षों और हड़तालों के कारण वर्तमान में जूट उद्योग एक बड़ी कठिन स्थिति से गुजर रहा है. फिर भी भारतीय जूट मजदूर संघ का प्रसार हो रहा है. सदस्यता भी बढ़ रही है. प्रतिवेदन की कालावधि में यूनियनों की संख्या ३७ से ४० हुई तथा सदस्य संख्या ४०,००० से कुछ अधिक से बढ़कर ५३,००० हुई है. परंपरागत बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, क्षेत्र के बाहर आन्ध्र प्रदेश में भी इसका प्रवेश हुआ है.

हाल ही में उद्योग में कार्यरत कुल मजदूरों की संख्या २.५ लाख से घटकर १.५ लाख रह गई है. किन्तु कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई. उत्पादन १२.५ लाख से बढ़कर १४.५ लाख टन हुआ है. इसके कारण हैं मिलों का आधुनिकीकरण और मजदूरों के काम में वृद्धि. भविष्य निधि में प्रबंधकों के सहभाग की राशि का बकाया १९८५-८६ के अन्त में ५२.२ करोड़ पर पहुंचा है. तथा ६ राष्ट्रीयकृत मिलों की कुल घाटे की राशि ९० करोड़ हो गयी है. इस स्थिति में उद्योग को अपने हाथ में लेने को सरकार ने साफ इन्कार कर दिया है. भारतीय जूट मजदूर संघ ने श्रमिकीकरण का सुझाव दिया है तथा कम से कम एक मिल मजदूरों के सुपुर्द करने का अनुरोध किया है. मजदूरों को ही शेयर होल्डर बनाने का एक नया प्रयोग न्यू सेन्ट्रल जूट मिल में चल रहा है.

दि० १६ जनवरी १९८४ से ७ अप्रैल १९८४ तक हड़ताल के रूप में एक संयुक्त आन्दोलन किया गया है. बाद में हुये समझौते से भारतीय जूट मजदूर संघ अलग ही रहा. क्योंकि उसके मत में समझौता मजदूरों के हित में नहीं था. १९८५-८६ में भी बढ़ती महंगाई, तालाबन्दीयों तथा मिलोंके बन्द करने के खिलाफ आन्दोलन हुये. वाममोर्चा सरकार की मजदूर परस्त घोषणाओं के बावजूद, दुर्भाग्य से पुलिस हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है.

भारतीय जूट मजदूर संघ को जूट मेन्युफैक्चरर्स डैव्हलपमेन्ट कौंसिल तथा सरकार द्वारा गठित जूट उद्योग कमेटी में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है:

संघ ने कार्यकर्ताओं के लिये अभ्यास वर्ग भी आयोजित किये हैं ऐसा ही एक वर्ग बम्बई में श्रमिक शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया.

भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ

कपड़ा मिल मजदूरों के इस महासंघ का केन्द्र बम्बई में है. इसकी संबद्ध यूनियनें १२ राज्यों में कार्यरत हैं. इस उद्योग की बीमारी, नवीकरण का प्रश्न और उससे उत्पन्न बेकारी इन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई प्रदेशों में आधुनिकीकरण के साथ श्रम भार भी बढ़ाया गया जिसके फलस्वरूप मजदूरों में असंतोष फैला. महासंघ की राजस्थान

इकाई को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिये निरंतर आन्दोलन करना पड़ा और इसमें पुलिस के अत्याचारों का भी साहस के साथ सामना करना पड़ा. दिल्ली में वेतन वृद्धि के लिये दीर्घ संघर्ष करना पड़ा. बम्बई, दिल्ली, कानपुर और अन्य कई स्थानों में मिलों के बन्द हो जाने से हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं.

सहकारिता के आधार पर मजदूरों को मिलें चलाने को सौंप दी जाय इस मांग को लेकर इस महासंघ ने सरकार को मनवाने का काफी प्रयास किया है. बम्बई के श्रीनिवास मिल के मजदूरों ने अपने भविष्य निधि की बचत राशि से एक भाग मिल चलाने के लिये पूँजी में लगाने का भी वादा किया ताकि वित्त संस्थाओं की मदद से मिल को फिर से चलाया जा सके. पर अभी तक सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. इस मामले में बम्बई के परिश्रमी कार्यकर्ता श्री जयन्त गोखले के, जिन का देहान्त कुछ समय पहले हुआ, प्रयास को मजदूर सदैव स्मरण करेंगे.

भारतीय सिमेन्ट मजदूर संघ

३६ संबद्ध यूनियनों के इस महासंघ की सदस्य संख्या ३२,००० है. इस उद्योग के मजदूरों के मांगों के बारे में इंटक से सम्बद्ध महासंघ और सिमेन्ट उत्पादकों के संघ के समझौते के अनुसार सरकार ने एक पंचायत मंडल की नियुक्ति की है, जिसका अन्य महासंघों ने विरोध किया है.

ठेकेदारी प्रथा बन्द करने के लिये कटनी में आन्दोलन किया गया. इसी तरह का एक और संघर्ष अम्बाला में हुआ जो सफल रहा. कैमूर में नवीकरण के कारण ३०० मजदूर बेकार हो गये.

अखिल भारतीय सूगर मिल मजदूर संघ

इस महासंघ से संलग्न यूनियनों की संख्या में ७९ से ९५ की पर्याप्त वृद्धि हुई. किन्तु उद्योग के एक संकटग्रस्त स्थिति में होने के कारण सदस्य संख्या में सानुपातिक वृद्धि नहीं हुई. सदस्य संख्या अभी ४८,००० है. आन्ध्र, गुजरात और महाराष्ट्र में नई यूनियनें बनी हैं.

वेतन ढांचे में सुधार और मजदूरों की अन्य मांगों पर सरकार ने तृतीय वेज बोर्ड की नियुक्ति की है. मजदूरों की मांगों को पूरी ताकत के साथ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उद्योग में चल रहे सभी महासंघों ने मिलकर संयुक्त मंच बना लिया है. किन्तु इस बोर्ड द्वारा केवल रुपये ४५ की अन्तरिम राहत दिये जाने से मजदूरों में अपेक्षा भंग हुआ है. विरोध स्वरूप दो बार - १८ अक्तूबर १९८६ और पुनः २९ जनवरी १९८७ को एक दिवसीय हड़तालें हुई हैं.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी स्थानीय स्तर पर हमारी यूनियनों ने पुनः पुनः आन्दोलन किये हैं. सीहोर, मध्य प्रदेश, की हमारी यूनियन ने बहुमत प्राप्त कर मान्यता हासिल की है. कर्नाटक के तुंगभद्रा सुगर वर्क्स की यूनियन के प्रबंधकों द्वारा बदले की भावना से नौकरी से निकाले गये, यूनियन के पदाधिकारियों को १० साल बाद पिछले वेतन के बकाया की राशि देकर प्रबंधकों को वापस लेना पड़ा.

अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ

असंगठित क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूरों, बनों में काम करने वाले मजदूरों तथा ग्रामीण मजदूरों के इस महासंघसे १५ राज्यों की ६१ यूनियनें संबद्ध हैं. गत अधिवेशन के समय केवल १० राज्यों में ही इसका काम था. आन्ध्र प्रदेश कृषि विद्यापीठ तथा राजेन्द्र कृषि विद्यापीठ, पूसा, बिहार की यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं. महाराष्ट्र की पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, एवं मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में कार्यरत दोनों यूनियनें सबल और सक्रिय हैं.

इस महासंघ ने कई अनोखी उपलब्धियां की हैं. बुलढ़ाणा जिले में किये गये आन्दोलन के फलस्वरूप ही ६०० कृषि मजदूरों को महाराष्ट्र के रोजगार सुरक्षा कानून (एम्प्लाईमेन्ट गारन्टी एक्ट) के अन्तर्गत रोजगारी प्राप्त हुई. इस जिले में ही यूनियन ने कम वेतन देने तथा वेतन भुगतान में विलंब का विरोध कर, मजदूरों को हजारों रुपयों की बकाया राशि का भुगतान कराया.

औरंगाबाद जिले में औद्योगिक न्यायालय के निर्णय को लागू करवाने के लिये अनिश्चित-कालीन भूख हड़ताल भी की गई.

उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सा विद्यालय संलग्न कृषि कार्यों के २५ मजदूरों की नौकरी पक्की कराई गई.

राजस्थान में किये गये एक समझौते के अनुसार २०,००० दिहाड़ी मजदूरों को समयबद्ध वेतन श्रेणी का लाभ मिलेगा.

भरतपुर और कोटा जिले के वन मजदूरों ने बकाया राशि के तुरन्त भुगतान के लिये प्रदर्शन किये. देगाना जिले के दस परिवारों को यूनियन ने जोधपुर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर गैर कानूनी बेदखली से बचाया. इन परिवारों को मकान बनाने के लिये जमीन का आवंटन किया गया था किन्तु कुछ स्वार्थी लोगों के दबाव में इन्हें गैरकानूनी रूप से बेदखल किया जा रहा था.

विदर्भ और महाराष्ट्र में यूनियनों ने जनजाति लोगों को भी संगठित किया है. करीब १४७ परिवारों को बुलढ़ाणा जिलाधीष द्वारा २,००० एकड़ से भी अधिक जमीन के पट्टे दिये गये. हमारी यूनियन ने आन्दोलन कर, वन विभाग के अधिकारियों का वनवासी जनजातियों द्वारा उगाई गई खड़ी फसलों को नष्ट करने का प्रयास विफल कर दिया.

जनजातियों के लोगों की सहायता के ऐसे ही प्रयास महाराष्ट्र के शहाडे तालुका में तथा राजस्थान के बांसवाडा जिले में भी हो रहे हैं.

कृषि मजदूरों के सम्मेलन महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश में कई जगह किये गये. हाल ही में केरल राज्य में मछुआरों की एक यूनियन बनाई गई है.

महासंघ के कोटा राजस्थान में अक्तूबर १९८६ में संपन्न अधिवेशन में ५०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें १०० महिलायें भी थी. महासंघ ने कृषि एवं जनजाति मजदूरों की समस्याओं पर दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं. अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से महासंघ ने ग्रामीण मजदूरों के दो सेमिनार भी आयोजित किये.

भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ

यह एक उदीयमान महासंघ है. दिस्म्बर १९८६ में हुये इसके पहले अधिवेशन में ६ बंदरगाहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट की हमारी यूनियन ने अन्य महासंघ के साथ एक समझौते के अनुसार हुये मकान भाड़ा भत्ते के संबंध में उठी एक समस्या को हाथ में लिया है. बम्बई उच्च न्यायालय ने इसे अब पुनः सहायक श्रमायुक्त को पुनर्निणय हेतु भेजा है.

हमारे इस महासंघ ने बड़े बंदरगाहों के कर्मचारियों की समस्याओं का मांग पत्र प्रस्तुत किया है. धरने तथा प्रदर्शन भी किये हैं.

इस अर्से में हलदिया पोर्ट श्रमिक यूनियन भारतीय पोर्ट डाक मजदूर संघ से संलग्न हुई है.

अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर महासंघ

केन्दीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों और फैडरेशनों के इस महासंघ का तीसरा अधिवेशन ६-७ एवं ८ अप्रैल १९८६ को भोपाल में संपन्न हुआ. बी.एच.ई.एल., आई.टी.आय., बी.ई.एल., एच.ए.एल., आई.ओ.सी., आई.डी.पी.एल., आई.पी.सी.एल., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., इन्स्ट्रुमेन्टेशन, मिधानी, एच.ई.सी., एच.एम.टी., आदि के मजदूरों में इसकी यूनियनें कई राज्यों में कार्यरत हैं. ७२ संबद्ध यूनियनों की कुल सदस्यता ७५,००० है.

अखिल भारतीय स्तर पर कई उद्योगों में हमसे संबद्ध कई यूनियनों जैसेः बी.एच.ई.एल., आई.टी.आई., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., एफ.सी.आई., आई.डी.पी.एल., आई.पी.सी.एल., इन्स्ट्रूमेन्टेशन, मिधानी - को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है. मथुरा तेल शोध कारखाने की हमारी यूनियन औद्योगिक न्यायालय से ठेकेदारी मजदूरों को नियमित कराने के लिये लड़ रही है. हमारी यूनियन के प्रयासों के कारण ही छटनी रूकी है. हमसे संबद्ध मिधानी वर्कर्स यूनियन को इस प्रतिवेदन की अवधि में न्यायालय से जीत जाने पर ही बोनस मिला. महासंघ द्वारा इस अवधि में रायबरेली तथा भोपाल में अभ्यास वर्ग भी संपन्न किये गये.

नैशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक आफीसर्स

यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक आफीसर्स की केवल एक ही यूनियन है वह एन.ओ.बी.ओ. से संबद्ध है. महाराष्ट्र बैंक में एन.ओ.बी.ओ. यूनियन बहुमत में है. ये दोनों यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं. अन्य बैंकों में निरंतर प्रगति हो रही है.

एन.ओ.बी.सी. को दो बार हड़ताल के निर्देश देने पड़े. १९८५ में बैंक आफीसर्स की मांगों के लिये तथा दूसरी बार २१ जनवरी १९८६ को निजीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल में. जब एक बैंक ने अपने अफसर को बिना जाँच निलंबित किया, तो नोबो ने न्यायालय में उसका डटकर विरोध किया. न्यायालय का निर्णय अपने विरूद्ध जाने के डर से बैंक ने उस अधिकारी को फिर काम पर ले लिया.

एन.ओ.बी.ओ. ने कुछ रचनात्मक कार्य भी हाथ में लिये हैं. जैसे बैंक अधिकारियों को बैंकिंग और वित्त विनियोग पर पुस्तकें लिखने के लिये प्रोत्साहन देना. परिणामतः उच्च स्तर की किताबें प्रकाशित हुई है.

नैशनल इंस्टिट्यूट फार बैंकिंग एजुकेशन एण्ड रिसर्च-के विश्वस्त मंडल में एन.ओ.बी.ओ. के दो प्रतिनिधि हैं. यह संस्था बैंकिंग में शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करती है. बुलढ़ाणा जिले के जनजाति कल्याण के कार्य में भी एन.ओ.बी.ओ. सहायता कर रही है.

भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ

नगरपालिकाओं के कर्मचारीयों के इस महासंघ की २०० यूनियनें और ४५,००० सदस्य, १४ राज्यों में फैले हुये हैं.

बोनस के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला पाने में अमृतसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन को सफलता मिली है. नगर निगम ने पिछले सालों के लिये तो समझौता लागू कर दिया किन्तु इस साल के लिये एक प्रस्ताव पास कर लिया है कि अब निगम बोनस भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं है. यूनियन इसका विरोध कर रहा है. इस महासंघ के राज्यस्तर के फैडरेशन को पंजाब में राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी राज्य स्तर के फैडरेशन गठित किये गये हैं.

महासंघ का गत अधिवेशन २३ नवम्बर १९८६ को वाराणासी में हुआ.

अखिल भारतीय बीडी मजदूर संघ

इस महासंघ का कार्य ७ राज्यों में है. बीडी मजदूरों के कल्याण के लिये गठित दो समितियों में महासंघ को प्रातिनिध्य मिला है. १९८५ की फरवरी में कर्नाटक के मंगलौर में महासंघ का अधिवेशन संपन्न हुआ जिसमें २५० प्रतिनिधियों ने, जिस में अधिकांश महिलायें थीं, भाग लिया.

महासंघ के सतत प्रयास के बाद कर्नाटक में बीडी उद्योग में न्यूनतम वेतन का पुनरीकरण समय समय पर हो रहा है और पहली बार महंगाई सूचकांकों से जुडा हुआ भत्ता भी मिलना शुरू हुआ है. बिहार में अधिक वेतन, ठेकेदारी पद्धति का निर्मूलन जैसे मांगों को लेकर आन्दोलन किया गया. अपने यूनियनों के प्रयास के कारण पूणे में मजदूरों को ज्यादा बोनस मिल गया.

अखिल भारतीय खनिज धातु मजदूर संघ

कोयला खदानों को छोड़कर अन्य खदानों के मजदूरों के इस फैडरेशन का अधिवेशन ७ सितम्बर १९८६ को, खेतड़ी राजस्थान में हुआ. तांबा, लोहा, बोक्साइट, अभ्रक, मैंगनीज, हीरे, पत्थर, तथा डोलामाईट आदि की खानों के मजदूरों के इस फैडरेशन की यूनियनें ८ राज्यों में फैली हुई हैं. ३३ संबद्ध यूनियनों की सदस्य संख्या ३२,००० है.

मलाजखण्ड कापर प्रोजेक्ट और पन्ना डायमण्ड माईन्स की यूनियनों को मान्यता प्राप्त है. गत वर्ष का बोनस दिलवाने का काम अभी संघ के हाथ में है.

चिखला मंगनीज खान के १२५ ठेका मजदूरों को अकस्मात हटाकर, वापस लेने से इन्कार कर दिये जाने पर उन्हें वापस लिवाने के लिये एक बहुत लंबा आन्दोलन यूनियन द्वारा किया गया.

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

दिनांक ३१-१२-१९८० को हुए वर्षांत के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के दावा किये गये तथा प्रमाणित सदस्य संख्या का विवरण

क्रम संख्या	केन्द्रीय संगठन का नाम	दावा किये गये यूनियनों की संख्या	दावा किये गये सदस्य संख्या	सामयिक यूनियनों की संख्या	प्रमाणित सदस्य संख्या	अंतिम यूनियनों यूनियनों की संख्या	प्रमाणित सदस्य सदस्य संख्या
१.	इन्टक	३४५७	३५०९३२६	१६०४	२२३६१२८	१६०४	२२३६१२८
२.	भा.म.संघ	१७२५	१८७९७२८	१३३३	१२११३४५	१३३३	१२११३४५
३.	हिन्द मजदूर सभा	११२२	१८४८१४७	४०९	७३५०२७	४२६	७६२८८२
४.	यू.टी.यू.सी. (एल एस)	१५४	१२३८८९१	१३४	६२१३५९	१३४	६२१३५९
५.	एन.एल.ओ.	२४९	४०५१८९	१७२	२४६५४०	१७२	२४६५४०
६.	यू.टी.यू.सी.	६१८	६०८०५२	१५८	३५३८४	१७५	१६५६१४
७.	टी.यू.सी.सी.	१८२	२७२२२९	६३	१४५७०	६५	१२३०४८
८.	एन.एफ.आई.टी.यू.	१६६	५२७३७५	८०	८४१२३	८०	८४१२३
९.	ऐटक	१३६६	१०६४३३०	१०८०	३४४७४६	१०८०	३४४७४६
१०.	सीटू	१७३७	१०३३४३२	१४७४	३३१०३१	१४७४	३३१०३१
	कुल	१०७७६	१२३८६६९९	६५०७	५८६०२५३	६५४३	६१२६८१६

१. आपत्ति उठाये जाने के कारण उपरोक्त संख्याओं में डाक व तार विभाग के भारतीय मजदूर संघ से संबंधित १६ यूनियन और इन्टक के एक यूनियन की सदस्य संख्या सम्मिलित नहीं है. इस संबंध में और जाँच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

२. ऐटक व सीटू द्वारा दावा की गयी सदस्य संख्याओं को संबंधित श्रमिक संघों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त किया गया, क्योंकि ये यूनियन उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहे.

परिशिष्ट २

वर्ष १९८६ के अंत में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियनों की प्रदेशवार सदस्य संख्या

क्र. संख्या	प्रान्त	यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
१.	तमिलनाडु	१६	३१,३३५
२.	केरल	१२३	२९,६१६
३.	पांण्डिचेरी	२	१०४
४.	कर्नाटक	१०८	९०,०३०
५.	आन्ध्र प्रदेश	२३५	२,४९,२९४
६.	गोवा	१	३००
७.	महाराष्ट्र	१७५	२,१५,५६४
८.	विदर्भ	८२	१,०५,७५८
९.	गुजरात	६६	२४,७६२
१०.	मध्यप्रदेश	१६४	१,६७,७९०
११.	राजस्थान	१५५	२,३०,९५६
१२.	हरियाणा	१०८	६९,१०३
१३.	दिल्ली	९१	६,५५,२१५
१४.	चन्डीगढ़	२१	४,०००
१५.	हिमाचल प्रदेश	४६	३०,१५९
१६.	पंजाब	१८४	१,३०,२०४
१७.	जम्मु कश्मीर	२३	१६,०६४
१८.	उत्तर प्रदेश	४१६	५,४२,९८४
१९.	बिहार	१५२	४,२२,८४८
२०.	उड़ीसा	१५	५,९८७
२१.	बंगाल	१४८	१,५८,७५१
२२.	असम	२०	१,०४,५८५
२३.	नागालैंड	१	३५०
२४.	त्रिपुरा	१	८००
	कुल	२३५३	३२,८६,५५९

परिशिष्ट ३

भारतीय मजदूर संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं की विदेश यात्रा

दिनांक	सक्रिय कार्यकर्ता का नाम	भेंट करने का स्थान	भेंट का उद्देश
६ से २७ जून १९८४ ७ से २८ जून १९८५	श्री. जी. प्रभाकर (मंगलूर)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का ७०व ७१ वाँ अधिवेशन
२३ जुलाई १९८४ १७ अगस्त १९८४ तक	श्री मदनलाल सैनी (जयपुर)	वाशिंग्टन	समाज सेवाओं में यूनियनों का पात्र
२३ से ३१ जनवरी १९८५	श्री एस.एस. चंद्रायण (नागपुर)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अन्तर्देशीय परिवहन समिति का ग्यारहवाँ अधिवेशन
१७ से २५ अप्रैल १९८५	श्री एस. भावनारायण (हैदराबाद)	जिनीवा	वैतनिक नौकर व व्यावसायिक श्रमिकों की सलाहकार समिति का नवम अधिवेशन
३ से १९ अप्रैल १९८५	श्री डी.बी. ठेंगडी (नई दिल्ली) श्री मनहरभाई मेहता (बम्बई) श्री ओ.पी. अधी (नई दिल्ली) श्री आर. वेणुगोपाल (एर्नाकुलम) श्री आर.बी. मोइत्रा (कलकत्ता)	चीन	श्रम संघों के अखिल चीना महासंघ के आमंत्रण पर पांच सदस्यों की भेंट
१८ से २६ सितंबर १९८५	श्री सुरेश शर्मा (भोपाल)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के वन व लकड़ी उद्योगों की समिति का प्रथम अधिवेशन

४ से १२ दिसंबर १९८५	श्री ऋषभचंद्र जैन (जयपुर)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के चर्म व पादरक्षा उद्योग की तृतीय त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक
४ से १३ दिसंबर १९८५	श्री डी.बी. ठेंगडी (नई दिल्ली)	जकार्ता	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का दसवाँ एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन
१ से २२ फरवरी १९८६	श्री शरद धुंडिराज देवधर (बम्बई)	अमेरिका	निजी क्षेत्र में सामूहिक सौदा अध्ययन दल
४ से २५ जून १९८६ ३ से २४ जून १९८७	श्री ओ.पी. अधी (नई दिल्ली)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का ७२ व ७३वाँ अधिवेशन
३ से ६ नवंबर १९८६	श्री केशुभाई ठक्कर (बडौदा)	कौलालंपुर (मलेशिया)	एशियाई उत्पादकता संगठन का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन
३ से ११ दिसंबर १९८६	श्री विश्वनाथ सिंह कपूर (बर्नपुर)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के लोहा व इस्पात समिति का ग्यारहवाँ अधिवेशन
१ से ९ अप्रैल १९८७	श्री राम लुभाया बावा (अमृतसर)	जिनीवा	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भवन अभियांत्रिकी व लोकनिर्माण समिति
२४ से २९ मई १९८७	श्री ओ.पी. अधी (नई दिल्ली)	स्टाकहोम (स्वीडन)	औद्योगिक दुर्घटना व रोग प्रतिरोध पर ग्यारहवाँ विश्व सम्मेलन
जुलाई १९८७	श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर)	अमेरिका	औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर दो सप्ताह का कार्मिक अध्ययन कार्यक्रम
नवंबर १९८७	डा० हर्षवर्धन गौतम (बम्बई)	कनाडा	स्वास्थ्य व स्वास्थ्य रक्षा के बारे में अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी

परिशिष्ट ४

एन.सी.सी. सम्मेलन व प्रमुख कार्यक्रम

दिनांक	स्थान	कार्यक्रम की रीति
२० जनवरी १९८४	नई दिल्ली	कारखानों को बंद करना, तालाबंदी, छँटनी, ले-आफ और डी-नोटिफिकेशन् के विरोध में अखिल भारतीय सम्मेलन
१८ अप्रैल १९८४	बोट क्लब, नई दिल्ली	श्रमिक संघों के हकों के समर्थन व बी.पी.ई. मार्गदर्शीसूचियों के विरोध में श्रमिकों का संसद चलो अभियान व विशाल रैली का आयोजन.
२१ मार्च १९८४	नई दिल्ली	भोपाल गैस दुर्घटना पर विचार गोष्ठी
२४ अगस्त १९८५	नई दिल्ली	धारा ३११(२)(बी) के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
२० फरवरी १९८६		भारत सरकार द्वारा शक्कर, कोयला, वनस्पतिघी, गेहूँ, चावल और पेट्रोलियम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि किये जाने के विरोध में अ.भा. विरोध दिवस मनाया गया.
२१-२२ अक्टूबर १९८६	नई दिल्ली	निजीकरण के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अतिक्रमण के विरूद्ध तथा प्रबंधक मंडल, सामूहिक सौदेबाजी व द्विपक्षीय वेतन समझौतों में वास्तविक श्रमिकों का भाग लेना - इस के लिये आ.भा. सम्मेलन
२१ जनवरी १९८७		सार्वजनिक क्षेत्र में एक दिन का हड़ताल.
१६ अप्रैल १९८७		ट्रेडयूनियन कायदा व औद्योगिक विवाद कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विरोध में तथा नई उपभोक्ता सूचकांक सूची के जारी करने के विरोध में देशभर में प्रदर्शन
३ अगस्त १९८७		प्रस्तावित श्रम-कानून व नई सी.पी.आई. सीरीस के विरोध में तथा निर्वाह भत्ता सहित कनिष्ट वेतन पर पुनर्विचार के लिए प्रदर्शन तथा जेलभरो आंदोलन.

परिशिष्ट ५ (१)

प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन वर्ग

क्रमांक	प्रान्त	दिनांक	स्थान	उपस्थिति
१.	तमिलनाडु	१५ से १७ नवंबर १९८५	तिरूच्चि	९५
२.	केरल	८ से १० जून १९८४	पयनमचिट्टा	८४
		१० से १२ जून १९८४	कैलीकट	५७
३.	कर्नाटक	जुलाई १९८५	बेंगलौर	४०
		१३ से १७ जुलाई १९८६	शिवमोग्गा	१३७
४.	आंध्रप्रदेश	१३ से १५ अप्रैल १९८६	श्रीशैलम्	१५६
		१५ से १७ अगस्त १९८७	गुण्टूर	१५१
५.	महाराष्ट्र	१६ से १८ नवंबर १९८६	नासिक	११०
		२६ से २८ सितंबर १९८६	सोलापुर	३५
६.	विदर्भ	२३ से २५ नवंबर १९८५	नागपुर	८०
		२२ से २४ अगस्त १९८६	नागपुर	१७५
७.	मध्यप्रदेश	१८ से २० जुलाई १९८७	परासिया	६८
८.	गुजरात	८ से १० मार्च १९८६	बडौदा	८०
९.	राजस्थान	१२ से १४ सितंबर १९८६	भरतपुर	१५०
१०.	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मु-काश्मीर	२७ से २८ फरवरी १९८७	अम्बाला छावनी	१९८
११.	हिमाचल प्रदेश	१५ से १७ अगस्त १९८६	नगरोटा नंगल	४५
१२.	उत्तर प्रदेश	१३ से १५ दिसंबर १९८६	रायबरेली	१५६
		३ से ५ जनवरी १९८७	नरोरा	१७०
१३.	बिहार	६ से ७ अप्रैल १९८७	सिंद्री	६५
१४.	बंगाल	३० से ३१, अगस्त १९८६	कलकत्ता	३२६
१५.	उड़ीसा	२३,२४ मई १९८७	कटक	८५

परिशिष्ट ५ (२)

औद्योगिक महासंघों द्वारा आयोजित अध्ययन वर्ग

क्रमांक	महासंघ का नाम	दिनांक	स्थान	भागलेनेवालों की संख्या
१.	भारतीय परिवहन मजदूर संघ	३-५ अगस्त १९८७	वाराणसी	१३०
२.	भारतीय रेल्वे मजदूर संघ	२-४ फरवरी १९८६	विजयवाडा	२०५
३.	अ.भा. सुगर मिल मजदूर संघ	१५-१७ अगस्त १९८६	पीलीभीत	६२
४.	भारतीय जूट मजदूर संघ	१४-१५ जून १९८५	चोंपदोनी (प. बंगाल)	११५
	,, ,,	१५ अगस्त १९८४	टिटागढ़	१३५
	,, ,,	२२ से २६ जून १९८६	बम्बई	३१
५.	भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ	१५-१७ सितंबर १९८७	कानपुर	६७
६.	भारतीय इस्पात मजदूर संघ	३० अप्रैल से २ मई १९८७	मेघातुबुरू	३६
७.	भारतीय खदान मजदूर संघ		नागपुर	३००
८.	भारतीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ	मार्च	नागपुर	२००
९.	सार्वजनिक प्रतिष्ठान कर्मचारी महासंघ	अप्रैल १९८६	भोपाल	२११

परिशिष्ट ६

भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें

१.	हैदराबाद	१९८४	जनवरी	११ - १२
२.	नई दिल्ली	१९८४	अप्रैल	१९ - २०
३.	इन्दौर	१९८४	अक्टूबर	२९ से १ नवम्बर
४.	कोटा	१९८५	जुलाई	१२ - १४
५.	बम्बई	१९८५	नवम्बर-दिसम्बर	३० से २
६.	जम्मु	१९८६	मई	२ से ४
७.	हुबली	१९८६	सितंबर	२३ से २५
८.	पटना	१९८७	अप्रैल	२ से ४
९.	नई दिल्ली	१९८७	अगस्त	२१ - २२
१०.	बेंगलौर	१९८७	दिसंबर	२५

परिशिष्ट ७

प्रादेशिक सम्मेलन

क्र. संख्या	प्रान्त	दिनांक	स्थान	प्रतिनिधि संख्या
१.	तमिलनाडु	१९ जनवरी १९८६	कोयम्बत्तूर	४८९
२.	केरल	२५ से २७, जनवरी १९८६	कैलीकट	६२०
३.	कर्नाटक	२० से २२ अप्रैल १९८५	बेंगलोर	६७५
४.	आंध्र प्रदेश	२३,२४ जून १९८६	नेल्लूर	१२००
५.	महाराष्ट्र	१७,१८ नवंबर १९८५	सोलापुर	१०२७
६.	विदर्भ	२६,२७ अक्टूबर १९८५	हिंगनघाट	९५०
७.	गुजरात	५,६ अक्टूबर १९८५	विद्यानगर (आनंद)	४०३
८.	मध्यप्रदेश	१२,१३ अक्टूबर १९८५	कोरबा	६२८
९.	राजस्थान	१९ से २१, फरवरी १९८६	आलवार	३५०
१०.	हरियाणा	२९ सितंबर १९८५	कर्नाल	४००
११.	दिल्ली	२३,२४ जून १९८५	दिल्ली	१२५
१२.	हिमाचल प्रदेश	१५ दिसंबर १९८५	कुणाल	१५०
१३.	पंजाब	८,९ नवंबर १९८६	लुधियाना	९००
१४.	जम्मु-काश्मीर	२६,२७ अक्टूबर १९८६	जम्मु	२००
१५.	उत्तर प्रदेश	१७,१८ फरवरी १९८५	लखनऊ	८६०
१६.	बिहार	२९ से ३१ दिसंबर १९८५	टाटानगर	११००
१७.	उड़ीसा	१२,१३ अगस्त १९८५	कालूंगा	१२३
१८.	बंगाल	१४,१५ सितंबर १९८५	कलकत्ता	४२४
१९.	असम	१६,१७ जनवरी १९८७	सिलचर	३०८

परिशिष्ट ८

अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघों के सम्मेलन

क्र. संख्या	महासंघ का नाम	सम्मेलन के दिनांक	स्थान	उपस्थित प्रतिनिधि संख्या
१.	भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ	१०,११ फरवरी १९८६	औरंगाबद	१६७९
२.	भारतीय रेल्वे मज़दूर संघ	११,१२ नवंबर १९८६	सबरमती	७५२
३.	अखिल भारतीय शुगर मिल मजदूर संघ	२९,३० जनवरी १९८६	श्यामली	२२०
४.	भारतीय जूट मजदूर संघ	२६,२७ जनवरी १९८६	गौरीपुर (प. बंगाल)	२५३
५.	भारतीय इस्पात मजदूर संघ	१३,१५ नवंबर १९८६	भिलाई	११२
६.	भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ	३०,३१ दिसंबर १९८६	बैरकपुर (प. बंगाल)	११०४
७.	नैशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स	२६,२७ अक्टूबर १९८६	जयपुर	१२००
८.	नैशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इन्शूरेन्स वर्कर्स	२१,२२ नवंबर १९८६	पुणे	६५०
९.	भारतीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ	६ से ८ अक्टूबर १९८५	बम्बई	२५०
		१४-१६ जुलाई १९८६	आगरा	२००
१०.	भारतीय बीडी मजदूर संघ	१६ फरवरी १९८६	मंगलोर	२००
११.	केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ	६ से ८ अप्रैल १९८६	भोपाल	१५५
१२.	भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ	२९,३० नवंबर १९८६	सिंगरौली	१२००
१३.	नैशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक आफीसर्स	३,४ अक्टूबर १९८७	पुणे	२००
१४.	भारतीय इंजिनीयरिंग मजदूर संघ	२५,२६ जनवरी १९८७	गाजियाबाद	२५७

१५.	भारतीय कृषि मजदूर संघ	१९,२० अक्टूबर १९८६	कोटा	५००
१६.	भारतीय खनिज धातु मजदूर संघ	७ सितंबर	खेतडी	१००
१७.	अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ	१५ से १७ अक्टूबर १९८६	उज्जैन	१२००
१८.	भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ	२२,२३ नवंबर १९८६	वाराणसी	१००

परिशिष्ट ९

भारतीय मजदूर संघ नियतकालिक पत्रिकाएँ

भारतीय मजदूर
(अंग्रेजी मासिक)
३-ए.बी, हाशिम बिल्डिंग
४०, वीर नारिमन मार्ग
बम्बई - ४०० ०२३.

मजदूर भारती
भा.म. संघ कार्यालय
कल्लाय रोड
कैलीकट - २.

केरल टेक्नीशियन
(मलयालम मासिक)
द्वारा श्री एम.डी. इसाक
सर्कल सेक्रेटरी
बी.टी.टी.यू.
कैयापोल्ले - ६२६ २९२
(केरल)

टेलीफोन भारती
(अंग्रेजी मासिक)
४९, शैलेश सोसाइटी
हिंगणे
पुणे - ४११ ०५२.

टेलि-टेक (अंग्रेजी मासिक)
टी-१५ अतुलग्रूव रोड
नई दिल्ली - ११० ००१.

भारतीय मजदूर क्रानिकल
(हिन्दी पाक्षिक)
४४/२६, दक्षिण तात्या टोपे नगर
भोपाल - ४६२ ००३ (म.प्र.)

भारतीय मजदूर संघ समाचार
(हिन्दी पाक्षिक)
२, नवीन मार्केट
कानपुर - २०८ ००१.

मजदूर चेतना (गुजराती मासिक)
भारतीय मजदूर संघ कार्यालय
दिव चेंबर
ढेबर भाई रोड
राजकोट - ३६० ००१
(गुजरात)

मजदूर उदघोष (हिन्दी मासिक)
भारतीय मजदूर संघ
६/२२, आर ब्लाक
पटना - ८०० ००१

मजदूर संवाद (बंगाली)
१०, किरण शंकर राय मार्ग
कलकत्ता - ७०० ००१.

दूर संचार महा संघ
टी-१५, अतुल ग्रोव रोड
नई दिल्ली - ११० ००१.

भारतीय तार-पथ वाणी
टी-१५, अतुल ग्रोव रोड
नई दिल्ली - ११० ००१.

मजदूर वार्ता (कन्नड)
भारतीय मजदूर संघ
फेलीक्स पै बजार
मंगलोर - ५७५ ००१.

मजदूर वार्ता (मराठी पाक्षिक)
१८५, शनिवार पेट
पुणे - ४११ ०३०.

परिवहन मजदूर (हिन्दी मासिक)
बख्शी भवन
भिंदों का रास्ता
चांद पोल
जयपुर - ३०२ ००८

संचारवाणी
१२४, अभ्यंकर नगर
नागपुर - ४४० ०१०.

पोस्टल भारती (अंग्रेजी मासिक)
१२, लम्सडेन स्क्वेयर
पी एण्ड टी स्टाफ क्वार्टर
सिंधिया रोड
नई दिल्ली - ११० ००१.

वाहतुक वार्ता (मराठी मासिक)
महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन
बुटी बिल्डिंग के सामने
सीता बर्डी
नागपुर - ४४० ०१२.

परिशिष्ट १०

भा.म. संघ द्वारा हैदराबाद अधिवेशन के पश्चात् प्रकाशित साहित्य

पुस्तक का नाम	भाषा	प्रकाशक
सप्तक्रम	हिन्दी	भा.म. संघ केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली
प्रतिनिधि मार्गदर्शन सातवाँ हैदराबाद अधिवेशन	हिन्दी	,, ,,
लक्ष्य और कार्य	हिन्दी	,, ,,
निर्देशिका	हिन्दी	विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था, नागपुर
मजदूर और राष्ट्रीय एकता	हिन्दी	भा.म. संघ केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्ली
पश्चिमी देशों में श्रम संघवाद	हिन्दी	बिहार प्रान्त भा.म. संघ पटना
कितना घातक बैंकों में कम्प्यूटर	हिन्दी	एन.ओ.बी.डब्ल्यू. नागपुर
बुलढ़ाणा जिल्यातील आदिवासींचा जमीनीसाठी लढ़ा	मराठी	भारतीय श्रम शोधमंडल, बम्बई
साध्य आणि साधन	मराठी	भारतीय श्रम शोध मंडल, बम्बई
भारतीय मजदूर संघ की उ केना?	बंगाली	पश्चिम बंगाल भा.म. संघ, कलकता
भारतीय मजदूर संगम आडिन थेनी चिरुप्पुकाकुन	तमिल	तमिलनाडु भा.म. संघ मद्रास
एल्लरंतल्ला नावु	कन्नड	भारतीय मजदूर संघ कर्नाटक, बेंगलोर
भारतीय मजदूर संघद मुन्नडे	कन्नड	,, ,,
कार्मिक रंगलु कार्यकर्तलु	तेलुगु	भा.म. संघ आन्ध्र प्रदेश
कार्यकर्तलु कार्यक्रमालु	तेलुगु	,, ,,
मन विजय रहस्यम	तेलुगु	,, ,,
आचरणालो विफलमैन कम्यूनिसम	तेलुगु	,, ,,
मनमंत मूर्गुलम	तेलुगु	,, ,,
श्रमिक गीतालु	तेलुगु	,, ,,

स्पेक्ट्रम	अंग्रेजी	भारतीय श्रम शोध मंडल, बम्बई
चाइना इन ट्रानसिशन्	अंग्रेजी	,, ,,
कन्स्यूमर ए सावरिन	अंग्रेजी	अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
वित् आऊट ए सावरीनिटी		नागपुर
यू आर फूल्स	अंग्रेजी	कर्नाटक प्रांत भा.म. संघ बेंगलोर
सुयी जेनेरिस	अंग्रेजी	,, ,,
कम्प्यूटर दी जाब एलिमिनेटर	अंग्रेजी	,, ,,
सोशियल रेस्पान्सिबिलिटीस ऑफ ट्रेडयूनियन्स	अंग्रेजी	विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था, नागपुर
भारतीय मजदूर संघ आन कन्सूमर प्राइज इन्डेक्स नंबर्स	अंग्रेजी	भारतीय श्रम शोध मण्डल, बम्बई

परिशिष्ट ११

नैशनल लेबर इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली; इन्डियन् इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्कर्स एज्युकेशन, बम्बई और नैशनल लेबर ला एसोसिएशन द्वारा (हैदराबाद अधिवेशन के बाद) आयोजित कोर्सों में भा.मा. संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. उसका विवरणः

क्र.संख्या	कोर्स का नाम	स्थान व दिनांक
१.	ग्रामीण ट्रेड्यूनियन नेता/संगठकों के लिए परिणामकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली २० से २७ अप्रैल १९८४
२.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मण्डल का रजत-जयंती अधिवेशन	नई दिल्ली २८,२९ मार्च १९८४
३.	उद्योगों में मजदूरों के कष्टों को अनुशासित करने संबंधी गोष्ठी . कठिनाइयाँ दूर करने की कुशलता पर भाषण	नई दिल्ली १९ से २१ अप्रैल १९८४
४.	ग्रामीण ट्रेड्यूनियन नेता/संगठकों के लिए परिणामकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली २१ से २८ जून १९८४
५.	औद्योगिक संबंधों में नयी संस्कृति पर एक सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई १३ से १८ अगस्त १९८४
६.	प्रबंधक द्वारा श्रमिक कठिनाइयों का अनुशासित करना - एक ट्रेड्यूनियन का दृष्ठिकोण - इस पर तीन दिनों की चर्चा गोष्ठी	नई दिल्ली १९ से २१, अगस्त १९८४
७.	ग्रामीण विकास और संगठन निर्माण - इस विषय पर तज्ञों की चर्चाएँ	नई दिल्ली १ फरवरी १९८५
८.	ग्रामीण ट्रेड्यूनियन नेता/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली ११ से १५ मार्च १९८५
९.	ग्रामीण ट्रेड्यूनियन नेता/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यकम	नई दिल्ली २८ मई से २ जून, १९८५
१०.	अनुचित श्रम आचरण पर दो दिवसीय चर्चागोष्ठी	नई दिल्ली १२,१३ जुलाई १९८५
११.	दक्षिण के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद्रास ७ से १२, अक्टूबर १९८५
१२.	भारतीय वस्त्र उद्योग कर्मचारी महासंघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यकम	बम्बई २३ से २७ सितंबर १९८५

१३.	भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अन्यान्य यूनियनों के कोशाध्यक्षों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई ३ से ७ मार्च १९८६
१४.	विविध राज्यों के ट्रेडयूनियनों की महिला कार्यकर्ताओं के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई २ से ६ दिसंबर १९८५
१५.	विविध राज्यों के ट्रेडयूनियनों के युवा नेताओं के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई ४ से ८ नवंबर १९८५
१६.	सांविधानिक कानून, औद्योगिक विधि तथा श्रम न्यायिक निर्णय विषय पर चार दिनों की कर्मशाला	नई दिल्ली २२ से २५ नवंबर १९८५
१७.	ग्रामीण ट्रेडयूनियन नेता/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली १७ से २२ दिसंबर १९८५
१८.	ग्रामीण ट्रेडयूनियन नेता/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली ६ से ११ जनवरी १९८६
१९.	ग्रामीण श्रमिक संगठन और ग्रामीण श्रमिक शिक्षा पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई १० से १४ फरवरी १९८६
२०.	ग्रामीण ट्रेडयूनियनों के श्रमिकों के संगठकों के लिए इक्कीसवाँ नेतृत्व विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली ३ से ८ मार्च १९८६
२१.	ग्रामीण ट्रेडयूनियन पत्रकारिता पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण वर्ग	बम्बई १६ से २०, दिसंबर १९८५
२२.	एक सप्ताह का उन्नत ट्रेडयूनियन लीडरशिप प्रशिक्षण	बम्बई १० से १४ मार्च १९८६
२३.	श्रमिक/कर्मचारी प्रशासन के लिए कंप्यूटर मूल्यांकन तथा सूचना रीति पर त्रिदिवसीय चर्चागोष्ठी	नई दिल्ली १३ से १५ मार्च १९८६
२४.	एक सप्ताह की उन्नत ट्रेडयूनियन नेतृत्व शिक्षा	बम्बई १२ से १७ मार्च १९८६
२५.	एक सप्ताह की, उन्नत ट्रेडयूनियन नेतृत्व विकास शिक्षा	बम्बई २१ से २५ जुलाई १९८६
२६.	ट्रेडयूनियन नेता/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	मद्रास २२ से २७ सितंबर १९८६

२७.	युवा कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	बम्बई १२ से १६ जनवरी १९८७
२८.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण नेतृत्व के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	नई दिल्ली ४ से ९ नवंबर १९८६
२९.	ग्रामीण ट्रेड्यूनियन कर्मचारी/संगठकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	कलकता १ से ६ दिसंबर १९८६
३०.	ग्रामीण सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद्रास २२ से २७ दिसंबर १९८६

परिशिष्ट १२

विविध चर्चा गोष्ठियों में और चर्चाओं में भा.म. संघ के प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना

क्र.संख्या	कार्यक्रम	स्थान	प्रतिनिधि
१.	केनडा लेबर कांग्रेस के अध्यक्ष से केन्द्रीय श्रम संगठनों की वार्ता	नई दिल्ली २२-११-१९८३	श्री एन.सी. गांगुली (कलकत्ता)
२.	प्रबंधक मंडल में कर्मचारी सम्मिलित करने की योजना कार्यान्वित करने के बारे में बैठक	नई दिल्ली २०-२-१९८४	श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर)
३.	भारतीय आर्थिकता पर केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से केन्द्रीय वित्तमंत्री की चर्चा	नई दिल्ली २४-१-१९८४	श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)
४.	केन्द्री श्रमिक शिक्षा मंडल का रजत जयंती अधिवेशन	नई दिल्ली २८,२९ मार्च १९८४	श्री डब्ल्यू.एस. मिटकरी (नागपुर)
५.	प्रबंधक मंडल में कर्मचारी सहभागित्व के विषय पर चर्चागोष्ठी	नई दिल्ली १४-३-१९८४	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
६.	सेल्स प्रमोशन एंप्लाईस आक्ट (सेवा शर्तें) १९८६ का विस्तरण	नई दिल्ली २४-३-१९८४	श्री वीरेन्द्र भटनागर (नई दिल्ली)
७.	उत्पादकता ३ पर त्रिपक्षीय बैठक	नई दिल्ली ५-४-१९८४	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
८.	अखिल भारतीय एम्प्लायर संघ की ५१वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा की बैठक	नई दिल्ली ६-४-१९८४	श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)
९.	जीवन बीमा कानून - १९८३ पर संयुक्त संसदीय समिति	नई दिल्ली १०-४-१९८४ (नई दिल्ली)	श्री आर.एन. सिंह श्री आर.के. भक्त
१०.	राष्ट्रीय परिवहन नीति पर चर्चागोष्ठी	नई दिल्ली २३ से २५ अप्रैल १९८४	श्री जी. प्रभाकर मंगलौर
११.	पब्लिक एंटरप्राइसस चयन मंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आयोजित उन्नत प्रबंध कार्यक्रम	नई दिल्ली १६-८-१९८४	श्री आर.के भक्त (नई दिल्ली)
१२.	सार्वजनिक उद्यम में भागीदारी प्रबंध पर कर्मशाला	गोवा १२-९-१९८४	श्री एस.एम. धारप (बम्बई)

१३.	जनसंख्या समस्या और भारत का आर्थिक विकास	कलकत्ता ४ से ६ सितंबर १९८४	श्री दुर्गापदमुखर्जी (कलकत्ता)
	परिसर तथा औद्योगिक सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी	दिल्ली २-५-१९८५	श्री एच.एन. बिस्वास (जलंधर)
१४.	अंतरराष्ट्रीय श्रम नीतियों पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय चर्चागोष्ठी १९८४	नई दिल्ली १५ से १९ अक्टूबर	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)
१५.	उत्पादकता और ट्रेडयूनियनों पर राष्ट्रीय कर्मशाला	गोवा ४ से ६ दिसंबर १९८४	श्री देवीदास पै (बेंगलौर) श्री केशु भाई ठक्कर (बडौदा) श्री हसमुख भाई दवे (राजकोट) श्री दिनकर जोशी (नागपुर) श्री शरद देवधर (बम्बई)
१६.	मेनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टिट्यूट द्वारा आयोजित हिस्सेदारी प्रबंध	नई दिल्ली २८-११-१९८४	श्री आर.के भक्त (नई दिल्ली)
१७.	पवर जनरेशन ट्रान्समिशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन इक्विपमेंट से संबंधित उद्योगों के लिए गुणात्मकता पर कर्मशाला	नई दिल्ली १५-६-१९८४	श्री महिनारायण झा (हरिद्वार)
१८.	खानों में सुरक्षा विषय पर छठवाँ अधिवेशन	नई दिल्ली १३ से १७ जनवरी १९८६	श्री सुधाकर कुलकर्णी (बालाघाट) श्री टी.सी. जुमडे (भोपाल)
१९.	सामान्य समस्याओं पर श्रम मंत्री के साथ वार्ता	नई दिल्ली ९-४-१९८५	श्री आर.के भक्त (नई दिल्ली) श्री बी.एन. साठये (बम्बई)

			श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर) श्री रामप्रकाश मिश्र (कानपुर)
२०.	भारतीय आर्थिकता पर केन्द्रीय श्रमिक नेताओं से वित्तमंत्री की वार्ता	नई दिल्ली १३-२-१९८५	श्री मनहरभाई मेहता (बम्बई)
२१.	श्रमिक प्रतिनिधियों से सातवीं योजना पर योजना मण्डल की चर्चाएँ	नई दिल्ली १-७-१९८५	श्री आर.के भक्त (नई दिल्ली)
२२.	आगामी दशक में श्रमिकों की शिक्षा-इस पर राष्ट्रीय चर्चागोष्ठी	नई दिल्ली ९ से ११ जुलाई १९८५	श्री अनंत करम्बेलकर (बम्बई)
२३.	प्रबंध में कर्मचारियों के हिस्सा लेने को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाक आप्शन्स और फिस्कल इनसेंटिव्स के प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने त्रिपक्षिय सभा	नई दिल्ली ५-७-१९८५	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
२४.	एन.टी.सी. के प्रबंध अनुभव में श्रमिक हिस्सेदारी पर विचारगोष्ठी	नई दिल्ली ११-७-१९८५	श्री वी.ए. साटम (बम्बई)
२५.	अस्पताल और अन्य संस्थाओं के (निर्णय व विवाद कानून १९८२ के नियमों के संबंध में श्रम मंत्री की ट्रेडयूनियन नेताओं से विचार-विमर्श	नई दिल्ली १९-८-१९८५	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
२६.	आ.भा. एम्प्लायर संगठन का द्वितीय उत्तर क्षेत्रीय अधिवेशन	बल्लभगढ़ १६-८-१९८५	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
२७.	त्रिनिडाड टोबेगो के प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि मंडल, मेंबर सेनेटर क्रिचलो ट्रेडयूनियन नेताओं से वार्ता	नई दिल्ली ३०-७-१९८५	श्री ओ.पी. अघी (नई दिल्ली) श्री के.एल. पठेला (नई दिल्ली)
२८.	दीर्घकालीन राजस्व नीति (फिस्कल पालिसी) पर वित्तमंत्री से चर्चा	नई दिल्ली १९-९-१९८५	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)
२९.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचारगोष्ठी	नई दिल्ली १०-१०-१९८५	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)
३०.	भारतीय श्रम सम्मेलन का २८वाँ अधिवेशन	नई दिल्ली १९-९-१९८५	श्री मनहरभाई मेहता (बम्बई) श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)

			श्री आर.के. भक्त श्री ओ.पी. अघी श्री बी.एन. साठ्ये तथा ५ सलाहकार श्री टी.सी. जुमडे, आर.पी. मिश्र, डब्ल्यू.एस. मिटकरी, आर.के. गुप्त और ए.एन. डोग्रा
३१.	सरकारी कर्मचारियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद ३११ (२)(बी)(सी) पर संगोष्ठी	नई दिल्ली २५,२६ अक्टूबर १९८५	श्री एम.आर. बोरकर (नई दिल्ली)
३२.	औद्योगिक विवाद कानून १९४७ - रेल्वे, डाक-तार और प्रतिरक्षा उत्पादन विभागों के कर्मचारियों के लिए छूट	नई दिल्ली २८-१०-१९८५	श्री वेद मित्र विग (नई दिल्ली)
३३.	नैशनल लेबर इन्स्टिट्यूट की सर्वसाधारण सभा		श्री बी.एन्. साठ्ये (बम्बई)
३४.	केन्द्रीय कार्मिक संगठनों की प्रधानमंत्री से भेंट वार्ता	नई दिल्ली २-४-१९८६	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)
३५.	संसद के बजट सत्र के अवसर पर वित्तमंत्री द्वारा ट्रेडयूनियन नेताओं के साथ चर्चा	नई दिल्ली २१-११-१९८६	श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)
३६.	संसद के बजट सत्र के पश्चत् केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं से वित्तमंत्री की चर्चा	नई दिल्ली २०-३-१९८६	श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)
३७.	चौथा उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम	नई दिल्ली २४-५-१९८६	श्री ओ.पी. अघी (नई दिल्ली)
३८.	ग्रीवेन्स सेटलमेंट अथारिटी पर संगोष्ठी	नई दिल्ली १९,२० जून १९८६	श्री लक्ष्मण रवीन्दर सिंह (जम्मु)
३९.	सार्वजनिक उद्योगों का चयन मंडल और ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइसस द्वारा आयोजित चौथा व पाँचवाँ एडवान्स मैनेजमेंट कार्यक्रम	नई दिल्ली २४-५-१९८६ और १-९-१९८६	श्री ओ.पी. अघी (नई दिल्ली) श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)

४०.	एन.पी.सी. द्वारा आयोजित प्रबंध मंडल में कर्म ारी हिस्सेदारी पर कर्मशाला	नई दिल्ली ११,१२, सितंबर १९८६	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
४१.	उत्पादकता और तकनीकी परिवर्तन में कर्मचारी व प्रबंधकों में सहयोग - इस पर कर्मशाला	नई दिल्ली १९-९-१९८६	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
४२.	नैशनल लेबर इन्स्टिट्यूट द्वारा आयोजित कर्मचारी सहभागिता पर कर्मशाला	नई दिल्ली १९-९-१९८६	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
४३.	श्रमिक संगठन नेताओं के लिए शिक्षा जारी रखने पब्लिक एंटरप्राइसस सेंटर द्वारा आयोजित नौवाँ विकास कार्यक्रम	नई दिल्ली १६-१२-१९८६	श्री ओ.पी. अघी (नई दिल्ली)
४४.	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के महा निदेशक श्री फ्रान्सिस ब्लांचार्ड से केंन्द्रीय श्रमिक नेताओं की भेंट	नई दिल्ली १३-१-१९८७	श्री पी.एन. शर्मा श्री वेद मित्र विग श्री अमरनाथ डोग्रा श्री आर.के. गुप्त श्री जगमोहनलाल शर्मा (नई दिल्ली)
४५.	जपानी और भारतीय उद्योगों में कर्मचारी प्रबंधक संबंध विषय पर राष्ट्रीय कर्मशाला	नई दिल्ली १५,१६ अप्रैल १९८६	श्री उदय पटवर्धन (पुणे)
४६.	गुणवत्तता पर राष्ट्रीय सम्मेलन	नई दिल्ली १०-११-१९८६	श्री ग्यान सागर वाशिष्ठ (नई दिल्ली)
४७.	कर्मचारी सहभागिता पर विचारगोष्ठी	नई दिल्ली १०-११-१९८६	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
४८.	कर्मचारी सहभागिता पर विचार गोष्ठी	बम्बई १२-११-१९८६	श्री मुकुन्द गोरे (पुणे)
४९.	स्वयंउद्योगी महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग से केन्द्रीय श्रमिक नेताओं की बातचीत	नई दिल्ली ६-१०-१९८६	श्रीमती जया नायक श्रीमती गीतांजली नरगुंदकर श्रीमती सुनिता रास्ते
५०.	समझौता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	नई दिल्ली ९-१०-१९८७	श्री आनंदकुमार (धनबाद)

५१.	ग्रामीण ट्रेडयूनियन कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	उदयपुर २ से ७ नवंबर १९८७	चार प्रतिनिधियों ने भाग लिया
५२.	भारत में निर्माण उद्योग में सुरक्षा विषय पर विचारगोष्ठी	नई दिल्ली १९,२० नवंबर १९८७	श्री पी.एल. बेरी (मण्डी)
५३.	कार्य बद्धता और उत्पादकता पर राष्ट्रीय कर्मशाला	नई दिल्ली २४ से २७ नवंबर १९८७	श्री सुरेशकुमार (नई दिल्ली)
		बेंगलौर १-४-१९८७	श्री आलंपल्ली वेंकटराम
५४.	केन्द्रीय श्रमिक संघों के नेताओं से कपडा मंत्री की चर्चा - नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के कुछ मिलों को कर्मचारी सहकारिता के लिए देने का प्रस्ताव.		श्री आर.पी. मिश्र, (कानपुर) सलाहकारः श्री मांगेलाल (नई दिल्ली)

भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की गोष्ठियाँ

१. आई.एल.ओ./डानिडा राष्ट्रीय कर्मचारी शिक्षाः

- कर्मचारी और उनके प्रतिनिधियों के लिए आर्थिक शिक्षा पर विचारगोष्ठी.
मसूरी २१ से ३१ मई १९८४
श्री एच.बी. दवे (राजकोट), श्री एम.एन. झा (हरिद्वार), श्री एम.एल. सैनी (जयपुर), श्री एस.के. मित्रा (कटक).

२. भारत सरकार - आई.एल.ओः
राष्ट्रीय श्रमनीति के साथ श्रम कायदों की अनुरूपता पर संगोष्ठी.
नई दिल्ली २७-१०-१९८४
श्री एच.एन. बिस्वास (जलंधर)

३. मेरी टाइम यूनियन एजुकेटर्स एण्ड डिसिशन मेकर्स के लिए राष्ट्रीय कर्मशाला.
बम्बई १३ से १७ नवंबर १९८४

श्री प्रभाकर गणपत उपरकर (बम्बई), श्री कृष्णा विठोबा म्हात्रे (बम्बई), श्री सुरेश विट्ठल लेले (बम्बई)

४. वृत्तिपरक सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी साधारण विस्तृत कानून बनाने की योजना पर राष्ट्रीय चर्चा गोष्ठी.
नई दिल्ली २१, २२ मार्च १९८६
श्री एच.एन. बिस्वास (जलंधर)

५. आई.एल.ओ. तथा उसकी अन्यान्य गतिविधियों पर प्रादेशिक कर्मचारी शिक्षा विचारगोष्ठी.
नई दिल्ली २३ से २८ नवंबर १९८७
श्री गजेन्द्रपाल शर्मा (अलिगढ़)

परिशिष्ट १३

अन्यान्य परिषदों, समितियों और मंडलियों में भा.म. संघ का प्रतिनिधित्व

१.	श्रम वीर पारितोषक और राष्ट्रीय सुरक्षा पारितोषक	श्री ओ.पी. अघी, नई दिल्ली श्री अनूप अगरवाल (१९८४ के लिए मात्र)
२.	आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सलाहकार समितिः	
	जोधपुर के लिएः	श्री दाऊ लाल गौड़ (जोधपुर)
	हल्दवानी के लिएः	श्री रवीन्दर महेन्द्र, पंतनगर. वर्तमान में श्री कामेश्वरप्रसाद काला, नैनीताल
३.	बीडी मजदूरों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्री सुरेश शर्मा (भोपाल) श्री आर.पी. पारीख (नांदेड) वर्तमान में श्री सुरेश शर्मा और श्री ए.डी. देशपांडे (तिनसुखिया)
४.	ब्रिककिल्न इन्डस्ट्री के लिए त्रिपक्षीय समिति	श्री आर.के. भक्त, नई दिल्ली
५.	सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काऊन्सिल	श्री अमलदार सिंह, नई दिल्ली श्री रामलाल, फरीदाबाद वर्तमान में श्री एस.ए. जोशी (बम्बई)
६.	वोकेशनल ट्रेड्स वृत्तिपरक राष्ट्रीय प्रशिक्षण मंडली	श्री सर्वोत्तम राव, बेंगलोर,
७.	सन् १९८२ के औद्योगिक विवाद कानून की १-सी विधि के अनुसार ग्रीवेन्स सेटलमेंट अथारिटी	श्री आर.के. भक्त, नई दिल्ली
८.	प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता पर त्रिपक्षीय समिति	श्री आर.के. भक्त, नई दिल्ली
९.	सूती कपड़ा उद्योग के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	श्री वी.ए. साटम (बम्बई)
१०.	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास की सलाहकार समिति	श्री आर.वी. रामाचारी (मद्रास)
११.	तकनीकी विषयों में मार्गदर्शन करने के लिए निदेशक मंडलीः	
	१. एडवान्सड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, बम्बई	प्रोफेसर दत्तात्रय गोपाल (सोलापुर)
	२. ,, ,, हैदराबाद	श्री के.सी. चन्द्रशेखर, (हैदराबाद)
	३. ,, ,, लुधियाना	श्री राम दास शर्मा (पटियाला)

	४. ,, ,, कानपुर	श्री भूपेन्द्रनाथ सिंह (कानपुर)
	५. ,, ,, कलकत्ता	श्री नृपेन्द्रनाथ सरकार (सवायतन)
१२.	बी.एच.इ.एल. के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मंडली	१. श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर) २. श्री आर. वेणुगोपाल (कोचीन)
१३.	कोयला मजदूर गृहनिर्माण मंडली	श्री वी.के. राय (पाथाखेरा)
१४.	कोयला खान भविष्यनिधि मण्डली	श्री बी.एस. आजाद (उरव्रा) वर्तमान में श्री शिवबरन सिंह (परासिया - मध्य प्रदेश)
१५.	काफी मंडली	श्री आलंपल्ली वेंकटराम (बेंगलौर)
१६.	टी बोर्ड	श्री दुर्गापद मुखर्जी (कलकत्ता)
१७.	हाथकरधा और विद्युत करधा के मजदूरों के कल्याण के लिए त्रिपक्षीय अध्ययन गुट	श्री राम लुभाया बावा (अमृतसर)
१८.	जूट उत्पादक विकास मंडली	श्री बैजनाथ राय (कलकत्ता)
१९.	अप्लाइड मेन पावर रीसर्च इन्स्टिट्यूट की सर्वसाधारण मण्डली	श्री एस.एस. भावनारायण, (हैदराबाद) वर्तमान में श्री परितोष पाठक (कलकत्ता)
२०.	राज्य कर्मचारी बीमा निगम	श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)
२१.	भवन और निर्माण उद्योग के लिए त्रिपक्षीय समिति	श्री प्यारालाल बेरी (मण्डी) श्री राम लुभाया बावा (अमृतसर)
२२.	प्रादेशिक सलाहकार, समिति श्रमिक शिक्षा, राजकोट	श्री हरिभाई हीरानी (राजकोट)
२३.	प्रादेशिक सलाहकार समिति श्रमिक शिक्षा, बडौदा	श्री केशुभाई ठक्कर (बडौदा)
	प्रादेशिक सलाहकार समिति श्रमिक शिक्षा, अहमदाबाद	श्री बालु भाई पी. पटेल (अहमदाबाद)
२४.	प्लांटेशन इंडस्ट्री की औद्योगिक समिति	श्री द्वारकाप्रसाद यादव (सिलचर)
२५.	अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति	आन्ध्रप्रदेश १. श्री के. वेंकटसुब्बय्या (गुडूर) बिहारराज्य १. श्री नवलकिशोर मंदीलवार (गिरिदिह)
२६.	चूना और डोलोमैट खानों के मजदूर कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति	१. श्री शाम सुन्दर गुप्त (चिरिमिरि) २. श्री विजयसिंह चौहान (उदयपुर)
२७.	लोहा, मैंगनीस और क्रोम ओर की खानों के मजदूर कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति	१. श्री शामसुन्दर गुप्त (चिरिमिरि) २. श्री डॉ. सुधाकर कुलकर्णी (भोपाल)

२८.	चमडा उद्योग के मजदूरों के लिए त्रिपक्षीय अध्ययन गुट	श्री ऋषभ जैन (जयपुर)
२९.	कर्मचारी भविष्यनिधि केन्द्रीय प्रन्यास मंडली	श्री बी.एन. साठये (डोंबिविली)
३०.	रासायनिक उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	१. श्री एच.एन. बिस्वास (जलंधर) २. श्री मुकुन्द सदाशिव गोरे (पुणे)
३१.	जूट उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	१. श्री बैजनाथ राय (बैरकपुर) २. श्री रास बिहारी मोइत्रा (कलकत्ता)
३२.	इन्जिनियरिंग इंडस्ट्री की औद्योगिक समिति	श्री रामदेव प्रसाद (पटना) श्री आर.एस. लाल श्रीवास्तव (कलकत्ता) श्री मोहनलाल वर्मा (जयपुर)
३३.	राष्ट्रीय उत्पादकता मंडली १९८५-८७ के लिए	श्री रमण गिरिधर शाह (बम्बई) श्री केशो भाई ठक्कर (बडौदा) वर्तमान में १. श्री राम प्रकाश मिश्र (कानपुर) २. श्री आर. वेणुगोपाल
३४.	सडक परिवहन उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	श्री एस.एस. चन्द्रायण (नागपुर) श्री ऋषि राज शर्मा (जयपुर)
३५.	छठवाँ खान सुरक्षता सम्मेलनः समीलोचना समितिः	श्री श्याम सुन्दर गुप्त (चिरमिरि)
३६.	कोल इण्डिया सुरक्षता मंडली	श्री सुरेश प्रसाद सिंह (चांदामेटा)
३७.	चमडा टेनरी और चमडा सामान निर्माण उद्योग के लिए औद्योगिक समित	श्री ऋषभ चन्द जैन (जयपुर) श्री जगदीश चन्दर बाजपेयी (कानपुर) श्री गजेन्दर पाल शर्मा (अलिगढ़)
३८.	ठेका मजदूर मंडली की केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्री लक्ष्मण रवीन्दर सिंह (जम्मु)
३९.	राष्ट्रीय थर्मल पवर कार्पोरेशन के लिए जे.बी.एन.सी.	श्री बी.एन. साठये, दोंबिविली वर्तमान मेंः श्री एम.एन. झा (हरिध्वार)
४०.	समान वेतन कानून - १९७६ के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्रीमती स्वदेश मेनन नई दिल्ली
४१.	सिमेंट उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	श्री राम भाऊ जोशी (इन्दौर)
४२.	दिल्ली परिवहन निगम की सलाहकार समिति	श्री वीरेन्द्र भटनागर (दिल्ली) वर्तमान में श्री वेद सिंह अहलोवत

४३.	नैशनल लेबर इन्स्टिट्यूट (प्रबंधक मण्डली).	श्री बी.एन. साठ्ये (दोंबिवली)
४४.	उप्रवासन (एमिग्रेशन) मजदूरों के लिए समिति	श्री पी.टी. राव (कोचीन) श्री बी.एस. डोग्रा (चण्डीगढ़)
४५.	आय.एल.ओ. कन्वेन्शन्स पर समिति	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर) श्री ओ.पी.अघी (नई दिल्ली)
४६.	न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) सलाहकार समिति	श्री एच.एन. बिस्वास (जलंधर)
४७.	स्थाई मजदूर समिति	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर) श्री ओ.पी. अघी (नई दिल्ली)
४८.	बी.एच.ई.एल पदोन्नति उपसमिति	श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर)
४९.	सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय गुट	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
५०.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वैद्यकीय सुविधा समिति	श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर)
५१.	ग्रामीण असंगठित मजदूरों के लिए केन्द्रीय स्थाई समिति	श्री मदनलाल सैनी (जयपुर)
५२.	खानों में सुरक्षता पर राष्ट्रीय मंडली	श्री टी.सी. जुमडे (नागपुर)
५३.	बंधुआ, प्रव्रजन व कैजुयल मजदूरों के लिए केन्द्रीय स्थाई समिति	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
५४.	औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद	श्री जयन्त गोखले (बम्बई) श्री रामजी दास शर्मा (कलकत्ता)
५५.	तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय मण्डली	श्री एस.बी. सिंह (रायबरेली)
५६.	नैशनल इनस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग इन इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग बम्बई की प्रबंधक परिषद	श्री राम देव प्रसाद (पटना)
५७.	कोयला उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	श्री टी.सी. जुमडे (भोपाल)
५८.	कोयला उद्योग को छोड़कर अन्य खानों के लिए औद्योगिक समिति	श्री सुधाकर कुलकर्णी (भोपाल)
५९.	वृत्ति परक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय मंडली	श्री एच.एस. सर्वोत्तम राव (बेंगलौर)
६०.	सिमेंट उद्योग की राष्ट्रीय परिषद	श्री इन्दर बहादुर सिंह (चुनार)
६१.	कोल इन्डिया के लिए द्वि-पक्षिय कल्याण परिषद)	श्री टी.सी. जुमडे (नागपुर)

६२.	लघु औद्योगिक घटकों के लिए श्रम कानूनों में रियायत संबंधी स्थाई श्रम समिति की उपसमिति	श्री जी. प्रभाकर (मंगलौर)
६३.	असंगठित मजदूरों के लिए स्थाई श्रम समिति की उपसमिति	श्री आर. वेणुगोपाल (पालघाट)
६४.	औद्योगिक अस्वस्थता के नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय समिति	श्री बैजनाथ राय (कलकत्ता)
६५.	कोयला सलाहकार समिति	श्री टी.सी. जुमडे (नागपुर)
६६.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में वेतन समझौते की बातचीत	श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
६७.	फुड एण्ड ड्रिंक्स इन्डस्ट्री के लिए औद्योगिक समिति	श्री टी.एस. रामाराव (हैदराबाद)
६८.	कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग के लिए औद्योगिक समिति	श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा (पटना)
६९.	सुरक्ष पर त्रिपक्षीय समिति	श्री रामभाऊ जोशी (इन्दौर)
७०.	परिवार कल्याण योजना पर त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति	श्री राजकुमार गुप्त (नई दिल्ली)

परिशिष्ट १४

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भा.म. संघ के केन्द्रीय कार्यालय को भेंट

दिनांक	अभ्यागत प्रतिष्ठित	कहाँ से	भेंट का उद्देश
९-३-१९८४	श्री एन.आई. झिफु के नेतृत्व में छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल	अखिल चीन ट्रेडयूनियन महासंघ बीजिंग, चीन	पारस्परिक समझ भा.म.संघ के प्रतिनिधि मंडल को चीन आने का आमंत्रण
४-१२-१९८४	आई.एल.ओ/डानिडा श्री नील्स एनेवोल्डसेन के नेतृत्व में तीन सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल	आई.एल.ओ जिनीवा	विकासशील देशों में श्रमिक शिक्षा में नोर्डिक फोक हाइस्कूल योजना लागू करने की साध्यता पर विचार-विमर्श के लिए अग्रिम शिष्टमंडल
१३-८-१९८५	मिस एफ.ओ. डै	आई.एल.ओ. जिनीवा	विकासशील देशों में ट्रेडयूनियन द्वारा प्रदत्त कल्याण सुविधायें और सेवाओं पर अन्वेषण
३-१-१९८६	श्री के.एम. त्रिपाठी प्रादेशिक परामर्शदाता आई.एल.ओ.	बांकाक	अंतरराष्ट्रीय श्रमिक स्तरों के बारे में भा.म. संघ की चर्चागोष्ठी के संबंध में.
९-१-१९८६	श्री अमल मुखर्जी, प्रधान श्रमिक संबंधों का विभाग, आई.एल.ओ.	जिनीवा	भारत में सामान्य श्रमिक परिस्थिति
१३-२-१९८६	श्री डेविड जी. इंग्राम	१९८६ के चर्चिल फेलो; असोसियेशन् ऑफ सैंटिफिक, टेक्निकल एण्ड मैनेजीरियल स्टाफ, लंदन	स्वास्थ्य और सुरक्षा क्रम के सुधार में भारतीय ट्रेड यूनियनों का पात्र

४-३-१९८६	लेबर काऊन्सिलर श्री अंथोणी एम केर्न श्रमिक सलाहकार श्री पी.के.वी. कृष्णन् के साथ	नयी दिल्ली स्थित अमेरिका दूतावास	सद्भावना भेंट
१२-८-१९८६	श्री कार्ल रैट और श्री स्टर्लिग स्मिथ	१. निदेशक, सी.टी.यू.सी. लंदन २. योजना समन्वया- धिकारी सी.टी.यू.सी. लंदन	सद्भावना भेंट
८-१२-१९८६	श्री सिझारे पोलोनी प्रधान श्रमिक शिक्षा ग्रामीण श्रमिक शिक्षा के निदेशक श्री सेल्लय्या के साथ	आई.एल-ओ- जिनीवा	सद्भावना भेंट
२५.३.१९८७	मिस गेब्रियल ट्राह कार्य और कल्याण सुविधा परिस्थितियों के सहकारी विशेषज्ञ	आई.एल.ओ. बैंकाक	रासायनिक उद्योगों के संबंध में
११-५-१९८७	श्री जान मार्टिन विक्टर वीर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय श्रमिक शिक्षा समिति	कांग्रेस ऑफ साऊथ आफ्रिकन ट्रेड यूनियन्स दक्षिण आफ्रिका	श्रमिक शिक्षा पारस्परिक समझ के लिए
२५-५-१९८७	श्री यू. गुइंधी तथा नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रथम सचिव (सांस्कृतिक) काम्रेड ली केंगियान के नेतृत्व में त्रिसदस्य शिष्टमंडल	ए.सी.एफ.टी.यू. बीजिंग चीन	सद्भावना भेंट
२३-७-१९८७	भारत स्थित अमेरीका दूतावास के कानून विभाग के श्री विलियम आर सैलिसबरी, कानून सलाहकार श्री पी.के.वी कृष्णन्	अमेरिका दूतावास नई दिल्ली	सद्भावना भेंट

	तथा कानून विश्लेषक वी. श्रीनिवासन् के साथ		
६.११.१९८७	श्री के. दुरैयप्पा	श्रमिक गतिविधियों के प्रादेशिक सलाहकार आई.एल.ओ. बैंकाक	सद्भावना भेंट